उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक

संपादक

अनूप कुमार वार्ष्णेय

डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 27(4)(क) [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 179] – सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय – ऐसा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यथित महिला स्थायी या अस्थायी रूप से विवशकारी परिस्थितियों के अधीन निवास करती है या कारबार करती है या नियोजित है, घरेलू हिंसा के प्रयोजनार्थ अपराधों का विचारण करने का सक्षम न्यायालय होगा।

नीरज गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 287

संसद् के अधिनियम

नोटेरी अधिनियम, 1952 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (9)

पृष्ठ संख्या 287 – 441

(2014) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – मार्च, 2014 (पृष्ठ संख्या 287 – 441)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका ^{मार्च,} 2014 निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अशोक बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)	329
ईश्वर और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य	320
नितिन खन्ना बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	400
नीरज गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	
और एक अन्य	287
बलविन्दर बनाम हरियाणा राज्य	341
बासुदेव मंडल बनाम बिहार राज्य	347
महेश बनाम महाराष्ट्र राज्य	358
हरदेव सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	392
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अनुज ठाकुर	427
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम परमिन्दर सिंह उर्फ पिंकू	418
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम देविन्दर सिंह और एक अन्य	433
संसद् के अधिनियम	
नोटेरी अधिनियम, 1952 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(1) - (9)

संपादक-मंडल

श्री प्रेम कुमार मल्होत्रा, सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. विजय नारायण मणि, अधिवक्ता, (पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

प्रो. डा. वैभव गोयल, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड)

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल, विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषि पाल सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड श्री लालजी प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान संपादक, वि.सा.प्र.

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय, प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां, संपादक

श्री जुगल किशोर, संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय, संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश

शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महीपाल सिंह और जसवन्त

सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 12 वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित तथा...... द्वारा मुद्रित ।

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय	श्री शर्मन लाल	357	40.00
	संस्करण)	अग्रवाल		
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

	-	٠, ,	•		
	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटोरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग) विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20)

— धारा 4 — परिवीक्षा पर छोड़ देना — यह अभियुक्त का पहला अपराध है तथा उसने वह कारबार छोड़ दिया है जिसका वह अभियुक्त है, उसके ऊपर अपने कुटुंब और वृद्ध माता-पिता के देखभाल की भी जिम्मेदारी है और अभियुक्त पहले ही एक मास और 27 दिन का कारावास भोग चुका है, अतः, अभियुक्त अपने अच्छे आचरण के कारण उक्त अधिनियम के अधीन परिवीक्षा के अधीन जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है।

बलविन्दर बनाम हरियाणा राज्य

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 12, 9(क)(ख), 10(2) – घरेलू हिंसा के बाबत आवेदन का प्रस्तुतीकरण – संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की भूमिका – व्यथित महिला या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना – मजिस्ट्रेट किसी ऐसे आवेदन पर आदेश पारित करने के पूर्व संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त घरेलू हिंसा रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा – संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता व्यथित महिला को न्याय दिलाने के लिए विधि का अवलंब लेने के औजार मात्र हैं – दोनों को व्यथित महिला की सहायता के लिए सशक्त किया गया है किंतु उनको मामले का अन्वेषण अधिकारी नहीं कहा जा सकता।

नीरज गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 287

– धारा 27(4)(क) [सपिठत दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 179] – सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय –

ऐसा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यथित महिला स्थायी या अस्थायी रूप से विवशकारी परिस्थितियों के अधीन निवास करती है या कारबार करती है या नियोजित है, घरेलू हिंसा के प्रयोजनार्थ अपराधों का विचारण करने का सक्षम न्यायालय होगा ।

नीरज गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 287

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300 [सपिठत साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां पारिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी संपूर्ण नहीं है, कोई भी पारिस्थितिक साक्ष्य पूर्णतः स्थापित नहीं है, हेतु पर्याप्त और निश्चायक नहीं है, साक्ष्य अनुश्रुत है और अभियुक्त द्वारा स्वीकृति ठीक से स्थापित नहीं की गई है वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध करना उचित और न्यायसंगत नहीं है।

अशोक बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

– धारा 361 और 376 – अप्राप्तवय लड़की का व्यपहरण और बलात्संग – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्यों तथा चिकित्सा साक्ष्य से पर्याप्त रूप से यह साबित होता है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का अयुक्त संभोग प्रयोजन के लिए उसके साक्षियों द्वारा व्यपहरण किया गया और जीवन का खतरा दिखाकर उसमें से एक व्यक्ति द्वारा उसका बलात्संग किया गया वहां व्यपहरण और बलात्संग के लिए संबद्ध अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत है।

महेश बनाम महाराष्ट्र राज्य

– धारा 363 और 366-क [सपिठत जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17(2) तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35] – अप्राप्तवय लड़की का व्यपहरण – पीड़िता लड़की की आयु का निर्धारण करते समय जन्म-मृत्यु रिजस्टर में की गई प्रविष्टि का उपधारणात्मक मूल्य है अतः, चिकित्सा साक्ष्य और अन्य साक्ष्य में विरोध की दशा में रिजस्टर में दर्ज प्रविष्टि साक्ष्य में सुसंगत और ग्राह्य है ।

महेश बनाम महाराष्ट्र राज्य 358

– धारा 376 – बलात्संग – जहां अभियुक्त बिल्कुल अंधा हो और उसकी आयु 75 वर्ष हो, चिकित्सीय साक्ष्य से बलात्संग की पुष्टि न हुई हो, पारिस्थितिक साक्ष्य के अनुसार घटना की कड़ी सुस्पष्ट न हो तथा अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो वहां अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है।

बासुदेव मंडल बनाम बिहार राज्य

– धारा 376(2)(छ) – सामूहिक बलात्संग – अभियोक्त्री द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के कथन, धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन और न्यायालय के समक्ष किए गए कथन में विसंगति, अभियुक्त द्वारा बलात्संग के दौरान अभियोक्त्री के किसी विरोध तथा अभियोक्त्री को किसी प्रकार की कोई क्षति न होने या उसके कपड़े या चूड़ियां टूटने का कोई साक्ष्य न होने पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह सहमत पक्षकार थी, अतः अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है।

ईश्वर और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य

— धारा 498-क — क्रूरता — जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि पित या पित के नातेदारों ने पीड़िता से ऐसा कोई आचरण किया जिसके पिरणामस्वरूप वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुई वहां अभियुक्त के विरुद्ध किसी अनभिशंसी परिस्थिति के अभाव में अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम देविन्दर सिंह और एक अन्य

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 15 और 2(xvii) – विनिषिद्ध माल की तलाशी और अभिग्रहण – जहां अभियोजन यह साबित करने में असफल रहता है कि अभिकथित बरामद माल "अफीम पोस्ता" या "पोस्ता पुआल" की परिभाषा के अंतर्गत आता है वहां अभियुक्त को विनिषिद्ध माल को रखने के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, चूंकि अभियुक्त से "पोस्ते की भूसी" बरामद की गई थी अतः, पोस्त की भूसी "अफीम पोस्ता" या "पोस्ता पुआल" की परिभाषा के अंतर्गत न आने के कारण अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है।

हरदेव सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

– धारा 18 और 50 – विनिषिद्ध माल की बरामदगी और वैयक्तिक तलाशी – जहां नमूने लिए जाने और उसे विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे जाने की रीति के बारे में घोर संदेह हो और अभियुक्त से बरामदगी का कोई अन्य युक्तियुक्त 433

(vi) पृष्ठ संख्या और विश्वसनीय साक्ष्य संदेह से परे साबित नहीं किया गया हो, वहां अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का दायी होगा । हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम परिमन्दर सिंह उर्फ पिंकू 418 धारा 20 – विनिषिद्ध माल की बरामदगी – जहां अभियोजन विधि के अनुसार युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करता है कि अभियुक्त से विनिषिद्ध माल की बरामदगी की गई थी और शासकीय साक्षियों के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोध नहीं है तथा तात्विक विशिष्टियों में पूर्णतः इसकी संपृष्टि होती है तो अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडित किया जाना न्यायसंगत और उचित है। नितिन खन्ना बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 400 – धारा 50 – आज्ञापक प्रक्रिया का अननुपालन – अधिनियम के अधीन अभियुक्त व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे यह जानकारी दी जाए कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जानी चाहिए – मामले में उक्त आज्ञापक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, अतः अभियुक्त दोषमुक्त

427

किए जाने का दायी है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अनुज ठाकुर

नीरज गोस्वामी और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

तारीख 24 जनवरी, 2013

न्यायमूर्ति नारायण शुक्ला

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 27(4)(क) [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 179] – सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय – ऐसा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यथित महिला स्थायी या अस्थायी रूप से विवशकारी परिस्थितियों के अधीन निवास करती है या कारबार करती है या नियोजित है, घरेलू हिंसा के प्रयोजनार्थ अपराधों का विचारण करने का सक्षम न्यायालय होगा।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) — धारा 12, 9(क)(ख), 10(2) — घरेलू हिंसा के बाबत आवेदन का प्रस्तुतीकरण — संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की भूमिका — व्यथित महिला या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना — मजिस्ट्रेट किसी ऐसे आवेदन पर आदेश पारित करने के पूर्व संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त घरेलू हिंसा रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा — संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता व्यथित महिला को न्याय दिलाने के लिए विधि का अवलंब लेने के औजार मात्र हैं — दोनों को व्यथित महिला की सहायता के लिए सशक्त किया गया है किंतु उनको मामले का अन्वेषण अधिकारी नहीं कहा जा सकता।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि लखनऊ के विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के विरुद्ध आवेदकों के आक्षेपों को तारीख 16 जनवरी, 2012 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था । आवेदकों ने अभिकथित किया है कि उनके विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उपदर्शित करती है कि संपूर्ण अभिकथन अस्पष्ट हैं और कोई विनिर्दिष्ट तारीख अपराध घटित होने की तारीख के बारे में स्पष्ट रूप से उपदर्शित नहीं की गई है । आवेदक हरियाणा राज्य के गुड़गांव में रहते रहे हैं, सिवाए आवेदक सं. 4 और 5 के, चूंकि आवेदक सं. 1 के विवाह के पूर्व से आवेदक सं. 4 अमेरिका में रह रहा है और आवेदक सं. 5 विगत तीन वर्षों से अधिक समय से बिहार राज्य के पटना नगर में रह रहा है । उसका आवेदक सं. 1 से 3 के पारिवारिक मामलों से कोई संबंध भी नहीं है । जहां तक आवेदक सं. 6 का संबंध है, वह गुड़गांव में आवेदक सं. 1 से 3 के साथ कभी नहीं रहा चूंकि वह अलग रह कर दिल्ली में पढ रहा था और उसका उनके पारिवारिक मामलों के साथ कोई संबंध नहीं था । उन्होंने अन्वेषण की निष्पक्षता के बारे में भी यह कहते हुए आपत्ति की कि पक्षपाती होने और विपक्षी सं. 2 के पिता, जो लखनऊ के महानगर में पी. ए. सी. की 5वीं बटालियन में तैनात थे, के प्रभाव के अधीन होने के कारण विपक्षी सं. 2 की शिकायत बलहीन है और झूठ के समुच्चय के साथ बनावटी कहानी पर आधारित है । उन्होंने विपक्षी सं. 2 को जलाने का प्रयास करने और साथ ही उसको पीटने का प्रयास करने से भी इनकार किया । उन्होंने अभिकथित किया कि समस्त अभिकथित घटनाएं हरियाणा राज्य के गुड़गांव परिक्षेत्र के भीतर घटित हुई थी और उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में कोई घटना घटित नहीं हुई जिससे कि लखनऊ जिले की पुलिस को जांच करने का प्राधिकार प्राप्त हो जाता । आगे यह अभिकथित किया गया है कि विपक्षी सं. 2 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाते समय उत्तर प्रदेश के नोएडा में हैबिट नामक कंपनी की कर्मचारी थी और लेखा परीक्षक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही थी और 25,000/-रुपए प्रतिमाह का वेतन प्राप्त कर रही थी । अतः, यह साबित हो जाता है कि वह विवाह की तारीख से गुड़गांव में रह रही थी । आगे यह अभिकथित किया गया है कि विवाह के पश्चात वह अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों से पृथक् होकर हरियाणा के गुड़गांव में किराए के मकान सं. यू-9/44, डी. एल. एफ. फेस- में रहने लगी, इसलिए, यह कहना आधारहीन, गलत और दुर्भावपूर्ण है कि वह लखनऊ के महानगर में पी. ए. सी. की 35वीं बटालियन के मकान सं. 5 में रह रही है । आवेदक सं. 1 और विपक्षी सं. 2 का विवाह तारीख 20 फरवरी, 2009 को लखनऊ में सम्पन्न हुआ था । विपक्षी सं. 2 का पिता, जो पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, ने विवाह की तारीख से ही अत्यधिक अशिष्ट तरीके से व्यवहार किया और वह आवेदक सं. 1 के परिवार के सदस्यों को धमकाता रहा । आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदक सं. 1 और विपक्षी

सं. 2 विवाह के पश्चात आवेदक सं. 3 के रिहायशी मकान के तृतीय तल पर आवेदक सं. 2 और 3, जिसके पास पृथक रसोई थी, से पृथक होकर रह रहे थे ताकि परिवार में शांति बनाई रखी जा सके । अब आवेदक सं. 1 हरियाणा के गुड़गांव में मकान सं. 7/16, डी. एल. एफ. फेस-3 में रह रहा है । उनके द्वारा आगे यह अभिकथित किया गया कि विपक्षी सं. 2 तारीख 23 मई, 2010 को आवेदक सं. 1 के साथ प्रचंड लड़ाई-झगड़ा करने और उसको क्षतियां कारित करने के पश्चात चीखते-चिल्लाते हुए नीचे आई थी । उसने आवेदक सं. 2 के साथ भी झगड़ा किया था और उसके कपड़े फाड दिए थे और उसकी सोने की चेन भी झपट ली थी और आवेदक सं. 3 को भी क्षतियां कारित की थीं । उन्होंने स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी थी और तत्पश्चात इलाज के लिए संजीवनी अस्पताल चले गए थे । तत्पश्चात, उनमें से दोनों, पति और पत्नी ने अलग-अलग रहना आरंभ कर दिया था । विपक्षी सं. 2 का पति कुछ अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर आवेदक के घर आया और उसने आवेदक सं 1 को धमकाया था कि वह किराए का घर छोड़ दे । आवेदक सं. 1 ने धमकी के कारण घर खाली कर दिया था । अतः, यह अभिकथित किया गया है कि सभी घटनाएं गुड़गांव में घटित हुई थीं । इसलिए, वह घटना, जो गुड़गांव में घटित हुई, के बाबत लखनऊ में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कराए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ था । किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि घटना को विपक्षी सं. 2 के पिता, जो स्वयं पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, की पहल और प्रभाव के कारण लखनऊ में मात्र आवेदकों को हैरान और परेशान करने के लिए रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है । उन्होंने अपनी शासकीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए अन्वेषण में मध्यक्षेप भी किया था, इसलिए अन्वेषण निष्पक्ष और उचित तरीके से नहीं किया गया है । इसके अलावा दहेज की मांग की बाबत भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है, इसलिए, यह साबित हो जाता है कि आवेदकों के विरुद्ध ऐसा कोई भी अपराध नहीं बनता जैसाकि अभिकथित किया गया है । आवेदकों द्वारा आगे यह अभिकथित किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित अपराध और अन्वेषण द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार पर यह पूर्णतया साबित हो जाता है कि अपराध निरंतर चालू रहने वाले अपराध नहीं हैं, इसलिए लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को इस मामले पर विचार करने की कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है । इसके विपरीत विपक्षी सं. 2 ने अभिकथित किया कि सभी आवेदक संयुक्त रूप

से निवास कर रहे हैं और उन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथत अपराध कारित किया है । उन्होंने उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और बलपूर्वक उसका गर्भपात भी कराया । उन्होंने अपनी मांगों की पूर्ति न होने के कारण उसको घर से बाहर निकाल दिया था इसलिए वह लखनऊ में अपने माता-पिता के साथ रहने लगी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । चुंकि वे उसको घर से बाहर निकाल देने के बाद भी निरंतर प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लखनऊ में दर्ज कराई । उसने अपने पति के साथ रहने की इच्छा भी व्यक्त की थी, किंत् आवेदक सं. 1 उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुआ । आगे यह अभिकथित किया गया है कि आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात भी आवेदक सं. 1 न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही उसको जमानत प्रदान की गई, इसलिए मात्र इस कारणवश ही काउंसेल द्वारा फाइल किया गया प्रस्तुत आवेदन पोषणीय न होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है । लखनऊ के विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 16 फरवरी, 2012 के आदेश द्वारा न्यायालय की अधिकारिता के विरुद्ध उठाए गए आवेदक के आक्षेप को अस्वीकृत कर दिया और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन विपक्षी सं. 3 द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर विचार किया । आवेदकों ने निवेदन किया कि लखनऊ के विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लखनऊ के जिला संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तृत तारीख 19 जुलाई, 2011 की रिपोर्ट के आधार पर विधि की भ्रांत धारणा के अधीन आवेदकों को नोटिस जारी किए जिससे कि मामले में आगे कार्यवाही की जा सके, जबकि वह नोटिस अधिकारिता से दोष ग्रस्त था । यह अभिकथित किया गया कि संपूर्ण घटना, जैसीकि अभिकथित की गई है, हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घटित हुई थी क्योंकि स्वयमेव विपक्षी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन ऐसी किसी घटना, जिसका लखनऊ में घटित होना अभिकथित है, को उपदर्शित नहीं करता । यह अभिकथित किया गया है कि आवेदन फाइल किए जाने की तारीख पर वह हरियाणा के गृड़गांव में स्थित एक निजी कंपनी में नियोजित थी । आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदन के पैराग्राफ 14 में किए गए प्रकथनों के कोरे परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विपक्षी सं. 3 गुड़गांव में नियोजन के दौरान जांच के लिए अक्सर लखनऊ जाती रहती थी जबकि वह निवास गुड़गांव में ही करती थी । आगे यह भी अभिकथित किया गया है कि लखनऊ के विद्वान अपर मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट ने हरियाणा के गुड़गांव के जिला संरक्षण अधिकारी, जो उस क्षेत्र के लिए जहां अभिकथित रूप से घटना घटित हुई थी, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया सक्षम प्राधिकारी है, से घरेलू हिंसा रिपोर्ट नहीं मांगी थी । विद्वान मजिस्ट्रेट ने लखनऊ, जहां घटना घटित हुई थी, के जिला संरक्षण अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी । आवेदकों ने निवेदन किया कि प्रस्तुत मामले में किए गए अभिकथन कि आवेदकों ने उसके पिता से दुरभाष पर दहेज की मांग की थी, अभियोजन मामले अर्थात मामला अपराध सं. 72 (2010 के मामला सं. 10132) में किए गए पक्षकथन के विपरीत है, जिसमें आवेदकों के विरुद्ध इस प्रकार के कोई अभिकथन नहीं किए गए हैं । उनके द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि विपक्षी सं. 3 ने लखनऊ के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भी याचिकाएं फाइल की हैं, जो परेशान करने वाली प्रकृति की हैं । चुंकि वह आवेदन फाइल किए जाने की तारीख अर्थात 8 अक्तुबर, 2010 को लखनऊ में न तो रह रही थी और न ही वहां पर नियोजित थी इसलिए उसके द्वारा प्रस्तृत किया गया आवेदन पोषणीय नहीं है क्योंकि वह क्षेत्रीय अधिकारिता द्वारा विवर्जित है । आवेदकों के विद्वान काउंसेल ने पूर्वोक्त प्रकथनों के आधार पर निवेदन किया कि विद्वान निचले न्यायालय ने याची के आक्षेप को अधिकारिता के बिन्दू पर अस्वीकृत करके विधि की दृष्टि में स्पष्ट त्रृटि कारित की है । उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की अंतर्वस्तु की ओर आकर्षित किया जिसके पैराग्राफ 11 में उसने अभिकथित किया है कि आवेदकों और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था और घर से बाहर निकाल दिया था । उसका उपचार नीलकंठ अस्पताल में हुआ था और उसके पश्चात वह अपने माता-पिता के लखनऊ स्थित घर पर रह रही थी । आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए 2012 के दांडिक प्रकीर्ण मामला संख्या 290 द्वारा लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-क, 313, 323, 406, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 16 जनवरी, 2012 के निर्णय और आदेश को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की है । साथ ही आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए 2012 के दांडिक प्रकीर्ण वाद संख्या 990 द्वारा घरेलू हिंसा से

महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन लखनऊ के अष्टम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 16 फरवरी, 2012 को पारित आदेश को अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना की है । याचिकाएं खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी इच्छा से अपने पिता-माता के घर खुशी के साथ रह रही है, फिर भी यह साबित हो गया है कि वह वहां विवशकारी परिस्थितियों में और निश्चित रूप से उत्पीडन की स्थिति में रह रही है जो अपराध की कोटि के अंतर्गत आता है और जिसको निरंतर रूप से चालू रहने वाला अपराध कहा जाता है । यदि एक बार अपराध लखनऊ में चालू हो जाता है तो इसका विचारण लखनऊ की स्थानीय क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जाता है । लखनऊ के विद्वान मजिस्ट्रेट को भी अधिनियम की धारा 179 के अधीन अपराध का विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है चुंकि लखनऊ स्थित पिता-माता के घर में उसका रहना उस अपराध के परिणामस्वरूप है जो गुड़गांव में कारित किया गया है । अत: जैसाकि ऊपर उद्धत अनेक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, मामले के तथ्य विचारण के स्थान के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रचलित कारक होते हैं । प्रस्तुत मामले के तथ्यों से परिवादी के विरुद्ध गुड़गांव में आवेदकों द्वारा कारित अपराध का लखनऊ में भी चालू रहना साबित हो जाता है, इसलिए, न्यायालय का यह विचार है कि लखनऊ के विद्वान मजिस्ट्रेट को लखनऊ के महिला पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-क, 313, 323, 406, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन 2010 के मामला अपराध संख्या 72 से उदभुत 2010 का मामला संख्या 11032 के विचारण की अधिकारिता प्राप्त है। (पैरा 29 और 30)

घरेलू हिंसा अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") के अधीन अपराध के विचारण का स्थान अधिनियम की धारा 27 द्वारा विनियमित है । धारा 27 की उपधारा 1(क) की उपधारा 4(क) उपबंधित करती है कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मिजस्ट्रेट या महानगरीय मिजस्ट्रेट का न्यायालय जैसा भी मामला हो, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है, अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने का सक्षम न्यायालय होगा । परिवादिनी ने दावा किया है कि परिवाद संस्थित किए जाने की तारीख पर उसका निवास लखनऊ में था जिसका खंडन आवेदकों द्वारा उस कंपनी, जहां वह अभिकथित रूप से नियोजित थी, द्वारा उपलब्ध कराए

गए कुछ कागजों के आधार पर किया गया है । उक्त दस्तावेजों में सेवा में उसकी हैसियत को परिवाद संस्थित किए जाने की तारीख पर जो विचारण के स्थान के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ स्संगत तारीख है, सक्रिय कर्मचारी के रूप में प्रमाणित किया गया है । उसने परिवाद में अभिकथित किया है कि तारीख 23 मई, 2010 को उसका उपचार नीलकंठ अस्पताल में किया गया था और उसके पश्चात से वह अपने पिता-माता के घर में रह रही है । इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने एक निजी कंपनी में अपने नियोजन को स्वीकार किया है, किंतु उसने नियोजन को चालू रखने में अनिच्छा दर्शित की है। उसने यह भी अभिकथित किया है कि वह कार्य छोड रही है और त्यागपत्र प्रस्तुत कर रही है । उसने परिवाद के पैराग्राफ 19 में विनिर्दिष्ट रूप से अभिकथित किया है कि अब वह बेरोजगार है और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है चूंकि उसने अपनी नियोक्ता कंपनी में त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया है । उसने पैराग्राफ 10 में अभिकथित किया है कि अब वह अपने पिता-माता के घर में रहेगी चूंकि उसके पिता-माता के अलावा उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है । पूर्वोक्त तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उसने आवेदन की तारीख पर त्यागपत्र प्रस्तृत किए जाने के द्वारा अपना कार्य छोड़ दिया था । ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के नियोजन में उसकी हैसियत उसका त्यागपत्र स्वीकार न किए जाने के कारण सक्रिय कर्मचारी के रूप में दर्शित की गई है किंतू कंपनी द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि वह कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रही थी । उसके पक्षकथन कि अब वह लखनऊ में अपने पिता-माता के घर में रहेगी, का निर्वचन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि वह उस तारीख पर वहां नहीं रह रही थी, चूंकि उस तारीख पर भी पिता-माता के घर में रहते हुए भी वह यह अभिकथित कर सकती थी वह अब अपने पिता-माता के घर में रहेगी । अत: यह बात सुस्थापित हो जाती है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन परिवाद संस्थित किए जाने की तारीख पर उसका निवास अस्थायी रूप से लखनऊ में था, इसलिए न्यायालय का यह विचार है कि लखनऊ के विद्वान मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन कारित अपराध का विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है । (पैरा 31 और 32)

धारा 12 के अधीन मामले में अग्रसर होने के प्रयोजनार्थ उसके (मजिस्ट्रेट के) द्वारा विचारण के लिए संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध होनी चाहिए जबिक न्यायालय का यह विचार है कि यह अनिवार्य नहीं है। क्योंकि धारा 12 के उपबंध किसी ऐसे आवेदन पर विचार किए जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं जो व्यथित व्यक्ति द्वारा या किसी संरक्षण अधिकारी द्वारा या व्यथित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तृत किया गया हो, इसका अर्थ यह है कि मजिस्ट्रेट ऐसे किसी आवेदन पर कोई आदेश पारित करने के पूर्व संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त की गई किसी घरेल घटना रिपोर्ट पर विचार करेगा । अधिनियम की धारा 9(1)(ख) संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित करती है । यह धारा उपबंधित करती है कि (1) यह संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य होगा – (ख) किसी घरेल हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर, किसी मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना और उस पुलिस थाने के, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर घरेलु हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, भारसाधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को, उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करना । अधिनियम की धारा 10(2) सेवा प्रदाता की शक्तियों पर चर्चा करती है और उपबंधित करती है कि किसी सेवा प्रदाता के पास, जो उपधारा (1) के अंतर्गत रिजस्ट्रीकृत है, विहित प्ररूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करने और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा हुई है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करने की शक्ति होगी । पूर्वीक्त उपबंधों के कोरे परिशीलन से दर्शित होता है कि संरक्षण अधिकारी और साथ ही सेवा प्रदाता व्यथित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए विधि का अवलंब लेने के औजार हैं । इसलिए, धारा 12 स्वयमेव व्यथित व्यक्ति द्वारा या संरक्षण अधिकारी द्वारा या व्यथित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तृत किए जाने की अनुज्ञा प्रदान करती है और मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन के प्रस्तुतीकरण पर ऐसी किसी भी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करेगा जो उसके द्वारा संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से आवेदन पर कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व प्राप्त की गई हो । अत:, संरक्षण अधिकारी और साथ ही साथ सेवा प्रदाता, दोनों को व्यथित व्यक्ति की सहायता करने के लिए सशक्त किया गया है, किंतु उनको मामले में अन्वेषण अभिकरण नहीं कहा जा सकता है । लखनऊ की स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिकारिता रखने वाले संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि गुड़गांव के संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट । अत:, लखनऊ के विद्वान मजिरट्रेट लखनऊ, जहां परिवादिनी अपने पिता-माता के घर में अस्थायी रूप से निवास कर रही है, के संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं । (पैरा 34, 35, 36, 37 और 38)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 181 = 2013 (1) इलाहाबाद ला जर्नल 261 : गीता मेहरोत्रा और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ;	23
[2012]	2012 (1) जे. आई. सी. 431 (इलाहाबाद) : मनीश शुक्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ;	24
[2011]	2011 (2) जे. आई. सी. 643 (एस. सी.) = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1674 : सुनीता कुमारी कश्यप बनाम बिहार राज्य और	
[2010]	एक अन्य ; 2010 (1) जे. आई. सी. 12 (एस. सी.) = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली) 2044 : राजीव मोदी बनाम संजय जैन और अन्य ;	2424
[2010]	2010 ला (डी. एल. एच.) 9-9 : शरद कुमार पाण्डेय बनाम ममता पाण्डेय ;	20
[2009]	2009 (1) जे. आई. सी. 600 (इलाहाबाद) = 2009 (2) इलाहाबाद ला जर्नल 252 : दीपक जोशी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ;	24
[2008]	(2008) 6 ए. सी. सी. 668 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2666 : भारू राम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य ;	18
[2005]	2005 सी. टी. एल. जे. 1-501 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2583 : भगवान दास बनाम कमल एबरोल ; 21	
[1982]	ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 3 = 1981 इलाहाबाद ला जर्नल 1341 : जीवंती पाण्डेय बनाम किशन चन्द्र पाण्डेय ।	21

प्रकीर्ण दांडिक अधिकारिता : 2012 का दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 290 और 990.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

याचियों की ओर से

श्री गिरीश चन्द्र

प्रत्यर्थियों की ओर से

श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला

न्यायमूर्ति नारायण शुक्ला – प्रस्तुत दोनों मामलों में याची के विद्वान् काउंसेल श्री गिरीश चन्द्र और प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला को सुना ।

2. चूंकि दोनों मामले एक ही प्रकार के तथ्यों पर आधारित हैं, उनको एक ही आदेश द्वारा निर्णीत किया जा रहा है ।

2012 का दांडिक प्रकीर्ण मामला संख्या 290

- 3. आवेदकों ने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट न्यायालय, पुलिस थाना लखनऊ का मिहला थाना के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-क, 313, 323, 406, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन लंबित 2010 के मामला सं. 11032, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नीरज गोस्वामी और अन्य वाले मामले की संपूर्ण कार्यवाही अभिखंडित किए जाने और साथ ही लखनऊ के विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 16 जनवरी, 2012 का निर्णय और आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की है।
- 4. लखनऊ के विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के विरुद्ध आवेदकों के आक्षेपों को तारीख 16 जनवरी, 2012 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था । आवेदकों ने अभिकथित किया है कि उनके विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उपदर्शित करती है कि संपूर्ण अभिकथन अस्पष्ट हैं और कोई विनिर्दिष्ट तारीख अपराध घटित होने की तारीख के बारे में स्पष्ट रूप से उपदर्शित नहीं की गई है । आवेदक हरियाणा राज्य के गुड़गांव में रह रहे हैं सिवाए आवेदक सं. 4 और 5 के चूंकि आवेदक सं. 1 के विवाह के पूर्व से आवेदक सं. 4 अमेरिका में रह रहा है और आवेदक सं. 5 विगत तीन वर्षों से अधिक समय से बिहार राज्य के पटना में रह रहा है । उसका आवेदक सं. 1 से 3 के पारिवारिक मामलों से कोई संबंध भी नहीं है । जहां तक आवेदक सं. 6 का संबंध है, वह गुड़गांव में आवेदक सं. 1 से 3 के साथ कभी नहीं रहा चूंकि वह अलग रह कर दिल्ली में पढ़ रहा था और उसका उनके पारिवारिक मामलों के साथ

कोई संबंध नहीं था ।

5. उन्होंने अन्वेषण की निष्पक्षता के बारे में भी यह कहते हुए आपत्ति की कि पक्षपाती होने और विपक्षी सं. 2 के पिता, जो लखनऊ के महानगर में पी. ए. सी. की 5वीं बटालियन में तैनात थे, के प्रभाव के अधीन होने के कारण विपक्षी सं. 2 की शिकायत बलहीन है और झूठ के सम्च्यय के साथ बनावटी कहानी पर आधारित है । उन्होंने विपक्षी सं. 2 को जलाने का प्रयास करने और साथ ही उसको पीटने का प्रयास करने से भी इनकार किया । उन्होंने अभिकथित किया कि समस्त अभिकथित घटनाएं हरियाणा राज्य के गुड़गांव परिक्षेत्र के भीतर घटित हुई थी और उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में कोई घटना घटित नहीं हुई जिससे कि लखनऊ जिले की पुलिस को जांच करने का प्राधिकार प्राप्त हो जाता । आगे यह अभिकथित किया गया है कि विपक्षी सं. 2 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाते समय उत्तर प्रदेश के नोएडा में हैबिट नामक कंपनी की कर्मचारी थी और लेखा परीक्षक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही थी और 25,000/-रुपए प्रतिमाह का वेतन प्राप्त कर रही थी । अतः, यह साबित हो जाता है कि वह विवाह की तारीख से गुड़गांव में रह रही थी । आगे यह अभिकथित किया गया है कि विवाह के पश्चात् वह अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों से पृथक होकर हरियाणा के गुड़गांव में किराए के मकान सं. यू-9/44, डी. एल. एफ. फेस- में रहने लगी, इसलिए, यह कहना आधारहीन, गलत और दुर्भावपूर्ण है कि वह लखनऊ के महानगर में पी. ए. सी. की 35वीं बटालियन के मकान सं. 5 में रह रही है । आवेदक सं. 1 और विपक्षी सं. 2 का विवाह तारीख 20 फरवरी, 2009 को लखनऊ में सम्पन्न हुआ था । विपक्षी सं. 2 का पिता, जो पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, ने विवाह की तारीख से ही अत्यधिक अशिष्ट तरीके से व्यवहार किया और वह आवेदक सं. 1 के परिवार के सदस्यों को धमकाता रहा । आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदक सं. 1 और विपक्षी सं. 2 विवाह के पश्चात आवेदक सं. 3 के रिहायशी मकान के तृतीय तल पर आवेदक सं. 2 और 3, जिसके पास पृथक् रसोई थी, से पृथक् होकर रह रहे थे ताकि परिवार में शांति बनाई रखी जा सके । अब आवेदक सं. 1 हरियाणा के गुड़गांव में मकान सं. 7/16, डी. एल. एफ. फेस-3 में रह रहा है । उनके द्वारा आगे यह अभिकथित किया गया कि विपक्षी सं. 2 तारीख 23 मई, 2010 को आवेदक सं. 1 के साथ प्रचंड लड़ाई-झगड़ा करने और उसको क्षतियां कारित करने के पश्चात चीखते-चिल्लाते हुए नीचे आई थी उसने आवेदक सं. 2 के साथ भी झगड़ा किया था और उसके कपड़े फाड़

दिए थे और उसकी सोने की चेन भी झपट ली थी और आवेदक सं. 3 को भी क्षतियां कारित की थीं । उन्होंने स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी थी और तत्पश्चात इलाज के लिए संजीवनी अस्पताल चले गए थे । तत्पश्चात, उनमें से दोनों, पति और पत्नी ने अलग-अलग रहना आरंभ कर दिया था । विपक्षी सं. 2 का पति कुछ अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर आवेदक के घर आया और उसने आवेदक सं. 1 को धमकाया था कि वह किराए का घर छोड़ दे । आवेदक सं. 1 ने धमकी के कारण घर खाली कर दिया था । अतः, यह अभिकथित किया गया है कि सभी घटनाएं गुड़गांव में घटित हुई थीं । इसलिए, वह घटना, जो गुड़गांव में घटित हुई, के बाबत लखनऊ में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कराए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ था । किंतू ऐसा प्रतीत होता है कि घटना को विपक्षी सं. 2 के पिता, जो स्वयं पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, की पहल और प्रभाव के कारण लखनऊ में मात्र आवेदकों को हैरान और परेशान करने के लिए रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है । उन्होंने (विपक्षी सं. 2 के पिता ने) अपनी शासकीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए अन्वेषण में मध्यक्षेप भी किया था, इसलिए अन्वेषण निष्पक्ष और उचित तरीके से नहीं किया गया है । इसके अलावा दहेज की मांग की बाबत भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है, इसलिए, यह साबित हो जाता है कि आवेदकों के विरुद्ध ऐसा कोई भी अपराध नहीं बनता जैसाकि अभिकथित किया गया है । आवेदकों द्वारा आगे यह अभिकथित किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित अपराध और अन्वेषण द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार पर यह पूर्णतया साबित हो जाता है कि अपराध निरंतर चालू रहने वाले अपराध नहीं हैं, इसलिए लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को इस मामले पर विचार करने की कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है ।

6. इसके विपरीत विपक्षी सं. 2 ने अभिकथित किया कि सभी आवेदक संयुक्त रूप से निवास कर रहे हैं और उन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित अपराध कारित किया है । उन्होंने उसका मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और बलपूर्वक उसका गर्भपात भी कराया । उन्होंने अपनी मांगों की पूर्ति न होने के कारण उसको घर से बाहर निकाल दिया था इसलिए वह लखनऊ में अपने माता-पिता के साथ रहने लगी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । चूंकि वे उसको घर से बाहर निकाल देने के बाद भी निरंतर प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लखनऊ में दर्ज कराई । उसने अपने पित के साथ रहने की इच्छा भी

व्यक्त की थी, किंतु आवेदक सं. 1 उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुआ । आगे यह अभिकथित किया गया है कि आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् भी आवेदक सं. 1 न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही उसको जमानत प्रदान की गई, इसलिए मात्र इस कारणवश ही काउंसेल के द्वारा फाइल किया गया, प्रस्तुत आवेदन पोषणीय न होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है ।

2012 की दांडिक प्रकीर्ण वाद सं. 990

- 7. आवेदकों ने इस आवेदन द्वारा 2010 के वाद सं. 509 की संपूर्ण कार्यवाही घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में घरेलू हिंसा "अधिनियम") की धारा 12 के अधीन लखनऊ के अष्टम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित प्रीति गोस्वामी बनाम नीरज गोस्वामी और अन्य और साथ ही उक्त मामले में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 32, द्वारा तारीख 16 फरवरी, 2012 को पारित आदेश को अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना की है।
- 8. लखनऊ के विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 16 फरवरी, 2012 के आदेश द्वारा संबद्ध न्यायालय की अधिकारिता के विरुद्ध उठाए गए आवेदक के आक्षेप को अस्वीकृत कर दिया है और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन विपक्षी सं. 3 द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर विचार किया है।
- 9. आवेदकों ने निवेदन किया कि लखनऊ के विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट ने लखनऊ के जिला संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तारीख 19 जुलाई, 2011 की रिपोर्ट के आधार पर विधि को भ्रांत धारणा के अधीन आवेदकों को नोटिस जारी किए थे जिससे कि मामले में आगे कार्यवाही की जा सके, जबिक वह नोटिस अधिकारिता के दोष से ग्रस्त था । यह अभिकथित किया गया कि संपूर्ण घटना, जैसीकि अभिकथित की गई है, हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घटित हुई थी क्योंकि स्वयमेव विपक्षी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन ऐसी किसी घटना, जिसका लखनऊ में घटित होना अभिकथित है, को उपदर्शित नहीं करता । यह अभिकथित किया गया है कि आवेदन फाइल किए जाने की तारीख पर वह हरियाणा के गुड़गांव में स्थित एक निजी कंपनी में नियोजित थी । आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदन के पैराग्राफ 14 में किए गए प्रकथनों के कोरे परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विपक्षी सं. 3 गुड़गांव में नियोजन के दौरान जांच के लिए अक्सर लखनऊ जाती रहती थी जबिक वह निवास

गुड़गांव में ही करती थी । आगे यह भी अभिकथित किया गया है कि लखनऊ के विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हरियाणा के गुड़गांव के जिला संरक्षण अधिकारी, जो उस क्षेत्र के लिए जहां अभिकथित रूप से घटना घटित हुई थी, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया सक्षम प्राधिकारी है, से घरेलू हिंसा रिपोर्ट नहीं मांगी थी । विद्वान मजिस्ट्रेट ने लखनऊ, जहां घटना घटित हुई थी, के जिला संरक्षण अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी । आवेदकों ने निवेदन किया कि प्रस्तृत मामले में किए गए अभिकथन कि आवेदकों ने उसके पिता से दूरभाष पर दहेज की मांग की थी, अभियोजन मामले अर्थात मामला अपराध सं. 72 (2010 के मामला सं. 10132) में किए गए पक्षकथन के विपरीत है, जिसमें आवेदकों के विरुद्ध इस प्रकार के कोई अभिकथन नहीं किए गए हैं । उनके द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि विपक्षी सं. 3 ने लखनऊ के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भी याचिकाएं फाइल की हैं, जो परेशान करने वाली प्रकृति की हैं। चूंकि वह आवेदन फाइल किए जाने की तारीख अर्थात 8 अक्तूबर, 2010 को लखनऊ में न तो रह रही थी और न ही वहां पर नियोजित थी इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पोषणीय नहीं है क्योंकि वह क्षेत्रीय अधिकारिता द्वारा विवर्जित है ।

- 10. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल ने पूर्वोक्त प्रकथनों के आधार पर निवेदन किया कि विद्वान् निचले न्यायालय ने याची के आक्षेप को अधिकारिता के बिन्दु पर अस्वीकृत करके विधि की दृष्टि में स्पष्ट त्रुटि कारित की है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान विद्वान् मिजस्ट्रेट के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की अंतर्वस्तु की ओर आकर्षित किया जिसके पैराग्राफ 11 में उसने अभिकथित किया है कि आवेदकों और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था और घर से बाहर निकाल दिया था। उसका उपचार नीलकंठ अस्पताल में हुआ था और उसके पश्चात् वह अपने माता-पिता के घर पर रह रही थी।
- 11. पूर्वोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह अभिकथित किया गया है कि उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जब वह तारीख 23 मई, 2010 को गुड़गांव में थी, तो घटना वहीं पर घटित हुई थी और उसके पश्चात् ही उसने अपने माता-पिता के साथ रहना आरंभ कर दिया था, इसलिए, लखनऊ न्यायालय के समक्ष उसका आवेदन पोषणीय नहीं था।

- 12. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल ने आगे निवेदन किया कि उसने आवेदन की तारीख पर अपनी नौकरी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी किंतु उसने यह स्वीकार किया है कि वह उस तारीख पर गुड़गांव की एक निजी कंपनी में कार्य कर रही थी और उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया त्यागपत्र उस तारीख तक स्वीकार नहीं हुआ था । उसने आगे अभिकथित किया कि उसने आवेदन के पैराग्राफ 20 में अभिकथित किया है कि अब वह अपने माता-पिता के घर में ही रहेगी क्योंकि अब उसके माता-पिता के सिवाए उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है । अतः यह साबित हो गया है कि वह आवेदन की तारीख पर लखनऊ में नहीं रह रही थी, बल्कि उसने भविष्य में माता-पिता के लखनऊ स्थित घर पर रहने की इच्छा व्यक्त की थी ।
- 13. आवेदकों ने अपने निवेदनों के समर्थन में उसके नौकरी के तारीख 20 अक्तूबर, 2010, 23 नवंबर, 2010 और 11 अप्रैल, 2011 के स्टेट्स प्रमाणपत्र को भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि ये प्रमाणपत्र कंपनी की सेवा में उसकी स्थिति को प्रमाणित करते हैं और प्रकट करते हैं कि वह कंपनी अर्थात् हैबिट एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव के सक्रिय नियोजन में है।
- 14. उन्होंने उपरोक्त के अतिरिक्त, आवेदक सं. 1 (पित) के विभागाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को तारीख 29 सितंबर, 2010 को भेजे गए ई-मेल की एक प्रति भी उनके संगठन के नियोजन में आवेदक सं. 1 को न सुने जाने के बाबत अभिलेख पर प्रस्तुत की है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वह हैबिट एसोसिएट्स में टीम डेवलपर क्वालिटी लीडर के रूप में कार्यरत है।
- 15. इसके विपरीत विपक्षी सं. 3 ने निवेदन किया कि उसने बारंबार निवेदन किया है कि वह अपने माता-पिता के घर पर तब से रह रही है जब से उसके पित ने उसको उसके ससुराल से बाहर निकाला है अर्थात् तारीख 23 मई, 2010 से और उसने सेवा से त्यागपत्र गुड़गांव में अपने नियुक्ति प्राधिकारी को भेज दिया था। उसने आगे निवेदन किया है कि वह नोएडा में हैबिट एसोसिएट्स में नियोजित थी किंतु गर्भवती हो जाने के पश्चात् तारीख 15 सितंबर, 2010 को गर्भावस्था के दौरान विकसित जटिलताओं के कारण नौकरी से अलग होने की इच्छा व्यक्त करते हुए त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि चिकित्सक ने उसको किसी भी प्रकार के जोखिम से दूर रहने के लिए सेवा से अलग हो जाने की राय दी थी।

उसके द्वारा आगे यह अभिकथित किया गया है कि वह लखनऊ के इंदिरा नगर में वर्मा क्लीनिक में भर्ती हुई थी और उसने तारीख 14 जनवरी, 2011 को बालिका को जन्म दिया था।

- 16. पूर्वोक्त तथ्यों के अतिरक्त, एक दूसरे और एक दूसरे के परिवार के सदस्यों को गालियां दिए जाने और प्रताड़ित किए जाने के दावे और खंडन दावे भी किए गए हैं।
- 17. आवेदकों के निवेदनों के समर्थन में उनके विद्वान् काउंसेल श्री गिरीस चन्द्र ने कुछ विनिश्चयों को उद्धृत किया जिन पर यहां नीचे विचार किया गया है:-
 - "(1) हरियाणा राज्य और अन्य **बनाम** भजन लाल और अन्य [1992 सप्ली. (1) एस. सी. सी. 335 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय के पैराग्राफ 102 के सुसंगत भाग को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है
 - '102 उप-पैरा (7) जहां किसी दांडिक कार्यवाही में प्रकट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया गया है और या जहां कार्यवाही को अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने और उसको निजी और व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण परेशान किए जाने के विचार के अंतर्गत गुप्त अभिप्राय के साथ दुर्भावनापूर्वक संस्थित किया गया है।'
 - (2) माधव राव जी बाजीराव सिंधिया और अन्य **बनाम** संभाजी राव चंद्रोजीराव आंग्रे और अन्य [(1988) 1 एस. सी. सी. 692 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 709] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय के सुसंगत पैराग्राफ 7 को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है
 - '7. यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि जब आरंभिक प्रक्रम पर किसी अभियोजन को अभिखंडित किए जाने के लिए कहा जाता है तो न्यायालय द्वारा मामले का परीक्षण जिस कसौटी पर किया जाना है, वह यह है कि क्या वे अभिकथन जिनका खंडन नहीं किया गया है, प्रथमदृष्ट्या अपराध को साबित करते हैं । न्यायालय को यह अधिकार है कि वे उन विशेष लक्षणों पर, जो किसी विशिष्ट मामले में प्रकट होते हैं, विचार करें कि क्या किसी अभियोजन को जारी रखा जाना समीचीन और न्याय हित में है । यह इस आधार पर किया जा

सकता है कि न्यायालय का प्रयोग किसी परोक्ष प्रयोजन की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता और जहां न्यायालय की राय में अंततः दोषसिद्धि के अवसर कमजोर हैं और इसलिए किसी दांडिक अभियोजन को जारी रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान किए जाने के द्वारा किसी लाभदायक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, न्यायालय मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी कार्यवाही को अभिखंडित कर सकता है चाहे मामला आरंभिक प्रक्रम पर ही क्यों न हो।

1973 की दांडिक प्रक्रिया संहिता

- '178. जांच या विचारण का स्थान (क) जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, अथवा
- (ख) जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा
- (ग) जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अथवा
- (घ) जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
- 179. अपराध जहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला जब कोई कार्य किसी की नई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला।'
- 27. (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर –
- (क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है ; या
- (ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है ; या
 - (ग) हेतुक उद्भूत होता है ;

इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा ।

- (2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा।"
- 18. याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत मामले :-
- (1) भारू राम और अन्य **बनाम** राजस्थान राज्य और एक अन्य [(2008) 6 ए. सी. सी. 668 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2666] वाला मामला । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपराध का विचारण, जिसका वाद हेतुक किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ था, किए जाने के प्रयोजनार्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्न पर विचार किया था । न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपराध, जिनके संबंध में आरोप पत्र फाइल किया गया है, परिवादी के पूर्ववर्ती आवास पर कारित किए गए थे । इस मामले में उस स्थान को छोड़ दिया था जहां वह अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ रह रही थी और राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर शहर आ गई थी और समस्त अभिकथित कार्य, जिनका उल्लेख परिवाद में किया गया है, पंजाब राज्य में घटित हुए थे इसलिए, राजस्थान राज्य को मामले पर विचार करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिवाद में परिवादी द्वारा प्रकट किए गए तथ्यात्मक परिदृश्य के आधार पर अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि वाद हेतूक का कोई भी भाग राजस्थान राज्य में उत्पन्न नहीं हुआ था इसलिए संबंधित मजिस्ट्रेट को मामले पर विचार करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है । इसके परिणामस्वरूप श्रीगंगानगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही अभिखंडित की जाती है । परिवाद परिवादी को वापस कर दिया जाए और यदि वह चाहे तो उस परिवाद को विधि अनुसार विचारण किए जाने हेतू समृचित न्यायालय के समक्ष फाइल कर सकती है।
- (2) वाई अब्राहम अजीत और अन्य **बनाम** पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और एक अन्य [2004 (II) यू. पी. क्रिमिनल रिपोर्टर 315 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4286] वाला मामला । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि कोई

अपराध चालू रहने वाला अपराध कब होगा और "वाद कारण'' शब्द पर भी विचार किया कि इसका क्या अर्थ है । सुसंगत पैराग्राफों 8, 9, 12, 13, 14, 15 और 16 को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है –

- '8. जैसाकि मताभिव्यक्ति इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम देवकरन नैनशी और एक अन्य (ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 908) वाले मामले में की गई है चालू रहने वाला अपराध ऐसा अपराध है जो चालू रहने की गुंजाइश के अधीन होता है और किसी ऐसे अपराध से भिन्न होता है जिसको एक बार कारित किया जाता है, यह अपराध उन अपराधों में से एक होता है जो किसी नियम या उस नियम की अपेक्षाओं का पालन किए जाने या उनका अननुपालन किए जाने में विफलता के कारण उद्भूत होता है और जिसके कारण शास्ति अन्तर्वलित होती है, दायित्व अनुपालन किए जाने तक बना रहता है, यदि प्रत्येक अवसर पर इस प्रकार की अवज्ञा या अननुपालन उद्भूत होता है या उसकी पुनरावृति होती है तो अपराध कारित होता है।
- 9. अपराध के जारी रहने से संबंधित एक समरूप अभिवाक् का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा सुजाता मुखर्जी (श्रीमती) बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी [(1997) 35 ए. सी. सी. 108 (एस. सी.) = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 2465] में किया गया है । इस मामले में अभिकथन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-क, 506 और 323 के अधीन दंडनीय अभिकथित अपराध के कारण से संबंधित थे । तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर यह उल्लेख किया गया कि यद्यपि दहेज की मांगे पहले भी की गई थीं, परिवादी का पति उस स्थान पर गया था जहां वह रह रही थी और उसने परिवादी पर आक्रमण किया था । इस न्यायालय ने उस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अभिनिर्धारित किया था कि धारा 178 का खंड (ग) लागू होता है । किंतु वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति भिन्न है और परिवादिनी ने स्वयं ही पति का घर तारीख 15 अप्रैल, 1997 को अभिकथित रूप से और उसके नातेदारों द्वारा दहेज की मांग किए जाने के कारण छोड़ दिया था । तत्पश्चात दहेज की किसी मांग के बारे में किसी अभिकथन या चेन्नई में भी कोई अपराध गठित करने वाले किसी कार्य की फुसफुसाहट भी

नहीं है । ऐसा होने के कारण अपराध की निरंतरता के संबंध में संहिता की धारा 178(ग) की तर्कणा लागू नहीं की जा सकती ।

- 12. यह सुस्थापित विधि है कि वाद कारण में तथ्यों का समुच्चय समाविष्ट होता जो विधि द्वारा स्थापित किसी न्यायालय में निस्तारण के प्रयोजनार्थ किसी विधिक जांच को प्रवर्तित किए जाने के लिए कारण प्रदान करता है । अन्य शब्दों में यह तथ्यों का समूह है जो पक्षों पर लागू विधि को ध्यान में रखते हुए अभिकथित रूप से प्रभावित पक्ष को विपक्षी के विरुद्ध अनुतोष का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है । इसमें दूसरे पक्ष द्वारा किया गया कोई कार्य अवश्य सम्मिलित होना चाहिए चूंकि ऐसे किसी कार्य की अनुपस्थिति में संभवतः कोई वाद हेतुक उत्पन्न या उद्भूत नहीं होगा ।
- 13. अभिव्यक्ति "वाद हेतुक" ने न्यायिक रूप से स्थापित अर्थ अर्जित कर लिया है । निर्बंधित भाव में वाद कारण का अर्थ उन परिस्थितियों से है जो कार्रवाई के लिए अधिकार का उल्लंघन या त्वरित अवसर का सृजन करती हैं । व्यापक भाव में, इसका आशय उन कार्यवाहियों के मान्य ठहराए जाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों से है जिनमें न केवल अभिकथित उल्लंघन सम्मिलित होता है बल्कि स्वयमेव अधिकार के साथ युग्मित उल्लंघन भी सम्मिलित होता है । संक्षिप्त रूप से, इस अभिव्यक्ति का आशय ऐसे प्रत्येक तथ्य से है जिस पर यदि विचार किया जाए, तो न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किए गए उसके किसी अधिकार या शिकायत का समर्थन किए जाने के प्रयोजनार्थ साबित किया जाना परिवादी के लिए आवश्यक होगा । प्रत्येक तथ्य, जिसको साबित किया जाना आवश्यक होता है और जिसको साक्ष्य के प्रत्येक भाग के साथ विभेदित किया जाता है और जो ऐसे तथ्य के साबित करने के लिए आवश्यक होता है "वाद हेतुक" में समाविष्ट होता है ।
- 14. अभिव्यक्ति "वाद हेतुक" को अनेक अवसरों पर ऐसे तथ्यों या परिस्थितियों के निर्बंधित भाव को सूचित किए जाने के लिए योजित किया जाता है जो या तो किसी अतिलंघन या अधिकार के आधार का गठन करते हैं और इससे अधिक किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं। व्यापक और अधिक विस्तृत भाव

में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण तथ्यों के सम्पूर्ण समूह को निर्दिष्ट किए जाने के प्रयोजनार्थ किया जाता है।

15. अभिव्यक्ति 'वाद हेत्क' को सामान्यतया ऐसी स्थिति या तथ्यात्मक स्थिति के आशय में समझा जाता है जो किसी पक्ष को किसी न्यायालय या किसी अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही को मान्य ठहराए जाने के लिए अधिकार प्रदान करती है : वे विचारण के लिए एक या एक से अधिक आधार उत्पन्न करने वाले क्रियात्मक तथ्यों का समूह होती है ; ऐसी तथ्यात्मक स्थिति जो न्यायालय में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदान करती हैं। ब्लैक विधि शब्दकोश में 'वाद हेतुक' को तथ्यों के ऐसे सम्पूर्ण समुच्चय के रूप में अभिकथित किया गया है जो किसी प्रवर्तनीय दावे को उत्पन्न करता है । इस वाक्यांश में ऐसा प्रत्येक तथ्य समाविष्ट होता है जिसको यदि विचार किया जाए तो वादी को निर्णय अभिप्राप्त करने की दृष्टि से साबित करना चाहिए । वर्ड्स एंड फ्रोसेज (चौथा संस्करण) में सामान्य विधिक शब्दावली में 'वाद हेतूक' वाक्यांश को विशेषित अर्थ उन तथ्यों की विद्यमानता है जो किसी पक्ष को उसकी ओर से न्यायिक मध्यक्षेप करने का अधिकार प्रदान करता है।

16. इंग्लैंड के हाल्सबरी ला (चौथा संस्करण) में यह अभिकथित किया गया है —

"वाद कारण" को मात्र एक तथ्यात्मक स्थिति के रूप में पिरेभाषित किया गया है जिसकी विद्यमानता किसी व्यक्ति को न्यायालय से किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार बनाती है । इस वाक्यांश को प्राचीन समय से ऐसे प्रत्येक तथ्य को समाविष्ट करने वाला अभिनिर्धारित किया गया है जिसको सफल होने के लिए साबित किया जाना वादी के लिए तात्विक होगा और जिसमें ऐसा प्रत्येक तथ्य सम्मिलित है जिसका खण्डन करना प्रत्येक प्रतिवादी का अधिकार है ।

(3) मनीष रतन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य 2009 (1) यू. पी. क्रिमिनल रिपोर्ट पृष्ठ 2821) इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 177 और 178 की परिधि पर विचार किया और पद

'चालू रहने वाले अपराध' पर भी विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि इस अपराध को मात्र इस कारणवश चालू रहने वाला अपराध अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि परिवादी को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए विवश किया गया था।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना मत उसी बिंदु के आधार पर व्यक्त किया जो बिहार राज्य बनाम देवकरन नेंशी और एक अन्य (उपरोक्त) वाले मामलों में व्यक्त किया गया है जैसाकि वाई. अब्राहम अजीत (उपरोक्त) वाले मामले में निर्दिष्ट किया गया है।

20. घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मामले पर विचारण के संबंध में शरद कुमार पाण्डेय बनाम ममता पाण्डेय वाले मामले को निर्दिष्ट किया गया । इस मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पद अस्थायी निवास पर विचार किया जो परिवादी को परिवाद ऐसे स्थान पर दर्ज कराने के लिए सशक्त करता है जहां वह घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 के अधीन अस्थायी रूप से निवास करती है । सुसंगत पैराग्राफ 9 और 10 को नीचे प्रत्युप्तादित किया गया है :—

"9. वैवाहिक विवादों या अभिरक्षा मामलों पर समस्त विधायी अधिनियमितियां सामान्य रूप से निवास या वह स्थान जहां पक्ष एक साथ रहे हों या वाद हेत्क के स्थान को न्यायालय की अधिकारिता के अवलंब के प्रयोजनार्थ आधार बनाती हैं । घरेलू हिंसा अधिनियम ऐसा पहला अधिनियम है जिसमें किसी व्यथित व्यक्ति के अस्थायी निवास को भी न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिए जाने के प्रयोजनार्थ आधार बनाया गया है । अभिव्यक्ति आवास का अर्थ है घर – निवास का स्थान बनाना । सामान्यत: निवास स्थान उसमें पर्याप्त समय के लिए निवास करने या वहां रहने के आशय के साथ बनाया जाता है । यह वह स्थान होता है जहां किसी व्यक्ति का घर होता है । वेब्सटर शब्दकोश में निवास का अर्थ होता है लंबे समय के लिए निवास करना । शब्दों निवास या निवास स्थान समानार्थक शब्द हैं । इसलिए अस्थायी निवास को किसी व्यक्ति, जिसने उस स्थान को अस्थायी रूप से अपना घर बनाने के लिए अस्थायी निर्णय लिया है, का अस्थायी निवास होना चाहिए । यद्यपि यह हो सकता है कि उसने वहां स्थायी रूप से या पर्याप्त अवधि के लिए वहां पर निवास करने का निर्णय न लिया हो, किंतु तत्समय यही उसका निवास होना

¹ 2010 ला (ਭੀ. एल. एच.) 9-9.

चाहिए और इस स्थान को ऐसा स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहां वह व्यक्ति आकस्मिक यात्रा पर गया था या जलवायु परिवर्तन के लिए यह उसकी पलायन पर जाने वाली यात्रा थी या यह यात्रा मात्र किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध मामला फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ थी।

10. इसलिए मेरा यह विचार है कि अस्थायी निवास जैसा कि अधिनियम के अधीन परिकल्पित किया गया है, वह निवास है जहां कोई व्यथित व्यक्ति उसके ऊपर निरंतर कारित की जा रही घरेलू हिंसा के कारण या उसको उसके वैवाहिक घर से निकाल दिए जाने के कारण या वैवाहिक घर छोड़ने के लिए विवश हो जाने के कारण शरण लेने या नौकरी करने या कोई कारबार करने के लिए विवश हो जाती है । इस अस्थायी निवास में मात्र घरेलू हिंसा के मामले को फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ किसी लाज या होटल या किसी सराय या निवास या स्थान सम्मिलित नहीं होता । यह अस्थायी निवास को उस निवास को अर्जित किए जाने की तारीख से उस तारीख तक निरंतर रूप से निवास भी होना चाहिए जब तक कि धारा 12 के अधीन फाइल किए गए आवेदन का निस्तारण न हो जाए और इसको पलायन करके बनाया गया निवास नहीं होना चाहिए जहां कोई महिला मात्र मामले का विरोध करने के प्रयोजनार्थ आती है और अन्यथा वहां निवास नहीं करती ।"

21. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भगवान दास बनाम कमल एबरोल वाले मामले में शब्द "निवास" पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि निवास का प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है इसलिए इसको विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न होने के कारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णीत किया जाना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने जीवंती पाण्डेय बनाम किशन चन्द्र पाण्डेय वाले मामले में दिए गए अपने ही एक अन्य विनिश्चय को निर्दिष्ट किया जिसमें 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 19(ii) पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिकथित किया कि :-

"सामान्य भाव में 'निवास' कुछ अंश तक स्थायी प्रकृति का होता है । अभिव्यक्ति 'निवास करता है' का अर्थ है पर्याप्त अवधि के लिए निवास बनाना : स्थायी रूप से निवास करना या एक समयावधि के

¹ 2005 सी. टी. एल. जे. 1-501 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2583.

² ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 3 = 1981 इलाहाबाद ला जर्नल 1341.

लिए स्थायी घर या निवास रखना । जहां किसी स्थान पर इस प्रकार का घर या इसी प्रकार का अन्य घर है तो वह उसका विधिक और वास्तविक निवास है और यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी अन्य स्थान पर रहता है जहां वह आकस्मिक या अस्थायी यात्रा पर गया था । किंतु यदि उसने कोई घर नहीं बनाया है तो उसका वास्तविक और शारीरिक निवास वह स्थान है जहां वह वास्तव में या व्यक्तिगत रूप से निवास करता है "

22. अंतत:, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:-

"(12) पूर्वोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द 'निवास' किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान के संबंध में जहां वह रहता है, को सामान्यतया समझा जाता है और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी स्थान पर निवास करता है या जो किसी स्थान पर पर्याप्त अवधि के लिए निवास करता है जिसको किसी ऐसे व्यक्ति से विभेदित किया गया है जो मात्र किसी कतिपय स्थान पर कार्य करता है या आकस्मिक रूप से आता जाता रहता है और कार्य स्थान या आकस्मिक रूप से आने जाने वाले स्थान 'निवास' के स्थान से भिन्न होते हैं । शब्द 'निवास' के अर्थ के दो वर्गीकरण हैं । प्रथम स्थायी और अस्थायी निवास के रूप में है और दूसरा वर्गीकरण वास्तविक और विधिक निवास पर आधारित है । वास्तविक निवास की संकल्पना को शब्द 'निवास' के अर्थ द्वारा स्पष्टत: समझा जा सकता है जैसा कि ब्लैक ला शब्दकोश के 8वें संस्करण में दिया गया है । उक्त शब्दकोश में उल्लेख किया गया है कि शब्द 'निवास' का अर्थ होता है कि किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर निवास के रूप में शारीरिक उपस्थिति । अत: वास्तविक निवास को भी उस स्थान के रूप में समझा जाना चाहिए जहां कोई व्यक्ति उन स्थानों में से भिन्न किसी स्थान पर नियमित रूप से निवास करता है जहां वह मात्र पैत्रिक संबंधों या राजनैतिक संबंधों या वैवाहिक संबंधों द्वारा संबंधित हो जाता है।"

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने गीता मेहरोत्रा और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य¹ वाले मामले में क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रश्न पर चर्चा की । इस मामले में न्यायालय ने परिवादी के पति की

¹ ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 181 = 2013 (1) इलाहाबाद ला जर्नल 261.

बहन और भाई के विरुद्ध इस बाबत कि उनको और उनके पिता-माता को किस प्रकार से परिवादी और उसके पित श्यामजी मेहरोत्रा के मध्य वैवाहिक कलह में अंतर्विलत कर दिया गया, कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं पाया, इसलिए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उनके और उनके पिता-माता के विरुद्ध किसी एकल घटना का उल्लेख किए बिना और मात्र एक सामान्य प्रकृति का अभिकथन किए जाने के द्वारा कि वे भी परिवादी-प्रत्यर्थी संख्या 2 के शारीरिक और मानसिक प्रपीड़न में अंतर्विलत थे और इस तथ्य का भी उल्लेख किए बिना कि उनको दहेज की मांग करने के लिए किस प्रकार से प्रेरित किया जा सकता था जबिक वे मात्र परिवादी के पित के भाई और बहन की हैसियत से संबंधित हैं, हम दांडिक कार्यवाहियों को, जहां तक इन अपीलार्थियों का संबंध है, खंडित और अपास्त करते हैं और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उलटा जाता है।

24. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्भृत मामले हैं :-

(1) सुनीता कुमारी कश्यप **बनाम** बिहार राज्य और एक अन्य 2011 (2) जे. आई. सी. 643 (एस. सी.) = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1674 वाले मामले में याची-अपीलार्थी को रांची स्थित उसके वैवाहिक घर से बलपूर्वक निकाल दिया गया था और उसके गया स्थित पैतृक घर लाया गया था, जहां उसने एक बालिका को जन्म दिया था । कुछ समय पश्चात उसके पति ने एक नई मांग रखी कि जब तक उसका पिता गया स्थित अपना घर उसको नहीं दे देता, उसको रांची स्थित उसके वैवाहिक घर में वापस घुसने नहीं दिया जाएगा । याची ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-क, 406/34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय अपराधों के बाबत दांडिक कार्यवाही आरंभ की । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि उसको उसके पति द्वारा उसकी और उसके परिजनों की दहेज की मांग पूरी न करने के लिए गंभीर परिणामों की धमकी के अंतर्गत गया स्थित उसके पैतृक घर ले जाया गया था, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि इस मामले में कारित किया गया अपराध संहिता की धाराओं 178 और 179 को दृष्टि में रखते हुए निरंतर रूप से चालू प्रकृति का है जिसको अनेक स्थानों जिनमें गया भी एक स्थान है, में कारित किया गया है, गया के विद्वान मजिस्ट्रेट को वहां संस्थित दांडिक मामले पर विचार करने की अधिकारिता है।"

- (2) राजीव मोदी बनाम संजय जैन और अन्य 2010 (1) जे. आई. सी. 12 (एस. सी.) = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 2044 वाला मामला । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177, 178 और 482 की परिधि पर चर्चा की थी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्ति 'वाद हेतुक' पर अनेक विनिश्चयों पर भी विचार किया और निष्कर्ष पर पहुंचते हुए अभिनिर्धारित किया कि "क्षेत्रीय अधिकारिता गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि संपूर्ण या भागिक वाद हेतुक उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ हो और उसको इस बाबत जांच किए जाने के लिए जोर दिए बिना कि उक्त तथ्य सत्य है या नहीं, परिवाद में किए गए प्रकथनों के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए ।"
- (3) मनीश शुक्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2012 (1) जे. आई. सी. 431 (इलाहाबाद) वाला मामला । इस मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का प्रश्न सुरक्षा अधिकारी की घरेलू हिंसा रिपोर्ट का स्थान नहीं ले सकती । उक्त प्रश्न को अधिनियम की धारा 27 के उपबंध के अनुसार निर्णीत किया गया है जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है, को मामले में अधिकारिता प्राप्त होती है । न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि अधिकारिता का प्रश्न संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या उसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णीत नहीं किया जाना था और बजाए इसके यह प्रश्न केवल अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार निर्णीत किया जाना चाहिए था।
- (4) इस न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ, जिसमें मैं (न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ला) सदस्य रह चुका हूं, ने डा. जी. एन. सैगल और एक अन्य बनाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 4 अमरावती और दो अन्य 2007 की रिट याचिका संख्या 8410 और 2010 की अन्य सम्बद्ध रिट याचिका संख्या 9409 में अधिकारिता के विवाद्यक पर विचार किया था । इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने शब्द 'अधिकारिता' का संज्ञान लिया जैसाकि घरेलू हिंसा अधिनयम की धारा 27 के अधीन परिभाषित किया गया है –

"अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि विधान-मंडल ने व्यथित महिला को अनैतिक व्यक्तियों. जो उसको धारा 27 के अधीन आच्छादित स्थानों पर प्रताडित करते हैं या उसके साथ गाली-गलौज करते हैं, के विरुद्ध मामला संस्थित कराने जैसे व्यापक विकल्प इस आशय के साथ उपलब्ध कराए हैं कि महिलाएं उस स्थान को चून सके जो उनकी सुविधा, आराम और पहुंच के अनुकूल हों । अधिनियम के अधीन संरक्षण प्रदान किया है । अत:, 'घरेलु हिंसा' का स्थान और व्यथित महिला का स्थान दो अलग-अलग स्थान हैं जो अधिनियम के अधीन कार्यवाही के स्थान हैं जहां मजिस्ट्रेट अधिनियम के अधीन निदेश जारी कर सकता है । विधान-मंडल ने उपबंधित किया है कि अधिकारिता का अवलंब व्यथित व्यक्ति द्वारा अस्थायी निवास के आधार पर लिया जा सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपबंध ऐसे व्यथित व्यक्ति के लिए बनाया गया है जो अपना पारिवारिक निवास खो चुका है और अपने किसी नातेदार के साथ या अपने किसी मित्र के साथ किसी ऐसे स्थान पर रहने के लिए विवश है जो अस्थायी प्रकृति का है और जहां घरेलू हिंसा कारित नहीं की गई थी या जहां उसका वैवाहिक गृह नहीं था।"

धारा 27 उपबंधित करती है कि ऐसी महिला उस न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब ले सकती है जहां वह घरेलू हिंसा कारित किए जाने के कारण निवास करने के लिए विवश है । अस्थायी निवास ऐसा होना चाहिए जहां कोई व्यथित व्यक्ति घरेलू हिंसा की परिस्थितियों के कारण निवास करता है । अतः, अधिनियम की धारा 27 में एक विलक्षण उपबंध अधिनियमित किया गया जो किसी अन्य विधि में उपस्थित नहीं है । घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं के विनिर्दिष्ट वर्ग, जिनको वित्तीय, आर्थिक और शारीरिक रूप से अपमानित किया गया है, के प्रयोजनार्थ एक कल्याणकारी विधान है और इसलिए इस अधिनियम के उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करते हों ।

शब्द 'अस्थायी निवास' शब्द 'अल्पावधि निवास' से भिन्न होता है । शब्द 'निवास करना' में कुछ स्थायीत्व अंतर्वलित होता है । यदि कोई व्यथित व्यक्ति ट्रेन द्वारा यात्रा करता है और अनेक

स्टेशनों से गुजरता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह उनमें से किसी भी स्थान पर आवेदन फाइल करने के लिए स्वतंत्र है या यदि कोई महिला अल्पावधि के लिए किसी गेस्ट हाउस में या किसी होटल में रहती है, तो भी उसको उसका अस्थायी निवास कहा जा सकता है । घरेलु हिंसा अधिनियम ऐसा पहला अधिनियम है जिसमें किसी व्यथित व्यक्ति के अस्थायी निवास को भी न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिए जाने के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान की गई है । अभिव्यक्ति निवास का अर्थ है 'निवास बनाना' – निवास करने के लिए स्थान । सामान्यतया निवास करने के लिए स्थान इस आशय के साथ बनाया जाता है जिससे कि उस स्थान पर पर्याप्त अवधि के लिए निवास किया जा सके या वहां पर निवास किया जा सके । यह एक ऐसा स्थान है जहां कि व्यक्ति का घर होता है । वेब्सटर शब्दकोश में शब्द 'निवास' का अर्थ है पर्याप्त समय की अवधि के लिए निवास करना । इसलिए शब्द 'निवास करने योग्य स्थान' को किसी व्यक्ति, जिसने तत्समय उस स्थान को अपना घर बनाने का निर्णय कर लिया है. का अस्थायी रूप से निवास किए जाने योग्य स्थान होना चाहिए । यद्यपि यह संभव है कि उसने उस स्थान पर स्थायी रूप से या पर्याप्त समयावधि के लिए निवास करने का निर्णय न लिया हो, किंतु तत्समय यह उसका निवास स्थान होना चाहिए और यह ऐसा स्थान नहीं हो सकता जहां कोई व्यक्ति आकस्मिक रूप से जाता है या जलवायु परिवर्तन के लिए अस्थायी रूप से पलायन करके जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध मामला फाइल करने के प्रयोजनार्थ जाता है।

(5) दीपक जोशी और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 2009 (1) जे. आई. सी. 600 (इलाहाबाद) = 2009 (2) इलाहाबाद ला जर्नल 252 वाला मामला । इस मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क निरंतर रूप से जारी रहने वाली क्रूरता के बारे में उल्लेख करती है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से किया गया प्रपीड़न सम्मिलित होता है । इस बात पर विचार किया जाना तत्वहीन होगा कि क्या विपक्षी अपने वैवाहिक घर या अपने पैतृक घर में रह रही है, यह निरंतर जारी रहने वाला अपराध है ।

25. जहां तक अपराध के कारित किए जाने में उसके ससुराल पक्ष के परिवार के सदस्यों को समनुदेशित भूमिका का संबंध है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि उनको अपराध के कारित किए जाने में सक्रिय भूमिका समन्देशित की गई है, चूंकि यह अभिकथित किया गया है कि परिवादिनी के पति की दादी (दादी सास), उसके पति के दादा (दादा सस्र), पति, देवर, चिचया सास और चिचया देवर ने परिवादिनी को कमरे में बंद कर दिया था, देवर, पति और ससुर ने उसको पकड़ लिया था और चिचया सास ने उसके ऊपर किरोसिन तेल से भरे बर्तन को उलट दिया था और जब उसकी सास ने उसको जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई तो संयोगवश उसकी बहन, जिसका नाम संगीता गिरी है, वहां पहुंच गई और उसकी रक्षा की । अतः, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के माध्यम से लगाए गए आरोप उनके द्वारा किए गए अपराध के कारण को दर्शित करते हैं । इसलिए, इस प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उपबंधित शक्ति का प्रयोग करते हुए विचारण में मध्यक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि यह मामला अपवादिक मामले की कोटि में नहीं आता जैसा कि उल्लेख माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भजन लाल** (उपरोक्त) वाले मामले में किया गया है।

26. विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अधिकारिता का प्रश्न इस आधार पर उठाते हुए आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया है कि अपराध निर्विवाद रूप से ससुराल में हुआ था और उक्त अपराध के कारण और परिवादिनी ने विवशकारी परिस्थितियों के अधीन ससुराल को छोड़ दिया था और वह अपने पिता-माता के घर में लखनऊ में रह रही है । उसका अपने पिता-माता के घर में रहना उसके ससुराल पक्ष द्वारा उसका निरंतर जारी रहने वाला उत्पीड़न है, इसलिए यह अपराध निरंतर जारी रहने वाले अपराध की कोटि में आता है और इसलिए यह अपराध उस स्थान की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर विचारण योग्य है जहां वह रह रही है, चाहे अस्थायी रूप से ही रह रही हो ।

27. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के कोरे परिशीलन से दर्शित होता है कि परिवादी को उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उनके गुड़गांव स्थित घर में उत्पीड़ित किया गया था और उस पर हमला किया गया था । उन्होंने दहेज के रूप में 10 लाख रुपए की मांग भी आरंभ कर दी थी । जब उसकी बहन ने मामले में मध्यक्षेप किया तो उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उससे कहा कि जब तक कि परिवादिनी 10 लाख रुपए लेकर नहीं आती, उसको घर में घूसने नहीं दिया जाएगा और वे उसके पति का

दूसरा विवाह कर देंगे ।

28. यह आरोप भी लगाया गया है कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसको उनके घर से निकाल दिया है और उसको वहां पर रखने से मना कर दिया है, इसलिए, शिकायतकर्ता अपने पिता-माता के घर में रह रही है ।

29. अतः, पूर्वोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी इच्छा से अपने पिता-माता के घर खुशी के साथ रह रही है, फिर भी यह साबित हो गया है कि वह वहां विवशकारी परिस्थितियों में और निश्चित रूप से उत्पीड़न की स्थिति में रह रही है जो अपराध की कोटि के अंतर्गत आता है और जिसको निरंतर रूप से चालू रहने वाला अपराध कहा जाता है । यदि एक बार अपराध लखनऊ में चालू हो जाता है तो इसका विचारण लखनऊ की स्थानीय क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जाता है । लखनऊ के विद्वान् मिजस्ट्रेट को भी अधिनियम की धारा 179 के अधीन अपराध का विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है चूंकि लखनऊ स्थित पिता-माता के घर में उसका रहना उस अपराध के परिणामस्वरूप है जो गुड़गांव में कारित किया गया है । अतः जैसािक ऊपर उद्धृत अनेक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, मामले के तथ्य विचारण के स्थान के विनिश्चरां में अभिनिर्धारित किया गया है, मामले के तथ्य विचारण के स्थान के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रचलित कारक होते हैं ।

- 30. जैसी कि मताभिव्यक्ति की गई है, प्रस्तुत मामले के तथ्यों से परिवादी के विरुद्ध गुड़गाव में आवेदकों द्वारा कारित अपराध का लखनऊ में भी चालू रहना साबित हो जाता है, इसलिए, मेरा विचार है कि लखनऊ के विद्वान् मजिस्ट्रेट को लखनऊ के महिला पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-क, 313, 323, 406, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन 2010 के मामला अपराध संख्या 72 से उद्भूत 2010 का मामला संख्या 11032 के विचारण की अधिकारिता प्राप्त है।
- 31. घरेलू हिंसा अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") के अधीन अपराध के विचारण का स्थान अधिनियम की धारा 27 द्वारा विनियमित है । धारा 27 की उपधारा 1(क) की उपधारा 4(क) उपबंधित करती है कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट का न्यायालय जैसा भी मामला हो, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है, अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने का सक्षम न्यायालय

होगा । परिवादिनी ने दावा किया है कि परिवाद संस्थित किए जाने की तारीख पर उसका निवास लखनऊ में था जिसका खंडन आवेदकों द्वारा उस कंपनी, जहां वह अभिकथित रूप से नियोजित थी, द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ कागजों के आधार पर किया गया है । उक्त दस्तावेजों में सेवा में उसकी हैसियत को परिवाद संस्थित किए जाने की तारीख पर जो विचारण के स्थान के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ स्संगत तारीख है, सक्रिय कर्मचारी के रूप में प्रमाणित किया गया है । उसने परिवाद में अभिकथित किया है कि तारीख 23 मई, 2010 को उसका उपचार नीलकंठ अस्पताल में किया गया था और उसके पश्चात से वह अपने पिता-माता के घर में रह रही है । इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने एक निजी कंपनी में अपने नियोजन को स्वीकार किया है, किंतू उसने नियोजन को चालू रखने में अनिच्छा दर्शित की है। उसने यह भी अभिकथित किया है कि वह कार्य छोड़ रही है और त्यागपत्र प्रस्तुत कर रही है । उसने परिवाद के पैराग्राफ 19 में विनिर्दिष्ट रूप से अभिकथित किया है कि अब वह बेरोजगार है और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है चूंकि उसने अपनी नियोक्ता कंपनी में त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया है । उसने पैराग्राफ 10 में अभिकथित किया है कि अब वह अपने पिता-माता के घर में रहेगी चूंकि उसके पिता-माता के अलावा उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है।

32. पूर्वोक्त तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उसने आवेदन की तारीख पर त्यागपत्र प्रस्तुत किए जाने के द्वारा अपना कार्य छोड़ दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के नियोजन में उसकी हैसियत उसका त्यागपत्र स्वीकार न किए जाने के कारण सक्रिय कर्मचारी के रूप में दर्शित की गई है किंतु कंपनी द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि वह कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रही थी। उसके पक्षकथन कि अब वह लखनऊ में अपने पिता-माता के घर में रहेगी, का निर्वचन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि वह उस तारीख पर वहां नहीं रह रही थी, चूंकि उस तारीख पर भी पिता-माता के घर में रहते हुए भी वह यह अभिकथित कर सकती थी वह अब अपने पिता-माता के घर में रहेगी। अतः यह बात सुस्थापित हो जाती है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन परिवाद संस्थित किए जाने की तारीख पर उसका निवास अस्थायी रूप से लखनऊ में था, इसलिए मेरा विचार है कि लखनऊ के विद्वान् मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन कारित अपराध का विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है।

33. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12(1) को नीचे उल्लेख किया

गया है :-

"12(1). **मजिस्ट्रेट को आवेदन** – कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा:

परंतु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है:

परंतु जहां किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी ।"

34. पूर्वोक्त उपबंधों के प्रकाश में आवेदकों के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि पूर्वोक्त धारा के अधीन मामले में अग्रसर होने के प्रयोजनार्थ उसके (मजिस्ट्रेट के) द्वारा विचारण के लिए संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध होनी चाहिए जबिक मेरा विचार है कि यह अनिवार्य नहीं है । क्योंकि धारा 12 के उपबंध किसी ऐसे आवेदन पर विचार किए जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं जो व्यथित व्यक्ति द्वारा या किसी संरक्षण अधिकारी द्वारा या व्यथित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पर कोई आदेश पारित करने के पूर्व संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त की गई किसी घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

35. अधिनियम की धारा 9(1)(ख) संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित करती है । यह धारा उपबंधित करती है कि (1) यह संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य होगा – (ख) किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर, किसी मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना और उस पुलिस थाने के, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, भारसाधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को, उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करना ।

36. अधिनियम की धारा 10(2) सेवा प्रदाता की शक्तियों पर चर्चा करती है और उपबंधित करती है कि किसी सेवा प्रदाता के पास, जो उपधारा (1) के अंतर्गत रिजस्ट्रीकृत है, विहित प्ररूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करने और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा हुई है, अधिकारिता रखने वाले मिजस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करने की शक्ति होगी।

37. पूर्वोक्त उपबंधों के कोरे परिशीलन से दर्शित होता है कि संरक्षण अधिकारी और साथ ही सेवा प्रदाता व्यथित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए विधि का अवलंब लेने के औजार हैं । इसलिए, धारा 12 स्वयमेव व्यथित व्यक्ति द्वारा या संरक्षण अधिकारी द्वारा या व्यथित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अनुज्ञा प्रदान करती है और मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन के प्रस्तुतीकरण पर ऐसी किसी भी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करेगा जो उसके द्वारा संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से आवेदन पर कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व प्राप्त की गई हो । अतः, संरक्षण अधिकारी और साथ ही साथ सेवा प्रदाता, दोनों को व्यथित व्यक्ति की सहायता करने के लिए सशक्त किया गया है, किंतु उनको मामले में अन्वेषण अभिकरण नहीं कहा जा सकता है ।

38. इसलिए, मेरा यह विचार है कि लखनऊ की स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिकारिता रखने वाले संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि गुड़गांव के संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट । अतः, लखनऊ के विद्वान् मजिस्ट्रेट लखनऊ, जहां परिवादिनी अपने पिता-माता के घर में अस्थायी रूप से निवास कर रही है, के संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं ।

39. इन परिस्थितियों में, मैं लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

द्वारा 2010 के मामला संख्या 11032 में पारित तारीख 16 जनवरी, 2012 के आदेश में या 2010 के प्रकीर्ण मामला संख्या 509 में पारित तारीख 16 फरवरी, 2012 के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते । परिणामस्वरूप, दोनों दांडिक मामलों अर्थात् 2012 के दांडिक प्रकीर्ण मामला संख्या 290 और 2012 के दांडिक प्रकीर्ण मामला संख्या 990 एतद्द्वारा खारिज किए जाते हैं ।

40. यह मताभिव्यक्ति की जाती है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ऊपर की गई मताभिव्यक्तियों या व्यक्त किए गए विचार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बिना अपराधों का विचारण करेंगे।

याचिकाएं खारिज की गईं।

शु.

(2014) 1 दा. नि. प. 320

छत्तीसगढ

ईश्वर और एक अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 7 मार्च, 2013

न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(छ) – सामूहिक बलात्संग – अभियोक्त्री द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के कथन, धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन और न्यायालय के समक्ष किए गए कथन में विसंगति, अभियुक्त द्वारा बलात्संग के दौरान अभियोक्त्री के किसी विरोध तथा अभियोक्त्री को किसी प्रकार की कोई क्षति न होने या उसके कपड़े या चूड़ियां टूटने का कोई साक्ष्य न होने पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह सहमत पक्षकार थी, अतः अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 8 नवंबर, 1995 को अभियोक्त्री द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जो सुसंगत समय पर लगभग 18 वर्ष आयु की विवाहित महिला थी, उसने यह अभिकथन किया है कि

उस दिन लगभग 7.00 बजे अपराह्न जब वह अपने पति के साथ आलुबुखारा बेचने के लिए रायपुर जा रही थी और उसका पित उससे लगभग 1 फर्लांग आगे चल रहा था, अभियुक्त/अपीलार्थी ईश्वर ने उसके द्वारा ले जा रही टोकरी को धक्का दिया और उसका मुंह बंद कर दिया तथा अभियुक्त/नरेन्द्र हाथ पकड़ कर उसको ले गए जहां दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से बलपूर्वक मैथून किया । अपराध करने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी घटनास्थल से चले गए । वह रोने लगी और उसकी आवाज सूनकर उसका पति रुक गया और उसने उसे सम्पूर्ण घटना के बारे में बताया । जब रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना जा रहे थे तो सोनाई और धानी उसे मिले और उसने उन्हें भी घटना का वृत्तांत सुनाया । इस रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 341, 376/34 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात दंड संहिता की धारा 341, 376(2)(झ)/34 के अधीन तारीख 11 दिसंबर, 1995 को आरोप पत्र फाइल किया गया । निचले न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन आरोप विरचित किए । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 9 साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त/ अपीलार्थियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किए गए जिस पर उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषिता और मामले में मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक किया । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में मैथारू राम की परीक्षा भी कराई । पक्षकारों को स्नने के पश्चात् निचले न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के विरुद्ध यह अपील की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित — अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त/ अपीलार्थियों को जानती थी और घटना की तारीख को उसका पित आलुबुखारा बेचने के लिए रायपुर गया हुआ था और जब वह उसे खाना देने के लिए जा रही थी तब ग्राम लखौली के नजदीक अभियुक्त/अपीलार्थी उसके पीछे से आए और उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया और उसे नजदीक के खेत पर खींच कर ले गए और उसके साथ बारी-बारी से बलपूर्वक मैथुन किया । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ईश्वर के कार्य पर वह काफी क्रोधित हुई थी और उसने उससे बातचीत की और उसे शांत करने का प्रयास किया और अपना सकार्फ लहराते हुए उसे शांत करने का

प्रयास किया । अपना कार्य पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी उसके साथ मध्य रास्ते तक आए और तब वह रोते हुए अपने पित के पास गई और जब उसके पित ने उससे पूछताछ की तब उसने दो व्यक्तियों अर्थात् सोनाई और धनी राम के समक्ष उसे सम्पूर्ण घटना के बारे में बताया । इसके पश्चात, वह पुलिस थाना मंदिर हसाउद गई और रिपोर्ट दर्ज की । प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी ईश्वर के साथ उससे संतान पैदा करने की इच्छा से शारीरिक संबंध किए थे । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पूर्व में उसके पति ने 4-5 महिलाओं का परित्याग किया था क्योंकि उसकी उनसे कोई संतान पैदा नहीं हुई थी और तब उसने छूदी रीति रिवाज के माध्यम से विवाह किया था । तथापि, इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसके संतान पैदा करने के आशय से अभियुक्त ईश्वर के साथ शारीरिक संबंध थे । पैरा सं. 16 में उसने इस बात से इनकार किया है कि रिपोर्ट दर्ज करते समय उसने पुलिस को यह बताया कि वह अपने पति के साथ आलुबुखारा बेचने के लिए रायपुर जा रही थी और जब घटना घटी तब वह अपने पति को नहीं देख सकी परंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में "ख" से "ख" चिह्नित भाग जहां यह उल्लेख किया गया है कि उसकी चीख-पुकार सुनकर पति रुक गया था और वह उसके पास गई और उसके द्वारा पुलिस को यह बात नहीं बताई गई थी । पैरा 18 में उसने यह स्वीकार किया है कि उसे कोई क्षति नहीं पहुंची और उसके कपड़े भी नहीं फटे थे और न चूड़ियां उसकी टूटी थीं । उसके अनुसार अभियुक्त/ अपीलार्थियों ने उसे कोई क्षति भी पहुंचाई थी और न उसके कपड़े फाड़े थे । पैरा 19 में उसने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ईश्वर ने 1/2 घंटा तक अपना सकार्फ हिलाकर उसको शांत करने का प्रयास किया और जब उसने ठीक महसूस किया तो वह उसे मध्य रास्ते तक ले गया और उसे यह कहते हुए वहां छोड़ दिया कि उसका पति स्टेशन में होगा । पैरा 20 में उसने यह स्वीकार किया है कि जब अपीलार्थी उसे शांत करने का प्रयास कर रहे थे तब उनके हाथ खाली थे और उससे यह कहा कि वह कुछ समय के अंदर अच्छा महसूस करेगी । रघुनंदन अभियोक्त्री के पति ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री उसके पास आई थी और उसे यह बताया कि उससे अभियुक्त/अपीलार्थियों ने मैथून किया था और उस समय सोनाई और धनी राम भी वहां पर मौजूद थे । यह साक्षी अपनी प्रतिरक्षा में दृढ रहा जो कुछ भी उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया । सोनाई बाई ने यह कथन किया है कि घटना की तारीख को वह आलुबुखारा बेचने के लिए ग्राम लखौली गई थी और स्टेशन में अभियोक्त्री रोते हुए पहुंची थी और

उसने अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया । उसके अनुसार, उस समय उसका पति और गांव के अन्य लोग भी वहां पर थे । राम खिलावन प्रदर्श पी-2 के अंतर्गत अभिगृहीत पेटीकोट का साक्षी है । डा. के. एस. राय वह साक्षी है जिन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थियों की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की और अपनी रिपोर्ट यह कहते हुए दी थी कि वे मैथून करने में समर्थ थे । छवि राम दीवान पटवारी है जिसने घटनास्थल नक्शा तैयार किया था । राजभान तिवारी अन्वेषक अधिकारी है जिसने अभियोजन पक्षकथन का सम्यक रूप से समर्थन किया है । अमरनाथ वह साक्षी है जिसने अन्वेषण में सहायता की थी । डा. (श्रीमती) निधि गुप्ता वह साक्षी है जिन्होंने अभियोक्त्री की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की और यह कहते हुए अपनी रिपोर्ट दी थी कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी क्षति नहीं थी और वह विवाहित महिला थी तथा मैथून की अभ्यस्थ थी । मैथारू राम यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के पति द्वारा उसे यह सुचना दी गई थी कि अभियोक्त्री के अपीलार्थी ईश्वर के साथ अवैध संबंध थे जबिक अभियुक्त नरेन्द्र ईश्वर का सिक्रय संदेशवाहक था । अभियोक्त्री के पति ने इस साक्षी को यह भी बताया था कि यदि अभियुक्त/अपीलार्थी प्रत्येक 10,000/- रुपए का संदाय करे तो वह अभियोक्त्री को अपने विश्वास में लेने के पश्चात मामले को समाप्त कर देगा । अभिलेख से यह प्रकट है कि अभियोक्त्री प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन तथा न्यायालय के समक्ष किए गए अभिसाक्ष्य में कुछ बातों का उल्लेख करने में संगतता नहीं रही है और उसने सभी समयों पर पूर्णतया भिन्न-भिन्न कहानी वर्णित की है । अभिलेख से यह भी दर्शित है कि जब वह अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा किए गए बलात्संग के अध्यधीन रही तब उसने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि अभिलेख पर कोई ऐसी बात प्रकट नहीं हुई है कि उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंची या उसके कपड़े फाड़े गए या उसकी चूड़ियां तोड़ी गई । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मिथ्या फंसाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त, एकमात्र प्रतिरक्षा साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के अपीलार्थी ईश्वर के साथ अवैध संबंध थे और दूसरा अभियुक्त नरेन्द्र उसका संदेशवाहक के रूप में कार्य किया करता था । उसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के पति ने अभियुक्त/अपीलार्थी प्रत्येक से 10,000/- रुपए की मांग की थी जिससे कि वह मामले को सुलझा सके । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट भी अभिलेख पर नहीं है इस प्रकार अभियोजन के मामले में त्रुटि को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं । (पैरा 8

और 9)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1997 की दांडिक अपील सं. 1315.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से

श्री सुनील साहू

प्रत्यर्थी की ओर से

श्रीमती मधुनिशा सिंह

न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर – यह अपील 1996 के सेशन विचारण सं. 72 में अपर सेशन न्यायाधीश, रायपुर द्वारा तारीख 30 जून, 1997 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसमें दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त/ अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया और उनमें से प्रत्येक को 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 8 नवंबर, 1995 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) द्वारा दर्ज की गई थी जो उस सुसंगत समय पर लगभग 18 वर्ष आयु की विवाहित महिला है, उसने यह अभिकथन किया है कि उस दिन लगभग 7.00 बजे अपराह्न जब वह अपने पति के साथ आलुबुखारा बेचने के लिए रायपुर को जा रही थी और उसका पति उससे लगभग 1 फर्लांग आगे चल रहा था, अभियुक्त/अपीलार्थी ईश्वर ने उसके द्वारा ले जा रही टोकरी को धक्का दिया और उसका मुंह बंद कर दिया तथा अभियुक्त/नरेन्द्र उसके हाथ पकड़ कर उसको ले गए जहां उन दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से बलपूर्वक मैथून किया था अपराध करने के पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी घटनास्थल से चले गए और वह रोने लगी जिसकी आवाज सुनकर उसका पति रुक गया और उसने उसे सम्पूर्ण घटना के बारे में बताया जब रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना जा रहे थे सोनाई और धानी उसे मिले और उसने उन्हें भी घटना का वृत्तांत सुनाया । इस रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 341, 376/34 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 341, 376(2)(झ)/34 के अधीन तारीख 11 दिसंबर, 1995 को आरोप पत्र फाइल किया गया तथापि, निचले न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन आरोप विरचित किए ।

- 3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 9 साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त/अपीलार्थियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किए गए थे जिस पर उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषिता और मामले में मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में मैथारू राम (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की परीक्षा भी कराई थी ।
- 4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् निचले न्यायालय ने अभियुक्त/ अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसाकि निर्णय के पैरा सं. 1 में उल्लिखित है।
- 5. पक्षकारों के काउंसेल को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया ।
- 6. अभियुक्त/अपीलार्थियों के काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अति असंभावित कहानी सामने रखी गई है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए यथार्थ रूप से यह समझना असंभव है जब कोई महिला जो अपने पति के साथ चल रही है इस प्रकृति का अपराध कारित हो जाए । अपीलार्थियों के काउंसेल के अनुसार अभियोक्त्री का न्यायालय में कथन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा केस डायरी कथन प्रदर्श डी-1 से बिलकुल भिन्न है क्योंकि न्यायालय में उसने यह कथन किया है कि उसका पति आलुबुखारा बेचने के लिए गया हुआ था और जब वह उसे खाना देने के लिए जा रही थी तब अभियुक्त/अपीलार्थियों उसे रास्ते पर मिले और उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया और उसे खेत पर ले गए और उसके साथ बलपूर्वक मैथून किया जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और केस डायरी कथन में उसने यह कथन किया है कि जब वह अपने पति के साथ आलुबुखारा बेचने के लिए जा रही थी, अभियुक्त/अपीलार्थी ईश्वर ने आलुबुखारा से भरी हुई उसकी टोकरी गिरा दी और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और अभियुक्त नरेन्द्र ने उसे हाथों से पकड़ लिया और उसे खेत पर ले गए जहां उन दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ बलपूर्वक मैथून किया था । उसने यह भी अनुरोध किया है कि एकमात्र प्रतिरक्षा साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के अभियुक्त ईश्वर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और दूसरा अभियुक्त नरेन्द्र उनके बीच मध्यस्थ का कार्य कर रहा था । उसने यह अनुरोध किया कि अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट

अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं करती ।

- 7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी/राज्य के काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि अभियोक्त्री के कथन में कितपय छोटे-मोटे विभेद और लोप को छोड़कर पूर्णतया विश्वासयोग्य है और इसलिए निचले न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करके पूर्णतया न्यायसंगत कार्य किया है जैसाकि ऊपर उल्लिखित है।
- 8. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थियों को जानती थी और घटना की तारीख को उसका पति आल्बुखारा बेचने के लिए रायपुर गया हुआ था और जब वह उसे खाना देने के लिए जा रही थी तब ग्राम लखौली के नजदीक अभियुक्त/ अपीलार्थी उसके पीछे से आए और उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया और उसे नजदीक के खेत पर खींच कर ले गए और उसके साथ बारी-बारी से बलपूर्वक मैथून किया । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ईश्वर के कार्य पर वह काफी क्रोधित हुई थी और उसने उससे बातचीत की और उसे शांत करने का प्रयास किया और अपना सकार्फ लहराते हुए उसे शांत करने का प्रयास किया । अपना कार्य पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त/ अपीलार्थी उसके साथ मध्य रास्ते तक आए और तब वह रोते हुए अपने पति के पास गई और जब उसके पति ने उससे पृछताछ की तब उसने दो व्यक्तियों अर्थात सोनाई और धनी राम के समक्ष उसे सम्पूर्ण घटना के बारे में बताया । इसके पश्चात, वह पुलिस थाना मंदिर हसाउद गई और रिपोर्ट दर्ज की । प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी ईश्वर के साथ उससे संतान पैदा करने की इच्छा से शारीरिक संबंध किए थे । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पूर्व में उसके पति ने 4-5 महिलाओं का परित्याग किया था क्योंकि उसकी उनसे कोई संतान पैदा नहीं हुई थी और तब उसने छूदी रीति रिवाज के माध्यम से विवाह किया था । तथापि, इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसके संतान पैदा करने के आशय से अभियुक्त ईश्वर के साथ शारीरिक संबंध थे । पैरा सं. 16 में उसने इस बात से इनकार किया है कि रिपोर्ट दर्ज करते समय उसने पुलिस को यह बताया कि वह अपने पति के साथ आलुबुखारा बेचने के लिए रायपुर जा रही थी और जब घटना घटी तब वह अपने पति को नहीं देख सकी परंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में

छत्तीसगढ

"ख" से "ख" चिह्नित भाग जहां यह उल्लेख किया गया है कि उसकी चीख-पुकार सुनकर पति रुक गया था और वह उसके पास गई और उसके द्वारा पुलिस को यह बात नहीं बताई गई थी । पैरा 18 में उसने यह स्वीकार किया है कि उसे कोई क्षति नहीं पहुंची और उसके कपड़े भी नहीं फटे थे और न उसकी चूड़ियां टूटी थीं । उसके अनुसार अभियुक्त/ अपीलार्थियों ने उसे कोई क्षति भी नहीं पहुंचाई थी और न उसके कपड़े फाड़े थे । पैरा 19 में उसने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ईश्वर ने 1/2 घंटा तक अपना स्कार्फ हिलाकर उसको शांत करने का प्रयास किया और जब उसने ठीक महसूस किया तो वह उसे मध्य रास्ते तक ले गया और उसे यह कहते हुए वहां छोड़ दिया कि उसका पति स्टेशन में होगा । पैरा 20 में उसने यह स्वीकार किया है कि जब अपीलार्थी उसे शांत करने का प्रयास कर रहे थे तब उनके हाथ खाली थे और उससे यह कहा कि वह कुछ समय के अंदर अच्छा महसूस करेगी । रघुनंदन (अभि. सा. 2) अभियोक्त्री के पति ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री उसके पास आई थी और उसे यह बताया कि उससे अभियुक्त/अपीलार्थियों ने मैथून किया था और उस समय सोनाई और धनी राम भी वहां पर मौजूद थे । यह साक्षी अपनी प्रतिरक्षा में दृढ रहा जो कुछ भी उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया । सोनाई बाई (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि घटना की तारीख को वह आलुबुखारा बेचने के लिए ग्राम लखौली गई थी और स्टेशन में अभियोक्त्री रोते हुए पहुंची थी और उसने अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया । उसके अनुसार, उस समय उसका पति और गांव के अन्य लोग भी वहां पर थे । राम खिलावन (अभि. सा. 4) प्रदर्श पी-2 के अंतर्गत अभिगृहीत पेटीकोट का साक्षी है । डा. के. एस. राय (अभि. सा. 5) वह साक्षी है जिन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थियों की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 और पी-4 यह कहते हुए दी थी कि वे मैथ्न करने में समर्थ थे । छवि राम दीवान (अभि. सा. 6) पटवारी है जिसने घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था । राजभान तिवारी (अभि. सा. 7) अन्वेषक अधिकारी है जिसने अभियोजन पक्षकथन का सम्यक रूप से समर्थन किया है । अमरनाथ (अभि. सा. 8) वह साक्षी है जिसने अन्वेषण में सहायता की थी । डा. (श्रीमती) निधि गुप्ता (अभि. सा. 9) वह साक्षी है जिन्होंने अभियोक्त्री की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की और यह कहते हुए अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 दी थी कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी क्षति नहीं थी और वह विवाहित महिला थी

तथा मैथुन की अभ्यस्थ थी । मैथारू राम (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के पित द्वारा उसे यह सूचना दी गई थी कि अभियोक्त्री के अपीलार्थी-ईश्वर के साथ अवैध संबंध थे जबिक अभियुक्त-नरेन्द्र ईश्वर का सिक्रय संदेशवाहक था । अभियोक्त्री के पित ने इस साक्षी को यह भी बताया था कि यदि अभियुक्त/अपीलार्थी प्रत्येक 10,000/-रुपए का संदाय करे तो वह अभियोक्त्री को अपने विश्वास में लेने के पश्चात मामले को समाप्त कर देगा ।

- 9. इस प्रकार, अभिलेख से यह प्रकट है कि अभियोक्त्री प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन तथा न्यायालय के समक्ष किए गए अभिसाक्ष्य में कुछ बातों का उल्लेख करने में संगत नहीं और उसने सभी समयों पर पूर्णतया भिन्न-भिन्न कहानी वर्णित की है । अभिलेख से यह भी दर्शित है कि जब वह अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा किए गए बलात्संग के अध्यधीन रही तब उसने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि अभिलेख पर कोई ऐसी बात प्रकट नहीं हुई है कि उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंची या उसके कपड़े फाड़े गए या उसकी चूड़ियां तोड़ी गईं । इस प्रकार, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मिथ्या फंसाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त, एकमात्र प्रतिरक्षा साक्षी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के अपीलार्थी ईश्वर के साथ अवैध संबंध थे और दूसरा अभियुक्त नरेन्द्र उसका संदेशवाहक के रूप में कार्य किया करता था । उसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के पति ने अभियुक्त/अपीलार्थी, प्रत्येक से 10,000/- रुपए की मांग की थी जिससे कि वह मामले को सुलझा सके । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट भी अभिलेख पर नहीं है इस प्रकार अभियोजन के मामले में पूर्वोक्त त्रुटि को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।
- 10. तद्नुसार अपील मंजूर की जाती है । आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है । अभियुक्त अपीलार्थी को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त/अपीलार्थी जमानत पर हैं उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

अशोक

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

तारीख 3 जुलाई, 2013

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रंगनाथ चन्द्राकर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपिठत साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां पारिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी संपूर्ण नहीं है, कोई भी पारिस्थितिक साक्ष्य पूर्णतः स्थापित नहीं है, हेतु पर्याप्त और निश्चायक नहीं है, साक्ष्य अनुश्रुत है और अभियुक्त द्वारा स्वीकृति ठीक से स्थापित नहीं की गई है वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध करना उचित और न्यायसंगत नहीं है।

5-6 मई, 1997 की मध्य रात्रि में मृतक जीवराखान अपनी कृटिया में सो रहा था जो उसके खेत में स्थित था जो ग्राम नर्रा की परिसर में स्थित है । प्रातः उसका शव कृटिया में पाया गया । उसे कई गंभीर क्षतियां पहुंची थीं । मृतक का पुत्र गिरधारी लाल ने हत्या की सूचना दर्ज कराई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । अन्वेषक अधिकारी घटना के स्थान पर पहुंचा और नोटिस पंचों को दिया और मृतक के शव की मृत्यू-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की । शव को शव परीक्षण के लिए भेजा गया था । डा. उलास गोनाडे द्वारा शव परीक्षण किया गया था जिन्होंने मृतक के शव पर कई गंभीर क्षतियां पाईं और यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध था जो गला घोंटने के परिणामस्वरूप हुआ था तथा मृत्यू मानववध प्रकृति की थी । शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है । तारीख 14 मई, 1997 तक पुलिस इस बारे में पता नहीं लगा सकी कि अपराधी कौन हैं । तथापि, उक्त तारीख को हेम लाल का कथन अभिलिखित किया गया था जिसने यह कथन किया कि उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को कृटिया के नजदीक अपीलार्थियों को देखा था । इसके पश्चात् अन्य साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए थे । आगे अन्वेषण करके अपीलार्थी-सुन्दर को तारीख 18 मई, 1997 को अभिरक्षा में लिया गया और उसका ज्ञापन कथन प्रदर्श पी-15 साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित

किया गया और लाठी तथा 4,000/- रुपए की नकदी उसके कहने पर अभिगृहीत की गई थी । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि मृतक के अपीलार्थी अशोक की माता से अवैध संबंध थे इसलिए, अशोक और अपीलार्थी सुन्दर (दोनों अभियुक्त) ने तारीख 5-6 मई, 1997 की मध्यरात्रि में मृतक की हत्या कर दी थी, जब वह अपनी कुटिया में सो रहा था । अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्तों को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । सेशन न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हेम लाल के डायरी कथन तारीख 14 मई, 1997 को अभिलिखित किया गया था । न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि उसके डायरी कथन में उसने इस तथ्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि वह उसे दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में टार्च चला रहा था । जब अपने डायरी कथन में उपरोक्त लोप का सामना कर रहा था तब उसने यह उत्तर दिया कि उसने पुलिस को टार्च के बारे में कथन किया था जब उसके डायरी कथन अभिलिखित किए जा रहे थे और वह इस बारे में कोई कारण नहीं बता सकता । उक्त तथ्य के बारे में उसने उल्लेख क्यों नहीं किया । टार्च रखे जाने की कहानी अपने न्यायालय साक्ष्य में समाविष्ट किया जाना प्रतीत होता है क्योंकि उसके डायरी कथन में उसका कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता । सामान्य परिस्थितियों में प्रकाश के अभाव में गहरा अंधेरा था । कोई सामान्य व्यक्ति 335-340 फूट की दुरी से किसी व्यक्ति की पहचान करने में समर्थ नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि उसने तारीख 14 मई, 1997 से पूर्व पुलिस को इन सभी तथ्यों के बारे में नहीं बताया गया था । इससे यह अभिप्रेत होता है कि वह लगभग 10 दिन तक चुप रहा । जबिक वह घटना के उसी दिन पुलिस के समक्ष मौजूद रहा था, सामान्य परिस्थिति में उसने उक्त तारीख को उक्त तथ्यों के बारे में कथन किया होगा । उसने यह दावा किया है कि उसने उक्त तारीख को पुलिस को इन सभी तथ्यों के बारे में कथन किया है परंत् उसके वृत्तांत से अन्वेषक अधिकारी जोगिन्दर के साक्ष्य से सम्पृष्टि नहीं होती है जिन्होंने पैरा 13 और 17 में यह अभिसाक्ष्य दिया कि इस साक्षी के कथन तारीख 14 मई, 1997 को अभिलिखित किया गया था और इससे पूर्व कोई कथन अभिलिखित नहीं किया गया था और इसके अतिरिक्त, तारीख 14 मई, 1997 को उसका कथन प्रदर्श डी-2 पर उसने कभी भी रात्रि में टार्च रखने

के बारे में कथन नहीं किया है । अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के प्रकाश में हेम लाल के सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् रूप से मूल्यांकन करने पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसका वृत्तांत विश्वसनीय नहीं था । न्यायालय का यह मत है कि विद्वान सेशन न्यायाधीश हेम लाल के परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर गलती की है और यह अभिनिर्धारित किया कि यह साबित हुआ है कि अपीलार्थी उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में कृटिया के नजदीक देखे गए थे । न्यायालय ने अभिलेख से यह निष्कर्ष निकाला है कि इन साक्षियों के डायरी कथन तारीख 14 मई, 1997 और 16 मई, 1997 को अभिलिखित किए गए थे । ये साक्षी ग्राम नारा के स्थानीय निवासी थे । उनका पक्षकथन यह नहीं है कि वे उस स्संगत समय पर गांव में मौजूद नहीं थे । यदि वे तारीख 6 मई, 1997 से गांव में पूरी तरह मौजूद थे तो उन्होंने तारीख 14 मई, 1997 और 16 मई, 1997 से पूर्व जिसको इन सभी तथ्यों के बारे में क्यों नहीं बताया जब उनके डायरी कथन अभिलिखित किए गए थे । इन साक्षियों द्वारा या अन्वेषक अधिकारी द्वारा इतने विलंब से उनके डायरी कथन अभिलिखित करने के बारे में किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । न्यायालय का यह मत है कि इन साक्षियों द्वारा विलंब से प्रकटीकरण किया गया है जिससे उनके परिसाक्ष्यों पर संदेह उत्पन्न होता है और उनका साक्ष्य संदेहास्पद हो गया है । इसके अतिरिक्त, यदि वे इन बातों को जानते थे तब अपीलार्थी मृतक की हत्या करना चाहता था, सामान्य मानव आचरण में उन्होंने घटना घटने के पूर्व या घटना घटने के तत्काल पश्चात् मृतक के कुटुंब के सदस्यों को कम से कम इन तथ्यों के बारे में बताना चाहिए था और ऐसा उन्होंने नहीं किया तो यह एक दूसरा कारण है जिससे कि इन साक्षियों के साक्ष्य के साक्ष्य पर अविश्वास पैदा होता है । दूसरी परिस्थिति अपीलार्थी-सुन्दर द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन है । उक्त कथन के अनुसार जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था, लाठी और 4,000/- रुपए उसके कहने पर अभिगृहीत किए गए थे । अभियोजन पक्ष के अनुसार कि उक्त लाठी का प्रयोग मृतक की गर्दन को दबाने के लिए किया गया था । यद्यपि न्यायालय ने यह ध्यान दिया है कि उक्त वस्तुएं अपीलार्थी-सुन्दर के कब्जे से अभिगृहीत की गई थीं, किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त परिस्थिति अपराध में फंसाने वाली प्रतीत नहीं होती । यद्यपि, यह कहानी बनाई गई है कि मृतक की गर्दन को दबाने के लिए लाठी का प्रयोग किया गया था परंतु इसका कोई आधार नहीं है । अतः, अपीलार्थी-सुन्दर से बरामद और अभिग्रहण की परिस्थिति अपराध में

फंसाने वाली नहीं थी क्योंकि उस परिस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था । इस प्रकार, हेत् का महत्व और इसकी स्संगतता वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रारंभिक रूप से निर्भर करेगी । ऐसे किसी मामले में जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो तब हेत् को किसी अन्य परिस्थिति की भांति सिद्ध किया जाना चाहिए । वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए, हेतु को महत्व दिए जाने की उपधारणा की गई है । अभियोजन पक्ष द्वारा हेत् के बारे में यह स्झाव दिया गया है कि चुंकि अपीलार्थी-अशोक की माता और मृतक के बीच अवैध संबंध थे इसलिए अपीलार्थी-अशोक मृतक की हत्या करना चाहता था । इस बारे में अभियोजन पक्ष ने गिरीवर, नन्द कुमार और मन्नू लाल के परिसाक्ष्यों का अवलंब लिया गया । न्यायालय ने इन साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन किया । इन सभी साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने यह सुना था कि मृतक के अपीलार्थी-अशोक की माता से अवैध संबंध थे । गिरीवर मृतक का पुत्र है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे अवैध संबंधों के बारे में कोई निजी जानकारी नहीं थी और उसने उन सभी बातों को गांव में सुना था । जहां तक नन्द कुमार का संबंध है हमें पहले ही उसके साक्ष्य पर संदेह है । मन्नू लाल ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी-अशोक ने उसे यह बताया था कि मृतक का उसकी माता से अवैध संबंध था । उसके साक्ष्य में इस बारे में यह बात प्रकट नहीं हुई है कि अपीलार्थी-अशोक द्वारा उसे उपरोक्त तथ्य के बारे में कब बताया गया था । इसलिए, हेत् की परिस्थिति के संबंध में साक्ष्य पर्याप्त और निश्चायक नहीं था । यह साक्ष्य सुना-सुनाया साक्ष्य है और अभियुक्त द्वारा दी गई स्वीकृति समुचित रूप से सिद्ध नहीं की गई थी । न्यायालय उपरोक्त पारिस्थितिक साक्ष्य के समृह पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखने में असमर्थ है । कोई भी परिस्थिति पूरी तरह साबित नहीं की गई थी । इस तरह साबित की गई परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं थीं । अधिकांशतः सभी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था और पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला पूरी भी नहीं हुई थी । (पैरा 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 7 एस. सी. सी. 759 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5686 : धर्नीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ;

15

[2002]	ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3164 : बोधराज उर्फ बोधा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य ;	6
[1995]	(1995) 3 एस. सी. सी. 228 = 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1644 : प्रेम कुमार बनाम बिहार राज्य ;	15
[1994]	(1994) 2 एस. सी. सी. 22 = 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 510 : धनन्जय चटर्जी बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य ;	6
[1987]	(1987) 2 एस. सी. सी. 352 = ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1268 : बाबू लोधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ।	15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1998 की दांडिक अपील सं. 1237.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अशोक वर्मा और श्रीमती रेणु कोचर प्रत्यर्थी की ओर से श्री विनोद टेकन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा ने दिया

न्या. सिन्हा – ये अपीलें 1997 के सेशन विचारण सं. 267 में तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायपुर द्वारा तारीख 15 मई, 1998 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई । आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भोगने तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने के संदाय किए जाने और संदाय किए जाने के व्यतिक्रम करने पर 2 मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :-

"2.1. 5-6 मई, 1997 की मध्य रात्रि में मृतक जीवराखान अपनी कुटिया में सो रहा था जिसका उसने खेत में निर्माण किया हुआ था जो ग्राम नर्रा की परिसर में स्थित है । प्रातः उसका शव कुटिया में पाया गया था । उसे कई गंभीर क्षतियां पहुंची थीं, मृतक का पुत्र गिरधारी लाल (अभि. सा. 3) ने मर्ग की सूचना प्रदर्श पी-6 दर्ज कराई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 दर्ज की । अन्वेषक अधिकारी घटना के स्थान पर पहुंचा और नोटिस प्रदर्श पी-1 पंचों को दिया और मृतक के शव की मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 तैयार की । शव को शव परीक्षण के लिए भेजा गया था । डा. उलास गोनाडे (अभि. सा. 14) द्वारा शव परीक्षण किया गया था जिन्होंने मृतक के शव पर कई गंभीर क्षतियां पाई थीं और यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध था जो गला घोंटने के परिणामस्वरूप हुआ था तथा मृत्यु मानववध प्रकृति की थी । शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है ।

- 2.2. तारीख 14 मई, 1997 तक पुलिस इस बारे में पता नहीं लगा सकी की अपराधी कौन थे । तथापि, उक्त तारीख को हेम लाल (अभि. सा. 8) का कथन अभिलिखित किया गया था जिसने यह कथन किया कि उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को कुटिया के नजदीक अपीलार्थियों को देखा था । इसके पश्चात् अन्य साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए थे ।
- 2.3. आगे अन्वेषण करके अपीलार्थी-सुन्दर को तारीख 18 मई, 1997 को अभिरक्षा में लिया गया था और उसके ज्ञापन कथन प्रदर्श पी-15 साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था और लाठी तथा 4,000/- रुपए की नकदी उसके कहने पर अभिगृहीत की गई थी, देखिए अभिग्रहण (ज्ञापन प्रदर्श पी-16) ।
- 2.4. अभियोजन का यह पक्षकथन है कि मृतक के अपीलार्थी अशोक की माता से अवैध संबंध थे इसलिए, अशोक और अपीलार्थी सुन्दर (दोनों अभियुक्त) ने तारीख 5-6 मई, 1997 की मध्यरात्रि में मृतक की हत्या कर दी थी । जब वह अपनी कुटिया में सो रहा था ।
- 2.5. यह स्वीकार किया गया है कि घटना में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन का मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । निम्नलिखित परिस्थितियों जिनका विद्वान् सेशनन्यायधीश द्वारा अवलंब लिया गया और अपीलार्थियों को पूर्वोक्त रूप में दोषसिद्ध कर दिया गया
 - (i) अपीलार्थी उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में मृतक की कुटिया

के नजदीक देखे गए थे ;

- (ii) अपीलार्थी-सुन्दर ने नन्द कुमार (अभि. सा. 10) और भोला (अभि. सा. 11) से बात कही थी कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी क्योंकि वह सह-अभियुक्त अशोक कुमार के अनुदेश पर मृतक की हत्या करना चाहता था;
- (iii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी-सुन्दर द्वारा दिए गए बरामदगी के कथन पर लाठी और 4,000/- रुपए अभिगृहीत किए थे; और
- (iv) मृतक के अपीलार्थी अशोक की माता के साथ अवैध संबंध थे इसलिए, अपीलार्थी अशोक का यह हेतु था जिसने अपीलार्थी सुन्दर को मृतक की हत्या करने के लिए भाड़े पर लिया था।"
- 3. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि कोई भी परिस्थिति निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं थी । मृतक की कुटिया के नजदीक अपीलार्थियों को देखे जाने की परिस्थिति साबित नहीं की गई थी । इस परिस्थिति का एकमात्र साक्षी हेमलाल (अभि. सा. 8) विश्वसनीय नहीं था, इसके अलावा, सभी अभियोजन साक्षियों ने घटना के लगभग 10-15 दिनों के पश्चात् विलंब से प्रकटीकरण कथन किया था । इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों पर आधारित दोषसिद्धि कायम रखे जा सकने योग्य नहीं है ।
- 4. दूसरी ओर, श्री विनोद टेकन विद्वान् पेनल अधिवक्ता ने राज्य की ओर से हाजिर होकर इन दलीलों का विरोध किया है और सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का समर्थन किया है।
 - 5. हमने पक्षकारों के विद्वान काउंसेल को सुना ।
- 6. उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह कहा है कि परिस्थितियां जिनकी अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया जाता है, निश्चायक प्रकृति और प्रवृति की होनी चाहिए । इन परिस्थितियों को अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए; तथा कोई भी परिस्थिति इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए समर्थ होना चाहिए; और पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला भी पूरी होनी चाहिए । देखिए धनन्जय चटर्जी बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य तथा बोधराज उर्फ बोधा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य वले मामले ।

_

¹ (1994) 2 एस. सी. सी. 22 = 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 510.

² ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3164.

- 7. अभियोजन पक्ष के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण परिस्थिति यह थी कि अपीलार्थी उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में मृतक की कृटिया के नजदीक देखे गए थे । हेमलाल (अभि. सा. 8) उक्त परिस्थिति का एकमात्र साक्षी था । हेमलाल (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में वह अपनी कुटिया में मौजूद था जो मृतक की कुटिया से कुछ दूरी पर स्थित है । लगभग 10 बजे अपराह्न जब वह अपने अस्थायी मकान से बाहर आया तो उसने देखा कि दो अपीलार्थी अर्थात अशोक और सुन्दर मृतक की बाड़ी से बाहर आ रहे थे । उसके द्वारा केवल अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसा साक्ष्य दिया गया है । प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में उसने यह स्वीकार किया है कि अगले दिन लगभग 10-11 बजे पूर्वाह्न पुलिस दल गांव पर पहुंचा था । वे मृतक के शव को देखने के लिए गए थे और वह भी उनके साथ चला था । उसने आगे यह कहा है कि पुलिस ने उक्त तारीख को उससे पूछताछ की । हेमलाल (अभि. सा. 8) की कृटिया नाला के एक ओर स्थित थी तथा मृतक की कृटिया दूसरी ओर स्थित थी । हेमलाल (अभि. सा. 8) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह स्वीकार किया है कि नाले की चौड़ाई लगभग 100 गज थी और जीवराखान की बाड़ी नाले के किनारे से 18 फुट की दूरी पर स्थित था । उसने अपनी कृटिया से अर्थात नाले के दुसरी ओर से अपीलार्थियों को देखे जाने का दावा किया है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि रात्रि में गहरा अंधेरा था और मौसम बादलों से घिरा हुआ था क्योंकि वहां पर बारिश हो रही थी और किसी भी व्यक्ति के लिए यह कठिन था कि 5-10 फुट की दूरी पर किसी व्यक्ति को देख पाता । तथापि. उसने यह दावा किया है कि उसने अपीलार्थियों को टार्च के प्रकाश में देखा था जिसमें दो सैल लगे थे।
- 8. हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि हेमलाल (अभि. सा. 8) के डायरी कथन प्रदर्श (डी-2) तारीख 14 मई, 1997 को अभिलिखित किया गया था। हमने यह भी उल्लेख किया है कि उसके डायरी कथन में उसने इस तथ्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि वह उसे दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में टार्च चला रहा था। जब अपने डायरी कथन में उपरोक्त लोप का सामना कर रहा था तब उसने यह उत्तर दिया कि उसने पुलिस को टार्च के बारे में कथन किया था जब उसके डायरी कथन अभिलिखित किए जा रहे थे और वह इस बारे में कोई कारण नहीं बता सकता। उक्त तथ्य के बारे में उसने उल्लेख क्यों नहीं किया।
 - 9. टार्च रखे जाने की कहानी अपने न्यायालय साक्ष्य में समाविष्ट

किया जाना प्रतीत होता है क्योंकि उसके डायरी कथन में उसका कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता । सामान्य परिस्थितियों में प्रकाश के अभाव में गहरा अंधेरा था । कोई सामान्य व्यक्ति 335-340 फुट की दूरी से किसी व्यक्ति की पहचान करने में समर्थ नहीं होता है । इसके अतिरिक्त हमने यह भी उल्लेख किया है कि उसने तारीख 14 मई, 1997 से पूर्व पुलिस को इन सभी तथ्यों के बारे में नहीं बताया गया था । इससे यह अभिप्रेत होता है कि वह लगभग 10 दिन तक चूप रहा । जबकि वह घटना के उसी दिन पुलिस के समक्ष मौजूद रहा था, सामान्य परिस्थिति में उसने उक्त तारीख को उक्त तथ्यों के बारे में कथन किया होगा । उसने यह दावा किया है कि उसने उक्त तारीख को पुलिस को इन सभी तथ्यों के बारे में कथन किया है परंत् उसके वृत्तांत से अन्वेषक अधिकारी जोगिन्दर (अभि. सा. 17) के साक्ष्य से सम्पुष्टि नहीं होती है जिन्होंने पैरा 13 और 17 में यह अभिसाक्ष्य दिया कि इस साक्षी के कथन तारीख 14 मई. 1997 को अभिलिखित किया गया था और इससे पूर्व कोई कथन अभिलिखित नहीं किया गया था और इसके अतिरिक्त, तारीख 14 मई, 1997 को उसका कथन प्रदर्श डी-2 पर उसने कभी भी रात्रि में टार्च रखने के बारे में कथन नहीं किया है।

- 10. अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के प्रकाश में हेम लाल (अभि. सा. 8) के सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् रूप से मूल्यांकन करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसका वृत्तांत विश्वसनीय नहीं था । हमारा यह मत है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश हेम लाल (अभि. सा. 8) के परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर गलती की है और यह अभिनिर्धारित किया कि यह साबित हुआ है कि अपीलार्थी उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में कृटिया के नजदीक देखे गए थे ।
- 11. दो साक्षी अर्थात् नन्द कुमार (अभि. सा. 10) और भोला (अभि. सा. 11) की यह सिद्ध करने के लिए परीक्षा की गई कि अपीलार्थी-सुन्दर ने उन्हें यह बताया था कि वह अपीलार्थी अशोक कुमार के अनुदेश पर मृतका की हत्या करना चाहता था । नन्द कुमार (अभि. सा.10) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के 1-1/2 मास पूर्व अपीलार्थी-सुन्दर ने उससे यह कहा था कि वह मृतक की हत्या करना चाहता है । वास्तव में, अपीलार्थी-सुन्दर उससे कुछ मदद चाहता था । सुन्दर ने उससे यह कहा था कि मृतक के अपीलार्थी-अशोक की माता से अवैध संबंध हैं इसलिए, वह उसे मारना चाहता है और अशोक ने उक्त कार्य के लिए कहा था जिस पर

अपीलार्थी-सुन्दर ने उससे इस बारे में कथन किया था ।

12. भोला (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी-सुन्दर ने उसे यह बताया था कि वह मृतक की हत्या करना चाहता है और उससे मदद के लिए कहा । उसने यह कथन किया था कि उस कार्य के लिए बड़ी रकम दी जाएगी । उसने इन तथ्यों के बारे में नन्द कुमार को बताया था ।

13. हमने अभिलेख से यह निष्कर्ष निकाला है कि इन साक्षियों के डायरी कथन तारीख 14 मई, 1997 और 16 मई, 1997 को अभिलिखित किए गए थे । ये साक्षी ग्राम नारा के स्थानीय निवासी थे । उनका पक्षकथन यह नहीं है कि वे उस सुसंगत समय पर गांव में मौजूद नहीं थे । यदि वे तारीख 6 मई, 1997 से गांव में पूरी तरह मौजूद थे तो उन्होंने तारीख 14 मई, 1997 और 16 मई, 1997 से पूर्व जिसको इन सभी तथ्यों के बारे में क्यों नहीं बताया जब उनके डायरी कथन अभिलिखित किए गए थे । इन साक्षियों द्वारा या अन्वेषक अधिकारी द्वारा इतने विलंब से उनके डायरी कथन अभिलिखित करने के बारे में किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । हमारा यह मत है कि इन साक्षियों द्वारा विलंब से प्रकटीकरण किया गया है जिससे उनके परिसाक्ष्यों पर संदेह उत्पन्न होता है और उनका साक्ष्य संदेहास्पद हो गया है । इसके अतिरिक्त. यदि वे इन बातों को जानते थे तब अपीलार्थी मृतक की हत्या करना चाहता था, सामान्य मानव आचरण में उन्होंने घटना घटने के पूर्व या घटना घटने के तत्काल पश्चात मृतक के कुटुंब के सदस्यों को कम से कम इन तथ्यों के बारे में बताना चाहिए था और ऐसा उन्होंने नहीं किया तो यह एक दूसरा कारण है जिससे कि इन साक्षियों के साक्ष्य के साक्ष्य पर अविश्वास पैदा होता है।

14. दूसरी परिस्थिति अपीलार्थी-सुन्दर द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-19 है । उक्त कथन प्रदर्श पी-15 के अनुसार जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था, लाठी और 4,000/- रुपए उसके कहने पर अभिगृहीत किए गए थे, देखिए अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-16 । अभियोजन पक्ष के अनुसार कि उक्त लाठी का प्रयोग मृतक की गर्दन को दबाने के लिए किया गया था । यद्यपि हमने यह ध्यान दिया है कि उक्त वस्तुएं अपीलार्थी-सुन्दर के कब्जे से अभिगृहीत की गई थीं, किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त परिस्थिति अपराध में फंसाने वाली प्रतीत नहीं होती । यद्यपि, यह कहानी बनाई गई है कि मृतक की

गर्दन को दबाने के लिए लाठी का प्रयोग किया गया था परंतु इसका कोई आधार नहीं है । अतः, अपीलार्थी-सुन्दर से बरामद और अभिग्रहण की परिस्थिति अपराध में फंसाने वाली नहीं थी क्योंकि उस परिस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था ।

15. बाबू लोधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य¹ तथा प्रेम कुमार बनाम बिहार राज्य² वाले दो अन्य निर्णयों का अवलंब लिया गया । धर्नीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य³ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे मामलों में जो पूर्णतया या मुख्य रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हों हेतु की बड़ी सुसंगतता और महत्व हो सकता है । तथापि, यह कथन किया गया कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध सकारात्मक साक्ष्य अपराध के संबंध में स्पष्ट है तब हेतु का अत्यधिक महत्व नहीं होता है यद्यपि हेतु के मात्र अभाव की उपधारणा कर ली जाए तो इससे अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार नहीं होगा अन्यथा अपराध किए जाने को अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है ।

16. इस प्रकार, हेतु का महत्व और इसकी सुसंगतता वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रारंभिक रूप से निर्भर करेगी । ऐसे किसी मामले में जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो तब हेतु को किसी अन्य परिस्थिति की भांति सिद्ध किया जाना चाहिए । वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए, हेतु को महत्व दिए जाने की उपधारणा की गई है । अभियोजन पक्ष द्वारा हेतु के बारे में यह सुझाव दिया गया है कि चूंकि अपीलार्थी-अशोक की माता और मृतक के बीच अवैध संबंध थे इसलिए अपीलार्थी-अशोक मृतक की हत्या करना चाहता था ।

17. इस बारे में अभियोजन पक्ष ने गिरीवर (अभि. सा. 6), नन्द कुमार (अभि. सा. 10) और मन्नू लाल (अभि. सा. 13) के परिसाक्ष्यों का अवलंब लिया गया । हमने इन साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन किया । इन सभी साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने यह सुना था कि मृतक के अपीलार्थी-अशोक की माता से अवैध संबंध थे । गिरीवर (अभि. सा. 6) मृतक का पुत्र है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे अवैध संबंधों के बारे में कोई निजी जानकारी नहीं थी और उसने

¹ (1987) 2 एस. सी. सी. 352 = ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1268.

² (1995) 3 एस. सी. सी. 228 = 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1644.

³ (2010) 7 एस. सी. सी. 759 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5685.

उन सभी बातों को गांव में सुना था । जहां तक नन्द कुमार (अभि. सा. 10) का संबंध है हमें पहले ही उसके साक्ष्य पर संदेह है । मन्नू लाल (अभि. सा. 13) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी-अशोक ने उसे यह बताया था कि मृतक का उसकी माता से अवैध संबंध था । उसके साक्ष्य में इस बारे में यह बात प्रकट नहीं हुई है कि अपीलार्थी-अशोक द्वारा उसे उपरोक्त तथ्य के बारे में कब बताया गया था । इसलिए, हेतु की परिस्थिति के संबंध में साक्ष्य पर्याप्त और निश्चायक नहीं था । यह साक्ष्य सुना-सुनाया साक्ष्य है और अभियुक्त द्वारा दी गई स्वीकृति समुचित रूप से सिद्ध नहीं की गई थी ।

18. हम उपरोक्त पारिस्थितिक साक्ष्य के समूह पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखने में असमर्थ हैं । कोई भी परिस्थिति पूरी तरह साबित नहीं की गई थी । इस तरह साबित की गई परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं थीं । अधिकांशतः सभी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था और पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला पूरी भी नहीं हुई थी ।

19. उपरोक्त कारणों से अपीलें मंजूर की जाती हैं। अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अधिनिर्णीत किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क को ध्यान में रखते हुए 6 महीने की अवधि के लिए निरंतर बने रहेंगे।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

बलविन्दर

बनाम

हरियाणा राज्य

तारीख 27 अप्रैल, 2012 न्यायमूर्ति सुश्री रितृ बाहरी

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) — धारा 4 — परिवीक्षा पर छोड़ देना — यह अभियुक्त का पहला अपराध है तथा उसने वह कारबार छोड़ दिया है जिसका वह अभियुक्त है, उसके ऊपर अपने कुटुंब और वृद्ध माता-पिता के देखभाल की भी जिम्मेदारी है और अभियुक्त पहले ही एक मास और 27 दिन का कारावास भोग चुका है, अतः, अभियुक्त अपने अच्छे आचरण के कारण उक्त अधिनियम के अधीन परिवीक्षा के अधीन जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है।

प्रत्यर्थी सं. 2/परिवादी सरकारी खाद्य निरीक्षक है । उसने यह अभिकथन करते हुए अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया था कि वह खाद्य निरीक्षक है और तारीख 1 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना द्वारा उसकी नियुक्ति की गई थी तथा तारीख 19 अगस्त, 2003 को 10.00 बजे पूर्वाह्न परिवादी ने बलविन्दर सिंह अभियुक्त/आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया जिसमें उसने अल्मूनियम के पात्र में सार्वजनिक रूप से बेचने के लिए 20 किलोग्राम घी पाया । खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन विहित किए गए प्ररूप VI (प्रदर्श पी ए) पर लिखित में सूचना दी गई, साक्षियों के समक्ष विश्लेषण के प्रयोजन के लिए 84/-रुपए देखिए प्राप्ति रसीद (प्रदर्श पी सी) का संदाय करके 600 ग्राम घी क्रय किया गया । घी को एकरूप करने के पश्चात नमूना लिया गया । नमूने को तीन समान भागों में बांटा गया और तब तीन शुष्क, साफ और खाली बोतलों में उन्हें भरा गया । बोतलों को डाट लगाकर मजबूती से बांधा गया और उन पर लेबल लगाए गए और मोटा मजबूत कागज उनके चारों ओर लपेटा गया और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, कैथल द्वारा कोड सं. केएटी-डीएच/एफआई-2/276 की कागज की पर्ची जारी की गई और उन्हें प्रत्येक बोतल पर लगाया गया । अभियुक्त के हस्ताक्षर ऐसी रीति में प्राप्त किए गए थे जो दोनों कागजात की पर्चियों पर थे और मोहरबंद नमूने को लपेटा

गया था और पक्षकार के हस्ताक्षर कराए गए थे । प्ररूप VII के ज्ञापन के साथ एक मोहरबंद बोतल सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा, चंडीगढ को तारीख 20 अगस्त, 2003 को भेजी गई थी । अन्य दो मोहरबंद नमुनों की बोतलों को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, कैथल के यहां जमा किया गया । नमूना जो सार्वजनिक विश्लेषक, चंड़ीगढ को भेजा गया था, की रिपोर्ट से यह दर्शित हुआ कि नमूने के बारे में घी के विहित किए गए मानक की पृष्टि नहीं होती जैसाकि पीएफए नियमों के मद सं. ए.11.02.21 के अधीन अधिकथित किया गया है । इस परिवाद पर अभियुक्त/आवेदक को समन भेजा गया और पूर्व आरोप साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात अभियुक्त को अधिनियम की धारा 7 के अधीन आरोप पत्रित किया गया था जिस पर आवेदक/अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का दावा किया । लोक विश्लेषक की रिपोर्ट अभियुक्त/आवेदक को दी गई और उसे पुनः परीक्षा कराने के लिए उसे समर्थ बनाया गया । दूसरा नमूना पुनः विश्लेषण के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर पर भेजा गया तथा रिपोर्ट प्रदर्श पीजी प्राप्त की गई जिसके द्वारा बाउड्यन परीक्षण सकारात्मक पाया गया । बटीरे रिफेक्टोमीटर 40 सी दर्शा रहा था जो 47.4 था और फ्री फैटी एसिड अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा के विरुद्ध 8.2 पाया गया था । अभियुक्त को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बावजुद भी कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य उसके द्वारा नहीं दिया गया । विचारण में लोक विश्लेषक की रिपोर्ट स्वीकार की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया कि घी अपमिश्रित था । अभियुक्त को खाद्य मिश्रण के लिए दोषी ठहराया गया । अभियुक्त ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध यह पुनरीक्षण याचिका फाइल की । पुनरीक्षण याचिका का निपटान करते हुए,

अभिनिर्धारित — इस मामले की घटना वर्ष 2003 से संबंधित है जिसमें 9 वर्ष की अविध पहले ही बीत चुकी है । आवेदक पहले ही दीर्घकालिक विचारण की वेदना को पहले ही भोग चुका है जिसमें एक दशक के अधिक की अविध बीत चुकी है । आवेदक पहले ही 1 मास 27 दिन का दंडादेश भोग चुका है जैसािक तारीख 26 अप्रैल 2012 के अभिरक्षा प्रमाणपत्र के अनुसार है । इसके विरुद्ध कोई अन्य मामला लंबित नहीं है । आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन आवेदक के लिए परिवीक्षा की मंजूरी हेतु अपने अनुरोध को सीिमत रखा है । आवेदक ने पिछले 9 वर्षों में कोई अपराध नहीं किया है । आवेदक पहली बार अपराधी

बनाया गया है और उसने अब घी बेचने का कारोबार भी छोड़ दिया है। आवेदक के अपने स्वयं के कुटुंब और अपने वृद्ध माता-पिता के भविष्य की भी जिम्मेदारी है। न्यायालय की यह राय है कि यदि आवेदक को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए तो न्याय के उद्देश्य के पूर्ति होगी। अतः दोषसिद्धि का निर्णय कायम रखा जाता है और दंड के आदेश को इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि आवेदक को इस निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 1 मास की अवधि तक विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 वर्ष पूर्व की अवधि के लिए अच्छा आचरण दर्शित करने पर अध्यपेक्षित बंधपत्र को देने पर परिवीक्षा पर उन्मुक्त किया जाएगा। (पैरा 6, 7 और 8)

निर्दिष्ट निर्णय

| 1009 | 2009 (3) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 325 : सतीश कुमार बनाम संघीय राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ ; 9 | 2008 (4) ए. आई. सी. एल. आर. 539 : जय भगवान बनाम हरियाणा राज्य ; 9 | 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 1569 : रमेश चन्द उर्फ रमेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य | 8 | पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2012 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1067.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री एन. एल. साम्मी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सिवेन्द्र स्वरूप, अपर महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति सुश्री रितु बाहरी — वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कैथल द्वारा तारीख 3 मार्च, 2012 को पारित किए गए निर्णय और मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट, कैथल द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 2010 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके द्वारा आवेदक के पास प्राथमिक खाद्य वस्तु अर्थात् घी जो अल्मूनियम के पात्र में सार्वजनिक रूप से बेचने के लिए रखा गया था उसके कब्जे में पाया गया ।

आवेदक को खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16(जी)(1) के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और उसे 6 मास की अविध का कठोर कारावास भोगने तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को 10 दिन की अविध का साधारण कारावास भोगने के लिए भी दंडादिष्ट किया गया।

2. प्रत्यर्थी सं. 2/परिवादी सरकारी खाद्य निरीक्षक है, जिसने यह अभिकथन करते हुए अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध परिवाद प्रस्तृत किया था कि परिवादी सरकारी खाद्य निरीक्षक है जिसका तारीख 1 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना द्वारा उसकी नियुक्ति की गई थी तथा तारीख 19 अगस्त, 2003 को 10.00 बजे पूर्वाह्न परिवादी ने बलविन्दर सिंह अभियुक्त/ आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया था जिसमें उसने अल्मुनियम के पात्र में सार्वजनिक रूप से बेचने के लिए 20 किलोग्राम घी पाया था । खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे संक्षेप में "पीएफए" नियम कहा गया है) के अधीन विहित किए गए प्ररूप VI (प्रदर्श पीए) पर लिखित में सूचना दी गई थी, साक्षियों के समक्ष विश्लेषण के प्रयोजन के लिए 84/- रुपए देखिए प्राप्ति रसीद (प्रदर्श पीसी) का संदाय करके 600 ग्राम घी क्रय किया गया था । घी को एकरूप करने के पश्चात नमुना लिया गया था । नमूने को तीन समान भागों में बांटा गया था और तब तीन शुष्क, साफ और खाली बोतलों में उन्हें भरा गया था । बोतलों को डाट लगाकर मजबूती से बांधा गया था और उन पर लेबल लगाए गए थे और मोटा मजबूत कागज उनके चारों ओर लपेटा गया था और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, कैथल द्वारा कोड सं. केएटी-डीएच/एफआई-2/276 की कागज की पर्ची जारी की गई थी और उन्हें प्रत्येक बोतल पर लगाया गया था । अभियुक्त के हस्ताक्षर ऐसी रीति में प्राप्त किए गए थे जो दोनों कागजात की पर्चियों पर थे और मोहरबंद नमूने को लपेटा गया था और पक्षकार के हस्ताक्षर कराए गए थे । प्ररूप VII के ज्ञापन के साथ एक मोहरबंद बोतल सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा, चंडीगढ को तारीख 20 अगस्त, 2003 को भेजा गया था । अन्य दो मोहरबंद नमूनों की बोतलों को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, कैथल पर जमा किया गया था । नमूना जो सार्वजनिक विश्लेषक, चंड़ीगढ को भेजा गया था तथा विश्लेषक की रिपोर्ट से यह दर्शित हुआ है कि नमुने के बारे में घी के विहित किए गए मानक की पृष्टि नहीं होती है जैसािक पीएफए नियमों के मद सं. ए.11.02.21 के अधीन अधिकथित किया गया है।

- 3. इस परिवाद पर अभियुक्त/आवेदक को समन भेजा गया था और पूर्व आरोप साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् अभियुक्त को अधिनियम की धारा 7 के अधीन आरोप पत्रित किया गया था जिस पर आवेदक/अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । लोक विश्लेषक की रिपोर्ट अभियुक्त/आवेदक को दी गई और उससे पुनः परीक्षा कराने के लिए उसे समर्थ बनाया गया । दूसरा नमूना पुनः विश्लेषण के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर पर भी भेजा गया था तथा रिपोर्ट प्रदर्श पीजी प्राप्त की गई थी जिसके द्वारा बाउडूयन परीक्षण सकारात्मक पाया गया था । बटीरे रिफेक्टोमीटर 40 सी दर्शा रहा था जो 47.4 था और फ्री फैटी एसिड अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा के विरुद्ध 8.2 पाया गया था । अभियुक्त को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बावजूद भी कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य उसके द्वारा नहीं दिया गया था । विचारण में लोक विश्लेषक की रिपोर्ट स्वीकार की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि घी अपमिश्रित था ।
- 4. आवेदक/अभियुक्त ने व्यथित होकर मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट, कैथल द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 2010 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की है । अपील का मुख्य आधार यह था कि घी का नमूना लेने से पूर्व गर्म किया गया था । तथापि, निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि यद्यपि यदि घी को गर्म किया जाता है तो वास्तविक उसके नीचे का स्तर तिल का तेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह देशी घी का घटक तत्व नहीं है । यद्यपि यह वनस्पति घी का घटक है ।
- 5. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने गुणागुण के आधार पर दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती नहीं दी है ।
- 6. तथापि, आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि इस मामले की घटना वर्ष 2003 से संबंधित है जिसमें 9 वर्ष की अवधि पहले ही बीत चुकी है । आवेदक पहले ही दीर्घकालिक विचारण की वेदना को पहले ही भोग चुका है जिसमें एक दशक के अधिक की अवधि बीत चुकी है । आवेदक पहले ही 1 मास 27 दिन का दंडादेश भोग चुका है जैसाकि तारीख 26 अप्रैल 2012 के अभिरक्षा प्रमाणपत्र के अनुसार है । इसके विरुद्ध कोई अन्य मामला लंबित नहीं है ।
- 7. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन आवेदक के लिए परिवीक्षा की मंजूरी हेतु अपने अनुरोध को सीमित

रखा है । आवेदक ने पिछले 9 वर्षों में कोई अपराध नहीं किया है । आवेदक पहली बार अपराधी बनाया गया है और उसने अब घी बेचने का कारोबार भी छोड़ दिया है । आवेदक के अपने स्वयं के कुटुंब और अपने वृद्ध माता-पिता के भविष्य की भी जिम्मेदारी है ।

8. रमेश चन्द उर्फ रमेश कुमार बनाम हिरयाणा राज्य¹ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :—

"19. निःसंदेह, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मामले में कठोरता बरतनी चाहिए तो भी नारायण दास बनाम हरियाणा राज्य (1997) 3 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 311 (पंजाब-हरियाणा) और जोग ध्यान बनाम हरियाणा राज्य (2001) 2 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 331 वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक दीर्घकालिक विचारण में 16 वर्ष से भी अधिक समय से पहले ही सामना किया है वह पहला अपराधी है जो एक छोटा दुकानदार ग्रामीण क्षेत्र में था और ब्रांडिड नान आयोडाइज्ड साल्ट बेच रहा था; जिसे नमूना लेने के 1 वर्ष पूर्व अधिसूचना द्वारा प्रतिषेधित किया गया था । यह तथ्य कि उसका मामला अधिनियम की धारा 16 के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत आता है । मेरी यह राय है कि यदि आवेदक को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए तो न्याय की उद्देश्य की पूर्ति होगी । अतः दोषसिद्धि का निर्णय कायम रखा जाता है और दंड के आदेश को इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि आवेदक को इस निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 1 मास की अवधि तक विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 वर्ष पूर्व की अवधि के लिए अच्छा आचरण दर्शित करने पर अध्यपेक्षित बंधपत्र को देने पर परिवीक्षा पर उन्मुक्त किया जाएगा।"

9. इसी तरह, **सतीश कुमार** बनाम **संघीय राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़** और जय भगवान बनाम **हरियाणा राज्य** वाले मामलों में इस न्यायालय के समन्वित पीठ द्वारा इसी तरह का मत अपनाया गया है।

¹ 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 1569.

² 2009 (3) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 325.

³ 2008 (4) ए. आई. सी. एल. आर. 539.

- 10. सम्पूर्ण परिस्थितियों को विचार में लेते हुए आवेदक को अपराध परिवीक्षा अधिनियम के अधीन परिवीक्षा पर छोड़ना न्यायोचित होगा । वह मुख्य न्यायिक मिजरट्रेट, कैथल के समाधान हेतु जमानत बंधपत्रों का निष्पादन करेगा । तथापि, जुर्माने का दंड 5,000/- रुपए तक बढ़ाया जाएगा और बढ़ाई हुई जुर्माने की रकम मुकदमे बाजी के खर्चों पर संपरिवर्तित की जाएगी । जुर्माने के असंदाय किए जाने पर वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है ।
- 11. इन मताभिव्यक्तियों के साथ वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाता है ।

पुनरीक्षण याचिका का निपटान किया गया ।

आर्य

(2014) 1 दा. नि. प. 347

पटना

बासुदेव मंडल

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 6 अगस्त, 2013

न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 – बलात्संग – जहां अभियुक्त बिल्कुल अंधा हो और उसकी आयु 75 वर्ष हो, चिकित्सीय साक्ष्य से बलात्संग की पुष्टि न हुई हो, पारिस्थितिक साक्ष्य के अनुसार घटना की कड़ी सुस्पष्ट न हो तथा अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो वहां अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है।

अभियोजन के पक्षकथन से यह प्रकट हुआ है कि अभियोक्त्री के फर्द बयान के अनुसार तारीख 31 अगस्त, 2007 को 1.30 बजे अपराहन उसकी आयु 12 वर्ष अभिलिखित की गई थी । तारीख 28 अगस्त, 2007 को रक्षाबंधन के दिन लगभग 12.00 बजे अपराहन अभियोक्त्री पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी, अपीलार्थी जो उसी स्थानीय क्षेत्र का निवासी था ने उसे पकड़ लिया और अपने कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया तत्पश्चात उसे चारपाई पर लेटा दिया और उसकी जांघिया खोली और जब वह चीखने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया । तत्पश्चात् उसके साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात् अपीलार्थी स्वयं कमरे से बाहर आया और अभियोक्त्री उसके पीछे-पीछे आई जिस वारदात को ठाक्री मंडल और बुद्धन मंडल की पत्नियों ने उसे देखा और उसके बाद उसने उन्हें घटना का वृत्तांत सुनाया और जब अभियोक्त्री की माता घास काटने के पश्चात उससे मिली तो अभियोक्त्री ने उसे इस बात की सूचना दी और चूंकि उसके पिता पहले ही देवघर गए हुए थे, पहले मामले को संस्थित नहीं किया गया परंत् देवघर से उसके लौटने के पश्चात ही मामला संस्थित किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने मामले में अन्वेषण किया और आरोप पत्र आदि प्रस्तुत किए । अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के विचारण का सामना किया जिसमें अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तृत करने के बावजूद कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा कराई । प्रतिरक्षा में दो साक्षियों की परीक्षा कराई और क्षति रिपोर्ट प्रस्तृत की । उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करके विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सुस्पष्ट है कि अभियोक्त्री के अलावा साक्षियों की परीक्षा में सुने-सुनाए साक्ष्य के अलावा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है । अभि. सा. 4 और 5 जिन्होंने अपीलार्थी के पीछे-पीछे कमरे से अभियोक्त्री को बाहर आते देखा उन्होंने अभियोक्त्री के रोने और चिल्लाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा । यद्यपि, अभि. सा. 6 ने उस बात को कहने की कोशिश की जो अभियोक्त्री अभि. सा. 10 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कही गई थी और उन बातों का अभि. सा. 6 द्वारा समर्थन करने की कोशिश की गई परंतु वह प्रतिपरीक्षा में विफल हुआ । तथापि, परीक्षित किए गए साक्षियों के तथ्यों द्वारा ऐसा कोई विवाद प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी पूर्णतया अंधा था और बिना लाठी के सहारे इधर-उधर जाने की स्थिति में नहीं था । इन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने के लिए साक्ष्य में कुछ भी नहीं है जिसके अधीन अपीलार्थी को कुएं पर अभियोक्त्री के पहुंचने के बारे में पता चला था और वहां पहुंचकर अभियोक्त्री को पकड़ना तथा बिना किसी प्रतिरोध के कमरे में उसे ले जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट जिसे अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया, वह केवल उसकी आयु के संबंध में है जिससे यह दर्शित होता है कि उसकी आयु 14

से 15 वर्ष के बीच थी । परंतु डाक्टर की रिपोर्ट का दूसरा भाग अभिलेख पर उपलब्ध है परंतु अभियोजन पक्ष ने उसे डाक्टर की परीक्षा करने के लिए साक्ष्य के टुकड़े के रूप में पेश नहीं किया । यद्यपि अन्वेषक अधिकारी को भी रोका गया । प्रतिपरीक्षा की प्रवृत्ति तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी के कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है परंतु अपीलार्थी की संपत्ति को हड़पने के लिए उसे मिथ्या रूप से फंसाने की बात से पूर्णतया इनकार किया गया है और उस बारे में अपीलार्थी ने किसी तरह के मैथुन कार्य के संबंध में अपनी असमर्थता के बारे में स्पष्टतया कथन किया है जिस बात की प्रथमदृष्ट्या तारीख 20 अक्तूबर, 2009 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा के समय पर अविवादित उसकी आयु 75 वर्ष से समर्थन मिलता है । उससे यह अभिप्रेत है कि घटना के समय पर उसकी आयु 73 वर्ष के आस-पास थी । उसकी चिकित्सा परीक्षा करके अभियोजन वृत्तांत को सिद्ध करना अनिवार्य भी था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस साक्षी की परीक्षा की गई, काशीदास ने अपीलार्थी की भूमि को हड़पने के लिए उसे मिथ्या फंसाए जाने के बारे में कथन किया है क्योंकि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के पिता के पक्ष में भूमि अंतरण करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था और जवाहर यादव औपचारिक साक्षी है जिसने प्रदर्श-क और क/1 को साबित किया, यद्यपि, अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट जिस डाक्टर द्वारा की गई थी उसकी परीक्षा कराई गई और तैयार की गई रिपोर्ट को दोनों ओर से पेश नहीं किया गया था । सामान्यतया केवल इस प्रयोजन से रिपोर्ट को नहीं देखा जा सका क्योंकि डाक्टर जिसके द्वारा परीक्षा की गई थी और जिस रिपोर्ट को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया जाना था उसका परिशीलन करने से यह दर्शित हुआ है कि अभियोजन पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं था । इसके साथ ही एक अतिरिक्त तथ्य यह है कि अभियोक्त्री का योनिच्छद बिना किसी भंग के यथावत था । परंतु ऐसे घृणित अपराध के कारित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराने हेत् यह आवश्यक है कि अभियोक्त्री/पीड़िता के कथन कम से कम पूर्ण रूप में विश्वसनीय होना चाहिए जबिक वर्तमान मामले में अपीलार्थी के मामले में विचार करते हुए जो बिल्कुल एक अंधा व्यक्ति था और पड़ोस के कमरे में निवास करता था और अभियोक्त्री के कमरे से बाहर आने की परिस्थितियां का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इससे मामले की सम्पूर्ण शृंखला की कड़ी गायब होना प्रतीत होती है जब अभियोजन में खास तौर पर अभियोक्त्री जो परिस्थिति पर स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं है और हर बात को

समझने के लिए समर्थ होने के बावजूद भी चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार उसकी आयु 14 से 15 वर्ष के बीच बताई गई है जो 16 से 17 वर्ष के बीच हो सकती है । विधि का आधारभूत सिद्धांत अभियुक्त की निर्दोषिता को उपदर्शित करता है यदि मामले की सामग्री पर विचार किया जाए तो दो मत संभव हैं । अभियोजन मामले पर प्रकट उलझनों को यदि दूर नहीं किया सकता तो तब अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता । (पैरा 17, 18 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा
[2009] (2009) 1 एस. सी. सी. 72 =
ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 711 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोज कुमार पांडे ; 19
[2007] 2007 (सप्ली.) पी. एल. जे. आर. 763 :
मोहम्मद रजा खान बनाम बिहार राज्य ; 6
[2007] (2007) 2 पी. एल. जे. आर. 122 :
शराफत मियान बनाम बिहार राज्य । 6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील (एस. जे.) सं. 289.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री प्रकाश मेहतो

प्रत्यर्थी की ओर से श्री श्री एस. एन. प्रसाद, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल तथा राज्य के विद्वान् लोक अभियोजक को सुना ।

2. एकमात्र अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध यह अपील फाइल की है जिसमें उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास से साथ 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसके व्यतिक्रम करने पर 2 मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया जैसािक झाझा पुलिस थाना मामला सं. 106/2007, जी. आर. सं. 1166/2007 से उद्भूत सेशन विचारण सं. 85/2008 में प्रथम श्रेणी अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), जमुई द्वारा

8 फरवरी, 2010 को अधिनिर्णीत किया गया था ।

3. अभियोजन पक्षकथन से यह प्रकट हुआ है कि अभियोक्त्री के फर्द बयान के अनुसार 31 अगस्त, 2007 को 1.30 बजे अपराहन उसकी आयु 12 वर्ष अभिलिखित की गई थी । तारीख 28 अगस्त, 2007 को 3 दिन पूर्व रक्षाबंधन के दिन लगभग 12.00 बजे अपराह्न अभियोक्त्री पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी, अपीलार्थी जो उसी स्थानीय क्षेत्र का निवासी था ने उसे पकड़ लिया और अपने कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया तत्पश्चात् उसे चारपाई पर लेटा दिया और उसकी जांघिया खोली और जब वह चीखने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया । तत्पश्चात उसके साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात अपीलार्थी स्वयं कमरे से बाहर आया और अभियोक्त्री उसके पीछे-पीछे आई जिस वारदात को ठाकुरी मंडल और बुद्धन मंडल (अभि. सा. 4 और 5) की पत्नियों ने उसे देखा और उसके बाद उसने उन्हें घटना का वृत्तांत स्नाया और जब अभियोक्त्री की माता घास काटने के पश्चात् उससे मिली तो अभियोक्त्री ने उसे इस बात की सूचना दी और चूंकि उसके पिता पहले ही देवघर गए हुए थे, पहले मामले को संस्थित नहीं किया गया परंतु देवघर से उसके लौटने के पश्चात ही मामला संस्थित किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने मामले में अन्वेषण किया और आरोप पत्र आदि प्रस्तुत किए । अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के विचारण का सामना किया जिसमें अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तृत करने के बावजूद कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा की :-

"प्रदर्श – औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

प्रदर्श - 2 - चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट

प्रदर्श – 2/1 से 2/3 – 3 एक्स-रे प्लेट

प्रदर्श - 3 - पंचनामा पर जगदीश मंडल के हस्ताक्षर

प्रदर्श – 4 – फर्द बयान की लिखित और हस्ताक्षर"

- 4. प्रतिरक्षा में दो साक्षियों की परीक्षा कराई गई थी और निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए गए; प्रदर्श-क और क/1 पोबिता कुमारी की क्षति रिपोर्ट ।
- 5. उपलब्ध सामग्रियों में विचार करके विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को पूर्वोक्त रीति में दोषसिद्ध और दंडादेश किया ।
 - 6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन

पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में समर्थ नहीं हो पाया है, अपीलार्थी जिसकी आयु 75 वर्ष से अधिक और लंबे समय से उसके अंधेपन का सम्यक् रूप से लाभ लेते हुए उसकी स्वयं की जमीन और मकान से उसे वंचित करने के लिए मिथ्या मामला बनाकर उसे फंसाया गया । डाक्टर और अन्वेषक अधिकारी की इस प्रयोजन से भी परीक्षा नहीं की गई क्योंकि अभियोक्त्री के वृत्तांत को उनके द्वारा कोई समर्थन नहीं मिलता है । इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय के दो विनिश्चय शराफत मियान बनाम बिहार राज्य और मोहम्मद रजा खान बनाम बिहार राज्य वाले मामलों का यदि दोषसिद्धि कायम रखी जाती है तो उसके दंड के लघुकरण के लिए अवलंब लिया गया था ।

- 7. दूसरी ओर, विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने मामले का समर्थन किया है और यह निवेदन किया है कि अभियोक्त्री का कथन अपने आप में अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा दंडादेश दिए जाने के लिए पर्याप्त है।
- 8. 11 अभियोजन साक्षियों में से उमेश सिंह (अभि. सा. 1) तथा रंजीत कुमार पंडित (अभि. सा. 11) औपचारिक साक्षी हैं जिन्होंने क्रमशः प्रदर्श-1 और 4 को साबित किया है । डा. सैय्यद नौशाद अहमद (अभि. सा. 2) चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य है जिसे अभियोक्त्री की आयु का अवधारण करने के लिए गठित किया गया था, उन्होंने प्रदर्श-2 रिपोर्ट तथा 2/1, 2/2, 2/3 एक्सरे प्लेट साबित की हैं जो अभिलेख के आधार पर हैं तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोक्त्री की आयु 14 से 15 वर्ष के बीच की थी ।
- 9. जगदीश मंडल (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि जब वह अपने मकान पर था तो उसने कुछ शोरगुल सुना और उसे पता चला कि अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री के साथ कुछ गलत कार्य किया गया । उसने आगे यह भी कहा है कि पहले भी अपीलार्थी ने किसी के साथ गलत कार्य किया था जिसका पंचायती आदि का गठन किया गया था । उसने पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर प्रदर्श-3 साबित की है । प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था बल्कि गोटिया में उसका चाचा था और उसकी आयु लगभग 50 वर्ष थी और वह संत है । वह एक अंधा आदमी है तथा लाठी की सहायता से चलता है । उसकी

¹ (2007) 2 पी. एल. जे. आर. 122

² 2007 (सप्ली.) पी. एल. जे. आर. 763.

स्वयं की भूमि और मकान है परंतु न तो उसकी कोई पत्नी है और न बच्चे तथा इसके अतिरिक्त, उसने इस बात से इनकार किया है कि अपीलार्थी की जमीन हड़पने के लिए मिथ्या रूप से उसे फंसाया गया है।

- 10. अभि. सा. 4 अर्थात् प्रमिला देवी ने यह कथन किया है कि उस सुसंगत समय पर जब वह हनुमान मंदिर के नजदीक पहुंची तो उसने देखा अपीलार्थी अपने कमरे से बाहर आ रहा है और उसके पीछे अभियोक्त्री है तथा अभियोक्त्री से उसकी जानकारी में यह बात आ सकी कि अपीलार्थी द्वारा उसे अंदर ले जाया गया था जहां उसे अपमानित (बेइज्जती) किया गया । पूर्ववर्ती साक्षियों की भांति उसने भी अपीलार्थी द्वारा पूर्व में किए गए अपराध के बारे में कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी के पास भूमि और मकान हैं और वह दोनों आंखों से अंधा है तथा लाठी के सहारे चलता है और अपीलार्थी की जमीन हथियाने के लिए उसे मिथ्या फंसाने से इनकार किया है।
- 11. धनेश्वरी देवी (अभि. सा. 5) जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष है, ने यह बात आगे बढ़ाते हुए अभि. सा. 4 के कथन की पुनरावृत्ति की है कि अपीलार्थी जब अपने कमरे से बाहर आ रहा था तो वह अमरूद के पेड़ पर चढ़ा तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी के पास कुछ भूमि आदि थी और मिथ्या फंसाने से इनकार किया । इसके अतिरिक्त, उसने यह कहा है कि अपीलार्थी उसके ससुराल में आने के पूर्व से ही अंधा है।
- 12. भीकू मंडल (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि उस सुसंगत समय पर वह बजरंग बली मंदिर पर था और जब वह बाहर आया तो उसने अभियोक्त्री को रोते हुए देखा और अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री से किए गए गलत कार्य के बारे में पूछताछ की । उसने अपीलार्थी को अमरूद के पेड़ पर देखा था और पूर्व में भी अपीलार्थी ने जगदीश मंडल की बहन के साथ इसी तरह का गलत कार्य किया जिसमें पंचायत की बैठक रखी गई । प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि जब वह अभियोक्त्री के पास पहुंचा तो वहां पर दो महिलाएं (अभि. सा. 4 और 5) मौजूद थीं तथा इसके अतिरिक्त, उसने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी अंधा था और कबीरपंथी का अनुयायी था जबिक गांव के अन्य लोगों ने कबीरपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया था तथा इसके अतिरिक्त, उसने मिथ्या फंसाए जाने की बात से इनकार किया । यह साक्षी प्रथम साक्षी है जिसने अभियोक्त्री के रोने के बारे में बताया था जबिक पूर्ववर्ती दो साक्षी

अभि. सा. 4 और 5 जो पहले से ही वहीं पर थे उन्होंने उसके रोने के बारे में कुछ नहीं कहा ।

13. अभि. सा. 7 कालेश्वर मंडल अभियोक्त्री के पिता हैं उन्होंने अपने को देवघर में मौजूद होने की बात कही और उस सुसंगत दिन को केवल अपने देवघर से लौटने के पश्चात् अभियोक्त्री द्वारा इस बारे में सूचना दी गई तथा इसलिए मामला संस्थित किया गया था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के बारे में इसी तरह का अपराध पूर्व में किए जाने के बारे में कथन किया है । उन्होंने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी अविवाहित और अंधा है और उसके पास कुछ जमीन है तथा उन्होंने उसकी संपत्ति को हड़पने के बारे में उसे मिथ्या फंसाए जाने से इनकार किया है।

14. अभि. सा. 7 की भांति जीत लाल मंडल (अभि. सा. 8) वह भी देवघर का था और केवल वापस आने पर उसे घटना के बारे में पता चला । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी द्वारा इसी तरह के अपराध पहले कारित किए जाने के बारे में कथन किया है और प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि पूर्ववर्ती अपराध के संबंध में कोई मामला संस्थित नहीं किया गया था । निःसंदेह पंचायत में कुछ जुर्माना अधिरोपित किया गया था और उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि अपीलार्थी अंधा था और लाठी के सहारे चलता था ।

15. अभि. सा. 7 और 8 की भांति गणेश मंडल (अभि. सा. 9) उस सुसंगत समय पर देवघर में था और पहुंचने पर उसे उस घटना के बारे में जानकारी मिली और उसने अपीलार्थी द्वारा पूर्व में किए गए अपराध के बारे कथन किया है। प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने अपीलार्थी की प्रास्थिति को स्वीकार किया है और आगे यह प्राख्यान किया है कि पूर्ववर्ती गलत कार्य के संबंध में गठित पंचायत के पंचों में से एक पंच भी था।

16. अभि. सा. 10 फोबिता कुमारी जो अभियोक्त्री है उसने स्वयं अपने कथन में केवल यह बात कही है कि अंधा अपीलार्थी नातेदारी में उसका चाचा है और वह उसका नाम नहीं जानती और इसके अतिरिक्त, उसने यह कथन किया कि कमरे से बाहर आने के पश्चात् ही उसने शोरगुल किया तब अभि. सा. 4 और 5 वहां पर आए और उसने उन्हें घटना के बारे में बताया क्योंकि उसके पिताजी उपलब्ध नहीं थे इसलिए उनके पहुंचने पर मामला संस्थित किया गया था । प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि उसके मकान के उत्तर की दिशा की ओर कुआं

स्थिति था जो डगोरी मंडल के मकान के समीप था वहां पर 10-20 मकान उस स्थान के नजदीक पर थे और जब वह पानी भरने के लिए उस कुएं पर गई थी तब अपीलार्थी द्वारा उसका हाथ पकड़ा गया था और उसने कोई चीख-पुकार नहीं की । निःसंदेह उसने उसके चंगुल से बाहर आने की कोशिश की परंतु वह कमरे के अंदर उसे घसीट ले गया परंतु कोई क्षति कारित नहीं हुई थी और जब वह दरवाजे के पास पहुंची तब उसने शोरगुल किया परंतु कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा यद्यपि, कमरे के अंदर भी वह चीखी-चिल्लाई परंतु वास्तविक अपराध किए जाने के दौरान उसने चीख-पुकार नहीं की । पैरा 7 में उसने यह स्वीकार किया है कि जब उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था और उससे कोई क्षति कारित नहीं हुई है । कुछ रक्त उसके गुप्तांग भागों से निकल रहा था तथा उसके कपड़ों पर रक्त के धब्बे भी थे । पैरा 8 में पूनः उसने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी के कमरे से जब वह बाहर आई तो वह अपीलार्थी के पीछे-पीछे थी और पैरा 12 में उसने चिकित्सा परीक्षा आदि होना स्वीकार किया है तथा अपीलार्थी की प्रास्थिति के बारे में वह पूरी तरह अंधा था तथा उसके पास भूमि संपत्ति थी इस बात को स्वीकार किया और यह भी स्वीकार किया है कि वह संतान विहीन था और उसकी भूमि अभियोक्त्री की भूमि से लगी हुई थी । अभियोक्त्री ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अपीलार्थी की भूमि संपत्ति को हड़पने के लिए उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया था ।

17. यह सुस्पष्ट है कि अभियोक्त्री के अलावा साक्षियों की परीक्षा में सुने-सुनाए साक्ष्य के अलावा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है । अभि. सा. 4 और 5 जिन्होंने अपीलार्थी के पीछे-पीछे कमरे से अभियोक्त्री को बाहर आते देखा उन्होंने अभियोक्त्री के रोने और चिल्लाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा । यद्यपि, अभि. सा. 6 ने उस बात को कहने की कोशिश की जो अभियोक्त्री अभि. सा. 10 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कही गई थी और उन बातों का अभि. सा. 6 द्वारा समर्थन करने की कोशिश की गई परंतु वह प्रतिपरीक्षा में विफल हुआ । तथापि, परीक्षित किए गए साक्षियों के तथ्यों द्वारा ऐसा कोई विवाद प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी पूर्णतया अंधा था और बिना लाठी के सहारे इधर-उधर जाने की स्थिति में नहीं था । इन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने के लिए साक्ष्य में कुछ भी नहीं है जिसके अधीन अपीलार्थी को कुएं पर अभियोक्त्री के पहुंचने के बारे में पता चला था और वहां पहुंचकर अभियोक्त्री को पकड़ना तथा बिना किसी प्रतिरोध के कमरे में उसे ले जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है पीड़िता की चिकित्सा

परीक्षा रिपोर्ट जिसे अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया, वह केवल उसकी आयु के संबंध में है जिससे यह दर्शित होता है कि उसकी आयु 14 से 15 वर्ष के बीच थी । परंतु डाक्टर की रिपोर्ट का दूसरा भाग अभिलेख पर उपलब्ध है परंतु अभियोजन पक्ष ने उसे डाक्टर की परीक्षा करने के लिए साक्ष्य के टुकड़े के रूप में पेश नहीं किया । यद्यपि अन्वेषक अधिकारी को भी रोका गया । प्रतिपरीक्षा की प्रवृत्ति तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी के कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है परंतु अपीलार्थी की संपत्ति को हड़पने के लिए उसे मिथ्या रूप से फंसाने की बात से पूर्णतया इनकार किया गया है और उस बारे में अपीलार्थी ने किसी तरह के मैथून कार्य के संबंध में अपनी असमर्थता के बारे में स्पष्टतया कथन किया है जिस बात की प्रथमदृष्ट्या तारीख 20 अक्तूबर, 2009 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा के समय पर अविवादित उसकी आयु 75 वर्ष से समर्थन मिलता है । उससे यह अभिप्रेत है कि घटना के समय पर उसकी आयु 73 वर्ष के आस-पास थी । उसकी चिकित्सा परीक्षा करके अभियोजन वृत्तांत को सिद्ध करना अनिवार्य भी था ।

18. प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस साक्षी की परीक्षा की गई, प्रतिरक्षा साक्षी 1 काशीदास ने अपीलार्थी की भूमि को हड़पने के लिए उसे मिथ्या फंसाए जाने के बारे में कथन किया है क्योंकि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के पिता के पक्ष में भूमि अंतरण करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था और प्रतिरक्षा साक्षी 2 जवाहर यादव औपचारिक साक्षी है जिसने प्रदर्श-क और क/1 को साबित किया, यद्यपि, अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट जिस डाक्टर द्वारा की गई थी उसकी परीक्षा कराई गई और तैयार की गई रिपोर्ट को दोनों ओर से पेश नहीं किया गया था । सामान्यतया केवल इस प्रयोजन से रिपोर्ट को नहीं देखा जा सका क्योंकि डाक्टर जिसके द्वारा परीक्षा की गई थी और जिस रिपोर्ट को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया जाना था उसका परिशीलन करने से यह दर्शित हुआ है कि अभियोजन पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं था । इसके साथ ही एक अतिरिक्त तथ्य यह है कि अभियोक्त्री का योनिच्छद बिना किसी भंग के यथावत था ।

19. ऐसे अपराध में मामले को संस्थित करने में दो या तीन दिन का विलंब अभियोजन के रास्ते में बाधा नहीं डालता जैसाकि **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **मनोज कुमार पांडे** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले यह अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें निम्नलिखित सार को मान्य ठहराया गया है:-

" प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में विलंब का स्पष्टीकरण देने के लिए अभियोजन पक्ष के कर्तव्य के संबंध में सामान्य नियम के अलावा पूर्वाग्रह की कमी है और या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में ऐसे विलंब के कारण विरोध की स्थिति बलात्संग के मामले में लागू नहीं होती है।"

20. परंतु ऐसे घृणित अपराध के कारित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराने हेतु यह आवश्यक है कि अभियोक्त्री/पीड़िता के कथन कम से कम पूर्ण रूप में विश्वसनीय होना चाहिए जबिक वर्तमान मामले में अपीलार्थी के मामले में विचार करते हुए जो बिल्कुल एक अंधा व्यक्ति था और पड़ोस के कमरे में निवास करता था और अभियोक्त्री के कमरे से बाहर आने की परिस्थितियां का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इससे मामले की सम्पूर्ण शृंखला की कड़ी गायब होना प्रतीत होती है जब अभियोजन में खास तौर पर अभियोक्त्री जो परिस्थिति पर स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं है और हर बात को समझने के लिए समर्थ होने के बावजूद भी चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श-2) के अनुसार उसकी आयु 14 से 15 वर्ष के बीच बताई गई है जो 16 से 17 वर्ष के बीच हो सकती है । विधि का आधारभूत सिद्धांत अभियुक्त की निर्दोषिता को उपदर्शित करता है यदि मामले की सामग्री पर विचार किया जाए तो दो मत संभव हैं । अभियोजन मामले पर प्रकट उलझनों को यदि दूर नहीं किया सकता तो तब अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता ।

21. परिणामस्वरूप अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी जो अभिरक्षा में है यदि वह किसी अन्य मामले में उसे निरुद्ध किया जाना अपेक्षित नहीं है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

¹ (2009) 1 एस. सी. सी. 72 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 711.

महेश

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

तारीख 11 सितंबर, 2013

न्यायमूर्ति टी. वी. नलवाडे

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 363 और 366-क [संपठित जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17(2) तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35] – अप्राप्तवय लड़की का व्यपहरण – पीड़िता लड़की की आयु का निर्धारण करते समय जन्म-मृत्यु रिजस्टर में की गई प्रविष्टि का उपधारणात्मक मूल्य है अतः, चिकित्सा साक्ष्य और अन्य साक्ष्य में विरोध की दशा में रिजस्टर में दर्ज प्रविष्टि साक्ष्य में सुसंगत और ग्राह्य है।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 361 और 376 – अप्राप्तवय लड़की का व्यपहरण और बलात्संग – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्यों तथा चिकित्सा साक्ष्य से पर्याप्त रूप से यह साबित होता है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का अयुक्त-संभोग प्रयोजन के लिए उसके साथियों द्वारा व्यपहरण किया गया और जीवन का खतरा दिखाकर उसमें से एक व्यक्ति द्वारा उसका बलात्संग किया गया वहां व्यपहरण और बलात्संग के लिए संबद्ध अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत है।

संक्षेप में, मामले का तथ्य यह है कि प्रथम इत्तिला देने वाली अभियोक्त्री की माता है । अपने पित की मृत्यु के पश्चात् प्रथम इत्तिला देने वाली ने ग्राम अदगांव, तहसील और जिला हिंगोली में अपने भाई के साथ रहना प्रारंभ कर दिया था । उस सुसंगत समय पर अभियोक्त्री की आयु लगभग 17 वर्ष थी और वह अपनी माता के साथ रह रही थी । अभियोक्त्री 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी । वे लोग श्रमिक वर्ग के थे । अभियुक्त पद्मनी हंवाते जो अभियोक्त्री की विद्यालय की सहपाठी थी । पद्मनी हंवाते प्रथम इत्तिला देने वाली की ओर से अभियोक्त्री की नातेदार भी है । अभियुक्त वासुदेव लाबड़े अभियुक्त पद्मनी हंवाते की बहन का पित है । अभियुक्त पद्मा बाई लाबड़े अभियुक्त वासुदेव की माता है । उस

स्संगत समय पर अभियुक्त पद्मनी हंवाते भी अदगांव में रह रही थी । तारीख 22 दिसंबर, 2007 को प्रातः अभियोक्त्री ने अपनी माता को यह बताया कि वह ग्राम मोप जाना चाहती है जहां पैतृक ओर से उसकी बुआ का निवास स्थान है और वह उसी दिन वहां चली गई तथा वहां एक रात्रि रुकी । वहां से वह ग्राम खनेर गांव गई जो स्थान मामा दत्ता वैद्य का निवास स्थान है । अभियुक्त पद्मनी हंवाते ने दत्ता वैद्य के मकान में अभियोक्त्री से मिलने गई और उसने अभियोक्त्री से कहा कि वह उसकी बहन के मकान पर आए क्योंकि अभियुक्त हंवाते ने उससे यह वचन दिया कि शीघ्र ही वह दत्ता वैद्य के मकान पर उसे वापस पहुंचा देगी । अभियोक्त्री ग्राम काटाकोंडला से अभियुक्त सं. 5 वासुदेव लाबड़े के मकान पर श्रीमती हंवाते के साथ गई थी । काटाकोंडला से अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 अभियोक्त्री को ओमकारेश्वर, खंडवा और बाधवा के स्थान पर ले गए । अभियोक्त्री उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी । इन अभियुक्तों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और अपने साथ बलपूर्वक उसे ले गए । इन स्थानों पर अभियोक्त्री को इन अभियुक्तों द्वारा कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया था । अभियुक्त सं. 2 ने अपने को अभियोक्त्री की माता के रूप में पेश किया और अभियुक्त सं. 5 ने अभियोक्त्री के भाई के रूप में अपने को पेश किया । जब वे अभियोक्त्री को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दिखा रहे थे । अभियोक्त्री ने यह महसूस किया कि ये अभियुक्त वास्तविक रूप से उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे । अभियुक्तों ने उन व्यक्तियों से 50,000/- रुपए की मांग की थी जो अभियोक्त्री को देखने के लिए आए थे । अंततोगत्वा अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 ने अभियुक्त सं. 1 से मुलाकात की । वे अभियोक्त्री को ग्राम फुटफल (मध्य प्रदेश) ले गए । अभियुक्त सं. 1 अभियोक्त्री को 20,000/- रुपए के प्रतिफल पर खरीदने के लिए सहमत हुआ । अभियोक्त्री को धमका कर खंडवा (मध्य प्रदेश) ले जाया गया था और उसे एक दस्तावेज दिखाया गया कि अभियोक्त्री का अभियुक्त सं. 1 के साथ विवाह कर दिया गया है । इस दस्तावेज को नोटरीराइज्ड किया गया था । अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 ने अभियुक्त सं. 1 से पर्याप्त राशि प्राप्त की और उन्होंने अभियोक्त्री को अभियुक्त सं. 1 की अभिरक्षा पर सौंप दिया । अभियोक्त्री अभियुक्त सं. 1 के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी परंत् उसे फुटफल बलपूर्वक ले जाया गया था । फुटफल में अभियुक्त सं. 1 ने अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक मैथुन किया था । वह अभियुक्त सं. 1 के इस कार्य के लिए सहमति पक्षकार नहीं थी । प्रथम इत्तिला देने वाली को अभियोक्त्री से घटना के बारे में पता चला तब उसने अभियुक्तों के

विरुद्ध रिपोर्ट दी । अपराधों के संबंध में देहात पुलिस थाना, हिंगोली पर अपराध सी. आर. सं. 5/2008 दर्ज की गई थी । श्री दभाड़े, पुलिस निरीक्षक द्वारा मामले में अन्वेषण किया गया था और उसके द्वारा अभियोक्त्री को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण के दौरान नोटरीराइज्ड दस्तावेज को भी बरामद किया गया । नोटरी पब्लिक के कथन और एक अधिवक्ता के कथन लिए गए जिस अधिवक्ता ने नोटरी पब्लिक से दस्तावेज को नोटरीराइज्ड करने और अभिलिखित करने का अनुरोध किया । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त सं. 2 ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन किया जिसके आधार पर 8,800/- रुपए का प्रतिफल उसके निवास स्थान से बरामद किया गया था । अभियोक्त्री की एक सलवार भी अभियुक्त सं. 2 के निवास स्थान से बरामद की गई थी । इन वस्तुओं को पंचनामे के अधीन अभिगृहीत किया गया । घटनास्थल का पंचनामा जहां बलात्संग का अपराध किया गया था, पंचसाक्षियों के समक्ष भी तैयार किया गया । अभियुक्त सं. 2 और 5 के अंगूठे के निशान के नमूने उनके द्वारा नोटरी-राइज्ड दस्तावेजों पर लगाए गए अंगूठे की छाप की तुलना के लिए प्राप्त किए गए । इस दस्तावेज पर उन्होंने स्वयं अपने को अभियोक्त्री की माता और भाई के रूप में पेश किया था । अभियोक्त्री के कपड़े सी. ए. आफिस भेजे गए थे । अन्वेषण पुरा करने के पश्चात अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया तथा अन्य अभियुक्त सदाशिव लाबड़े और निहाला पवार के विरुद्ध भी आरोप पत्र फाइल किया गया । अपराधों के लिए आरोप तथा दंड संहिता की धारा 193 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी आरोप विरचित किए गए । सभी अभियुक्तों ने प्रतिरक्षा में मामले से पूर्णतया इनकार किया । विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री और उसकी बात पर विश्वास किया । पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य जो पारिस्थितिक प्रकृति का है चिकित्सा साक्ष्य परिस्थितियों पर साक्ष्य जो विवाह के अभिलेख को बनाने से संबंधित है और उसे नोटरीराइज्ड करने से संबंधित है विचारण न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया गया और विश्वास किया गया । अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कोई चिकित्सा अभिलेख नहीं है और विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य और विद्यालय अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य पर विश्वास किया । विचारण के पश्चात सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया गया और दंडित किया गया । सेशन न्यायाधीश के दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दोनों अपराधों के संघटक रूप में "आय्" को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना अपेक्षित है । इससे साक्ष्य अधिनियम की धारा के अधीन "साबित" को आपराधिक मामले के किसी अन्य तथ्य के भांति साबित किया जाना आवश्यक है । ऐसे मामले में आयु के बारे में मौखिक साक्ष्य हमेशा उपलब्ध हो सकता है । जहां कोई व्यक्ति शपथ पर साक्ष्य देता है, तब न्यायालय से यह आशा की जाती है कि वह यह उपधारणा प्रकट करे कि वह सच बोल रहा है । वर्तमान मामले की भांति केवल इस मामले में जब आयु के बारे में मौखिक साक्ष्य है और इसे हितबद्ध साक्षी माता-पिता द्वारा दिया गया है तब न्यायालय से यह आशा की जाती है कि उसे सम्पृष्टि की दृष्टि से देखें । सम्पृष्टि विशेषज्ञ साक्ष्य पर की जानी आवश्यक नहीं है । सम्पृष्टि परिस्थितियों पर हो सकती हैं जो अलग-अलग मामले में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं । क्लीनिकल या विकिरण परीक्षा पर डाक्टर की राय को विधिक सब्त के रूप में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है । दोनों ओर दो वर्ष की गलती का अवसर निकाला गया है यद्यपि, जब विकिरण परीक्षा के आधार पर आयु का अभिनिश्चयन किया गया है । मौखिक साक्ष्य सहित केवल चिकित्सा राय और अन्य साक्ष्य केवल इस कारण से त्यक्त नहीं किया जा सकता कि चिकित्सा साक्ष्य का मौखिक साक्ष्य से विरोध है । इसके अतिरिक्त. चिकित्सा साक्ष्य जन्म-तिथि रजिस्टर में किए गए प्रविष्टि के विरुद्ध मान्य नहीं किया जा सकता जो समुचित रूप से प्रमाणित है । जन्म-तिथि रजिस्टर में की गई प्रविष्टि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 17(2) को ध्यान में रखते हुए उसका प्रकल्पित मूल्य है और विधि की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है जब चिकित्सा साक्ष्य और अन्य साक्ष्य के बीच विरोध हो । साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 को ध्यान में रखते हुए जन्म-तिथि के बारे में विद्यालय रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को स्संगत रूप से माने जाने की जरूरत है । ऐसा रजिस्टर स्कूल द्वारा अपने कर्तव्य के नियमित निर्वहन में रखा जाता है और इसे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है । जब ऐसी प्रविष्टि विवाद प्रारंभ होने से पूर्व की गई है तब अपराध के किए जाने के कई वर्ष पूर्व और जब प्रविष्टि संबंधित मौखिक साक्ष्य देकर साबित की जाती है तब ऐसी प्रविष्टि को सम्यक रूप से महत्व दिए जाने की जरूरत है । ऐसी प्रविष्टियां सुसंगत और आवश्यक रूप से मानी जानी चाहिए और यह साक्ष्य में ग्राह्य है । यद्यपि ऐसी प्रविष्टि आयु के निर्धारण के लिए एकमात्र स्पष्ट कारक के रूप में नहीं हो सकती । इसका जन्म-तिथि रजिस्टर में की गई

प्रविष्टि के मामले की भांति प्रकल्पित मुल्य नहीं है जैसाकि पहले ही मत व्यक्त किया गया है । अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य जो मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार का है श्री मृतकुले जो अधगांव के छत्रपति साह महाराज विद्यालय का प्रधानाध्यापक है, ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री के बारे में उसके विद्यालय रजिस्टर में प्रविष्टियां की गई थीं । यह रजिस्टर दाखिला देते समय प्रविष्टियों को करने तथा छात्रों का विद्यालय छोड़ते समय प्रविष्टि करने के लिए रखा गया है । मुल रजिस्टर को न्यायालय में लाया गया था । अभियोक्त्री के नाम की प्रविष्टि क्रमांक सं. 643 पर है । इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार कि अभियोक्त्री केन्द्रीय प्राथमिक विद्यालय, अधगांव से इस विद्यालय पर दाखिला के लिए पहुंची थी जहां अभियोक्त्री ने 7वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी । उसके अनुसार पूर्व विद्यालय के अभिलेख के अनुसार जन्म की तारीख 7 अक्तूबर, 1990 अभिलिखित की गई थी । छत्रपति साह महाराज विद्यालय द्वारा विद्यालय रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के सार को अभिलेख पर प्रदर्श 42 के रूप में रखा गया है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि विद्यालय ने प्रथम कक्षा में दाखिला केवल जब जन्म-तिथि प्रमाणपत्र स्थानीय निकाय ग्राम पाटिल द्वारा जारी किया गया था, तब दाखिला दिया गया था । जिसे बालक के माता-पिता या संरक्षक द्वारा पेश किया गया था । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री को उसके विद्यालय में दाखिला दिया गया था क्योंकि वह पूर्व विद्यालय से जारी किए गए स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर आई थी । स्थानांतरण प्रमाणपत्र पूर्व विद्यालय द्वारा जारी किया गया था जिसे इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया था परंत् अभिलेख से यह दर्शित हुआ है कि किसी ने भी उसे न्यायालय में पेश करने के लिए आग्रह नहीं किया । साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ऐसा प्रमाणपत्र विद्यालय में उपलब्ध हो गया था । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री को उसके विद्यालय में तारीख 4 जुलाई, 2003 को दाखिला मिला था । विचारण न्यायालय ने इस साक्षी द्वारा पेश किए गए अभिलेख तथा उसके मौखिक साक्ष्य में भी किसी तरह का संदेह प्रकट नहीं किया है । इस साक्षी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अभि. सा. 1 के मौखिक साक्ष्य के अनुसार अभियोक्त्री की आयु प्रदर्श 42 में उस स्संगत समय पर लगभग 17 वर्ष 2 मास थी । अभियोक्त्री के साक्ष्य को तारीख 16 जनवरी, 2012 को विचारण न्यायालय में अभिलिखित किया गया था । उस दिन उसने अपनी आयु 20 वर्ष बताई थी । प्रश्नगत घटना दिसंबर, 2007 में घटी थी । इस

प्रकार, मौखिक साक्ष्य के अनुसार उस सुसंगत समय पर अभियोक्त्री ने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी । अभियोक्त्री की माता ने यह साक्ष्य दिया है कि उस स्संगत समय पर अभियोक्त्री की आयु लगभग 17 वर्ष थी । अभियोक्त्री की माता एक अशिक्षित महिला है, इसलिए, वह अभियोक्त्री की सही-सही जन्म-तिथि को नहीं बता सकी । तथापि, उसने अभियोक्त्री की अनुमानित आयु को बताया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श 49 में अभि. सा. 5 द्वारा वही आयु बताई गई थी । गायब रिपोर्ट अभि. सा. 5 द्वारा उसके बारे में बताया गया था और इस दस्तावेज को प्रतिरक्षा द्वारा स्वीकार किया गया था । इस दस्तावेज में अभियोक्त्री की आयु अभि. सा. 5 द्वारा 17 वर्ष बताई गई थी । इससे यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 5 का ज्येष्ट पुत्र की आयु उस सुसंगत समय पर लगभग 19 वर्ष थी । डा. रूपाली का साक्ष्य जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए अभियोक्त्री की परीक्षा की थी कि क्या उसके साथ मैथून हुआ था जिस बारे में उसने साक्ष्य दिया कि तारीख 14 जनवरी, 2008 को अभियोक्त्री ने अपनी आयु 17 वर्ष बताई थी । अभियोक्त्री की आयु को क्लीनिकल या विकिरण परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था । अभियोक्त्री की माता ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियोक्त्री इस घटना की तारीख से लगभग 1 वर्ष पूर्व 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई थी । इसी तरह, अभियोक्त्री द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी साक्ष्य दिया गया था । यह स्वीकार किया गया है कि वह 2 अवसरों पर अनुत्तीर्ण हुई थी । ऐसी दशा में, विद्यालय में प्रथम कक्षा में लड़का या लड़की को दाखिला देते समय उसकी आयु 5 वर्ष पूरी होनी चाहिए । ऐसा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार है । अभि. सा. 1, 4 और 5 के साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री केवल 10वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई थी । यद्यपि, ऐसी उपधारणा कर ली जाए कि वह दो बार प्रयास करने के बावजूद अनुत्तीर्ण हुई तो इससे यह अनुमान निकाला जा सकता है कि वर्ष 2007 में दिसंबर के माह में उसने मुश्किल से 17 वर्ष की आयु पूरी की थी । यह साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी । तथाकथित, विवाह दस्तावेज प्रदर्श 47 से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री की आयु का 19 वर्ष उल्लेख किया गया है। अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया है कि उसे धमकी देकर उसके हस्ताक्षर प्रदर्श 47 पर प्राप्त किए गए थे । इस दस्तावेज के प्रयोजन को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया था । ऐसी परिस्थितियां उसके चारों ओर थीं जिसे अत्यधिक महत्व अभियोक्त्री की आयु के बारे में नहीं दिया जा सकता जो प्रदर्श 47 में 19

वर्ष के रूप में उल्लेख किया गया है। यह मौखिक साक्ष्य है और विद्यालय रिजस्टर के अभिलेख से यह साबित हुआ है कि उस सुसंगत समय पर अभियोक्त्री ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। विचारण न्यायालय के पास अभियोक्त्री के बारे में तथा उसके तौर-तरीके के बारे में विचार करने का अवसर था। विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री और उसकी माता पर विश्वास किया। विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त अभिलेख का अवलंब लिया। ऐसे मामले में विचारण न्यायालय उन बातों का मूल्यांकन करने में अच्छी स्थिति में था और इसलिए, अपील न्यायालय से विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे तथ्यों पर निष्कर्ष निकालने को हलके रूप में लेने की आशा नहीं की जाती। इस कार्यवाही में ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं है जिसके लिए अभियोक्त्री की आयु के बारे में विचारण न्यायालय द्वारा वर्णित निष्कर्ष पर हस्तक्षेप करना संभव हो। इस प्रकार, इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि अभियोक्त्री ने उस सुसंगत समय पर 17 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। (पैरा 13, 14, 18, 19, 20 और 21)

यह अनुमान निकालने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि अभियोक्त्री ने 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी । इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य का मृल्यांकन किया जाना जरूरी है । एस. वर्धराजन वाले ऐतिहासिक मामले को ध्यान में रखते हुए इस बारे में यह अभिनिश्चयन किया जाना जरूरी है कि क्या अभियोक्त्री ने स्वयं अपनी इच्छा से निर्णय लिया था और उसने यह सोचा था कि यह उसके फायदे के लिए था । यह स्निश्चित किया जाना जरूरी है कि क्या उसने संरक्षक को छोड़ने का निर्णय लिया था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक अभियुक्त व्यक्तियों के साथ जाने का निर्णय लिया । यह अभिनिश्चित करना भी जरूरी है कि क्या "ले जाना" या "बहका कर ले जाना" जैसाकि दंड संहिता की धारा 361 में उल्लिखित है । यह अभिनिश्चित करना भी जरूरी है कि क्या अभियोक्त्री ने किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने का निर्णय लिया था जिसने अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 से अनुमोदन लिया था । यह अभिनिश्चय किया जाना भी जरूरी है कि क्या अभियुक्त सं. 1 ने अभियोक्त्री के साथ मैथून किया था और इस कार्य के लिए अभियोक्त्री की सहमति थी । अभियोक्त्री और अभियोक्त्री की माता के साक्ष्य से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री यह सूचना देने के पश्चात 22 दिसंबर, 2007 को ग्राम अदगांव से चली गई थी कि वह नातेदारों के स्थान की ओर प्रस्थान कर रही है । अभियोक्त्री की माता

के साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि उसने इस बात की पृष्टि होने के पश्चात उसके गायब होने की रिपोर्ट दी थी कि अभियोक्त्री अधिकांश नातेदारों के स्थान पर नहीं मिली थी और अभियोक्त्री के अते-पते के बारे में उसे उन नातेदारों से जिनसे सम्पर्क किया था पता नहीं चला । उसके गायब होने की रिपोर्ट तारीख 6 जनवरी, 2008 को दी गई थी । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 3 पद्मनी हंवाते छत्रपति साहू महाराज विद्यालय में जहां अभियोक्त्री 10वीं कक्षा में पढ रही थी और इस तरह अभियोक्त्री अभियुक्त सं. 3 को जानती थी । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया कि तारीख 22 दिसंबर, 2007 को अदगांव से मकान छोड़ने के पश्चात वह सबसे पहले अपने पैतृक चाची सुखबाई के मकान पर गई थी और वह वहां एक रात रुकी तब वह दत्ता वैद्य मामा के घर पर गई जो ग्राम कनहेर गांव के निवासी हैं । उसने यह भी साक्ष्य दिया कि अभियुक्त सं. 3 वहां पहुंचा और उसने ग्राम काटाकोंडला पर स्थित अपनी बहन के मकान पर उससे आने का अनुरोध किया । अभियोक्त्री ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह दत्ता के मकान को छोड़ने के पूर्व या माता या मामा को यह बताना चाहती थी परंतु अभियुक्त सं. 3 ने यह कहा कि वे त्रंत ही वापस लौटेंगे, वह अभियुक्त सं. 3 के साथ दत्ता के मकान से चली । इस प्रकार, अभियोक्त्री द्वारा दिया गया साक्ष्य यह है कि वह अभियुक्त सं. 3 है जो किसी बहाने से दत्ता वैद्य के मकान से ग्राम कांटा-कोंडला उसे लेकर गया । अभियोक्त्री द्वारा दिए गए पूर्वीक्त साक्ष्य के बारे में कोई विभेद या लोप प्रकट नहीं है और जिसे प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया है । अभियोक्त्री की प्रतिपरीक्षा से यह दर्शित हुआ है कि पुलिस के समक्ष जब पूर्व में वृत्तांत दिया गया, वह प्रतिकूल नहीं था और पहले के कथन में कोई लोप नहीं हुआ था । प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा इस आशय के बारे में कई सुझाव दिए गए थे । यह कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा के काउंसेल द्वारा दिए गए कई सुझावों को तकनीकी रूप से अभिलिखित किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के उपबंधों तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 को ध्यान रखते हुए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि सबसे पहले इस बारे में यह अभिनिश्चित किया जाए कि क्या उसमें कोई लोप या विभेद प्रकट हुए हैं तथा केवल यह स्निश्चित करने के पश्चात न्यायालय से यह आशा की जाती है कि वह प्रश्न और उत्तर के अभिलेख को अनुज्ञात करें । इसके अतिरिक्त, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि पूर्व वृत्तांत पर यह स्निश्चित करने के लिए समुचित रूप से विचार करें कि क्या प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा किसी

लोप के बारे में कोई स्झाव दिया गया था या क्या प्रतिरक्षा के काउंसेल द्वारा दिए गए सुझाव पर वास्तविक रूप से विसंगतता प्रकट हुई थी । उदाहरणार्थ, जब अभियोक्त्री के साक्ष्य के संबंध में कोई लोप प्रकट नहीं हुआ था तब पद्मनी हंवाते जो अभियोक्त्री को दत्ता के मकान से श्रीमती हंवाते के मकान पर ले गई थी ऐसे सुझाव को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया । संयोग से विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 3 के विरुद्ध इस साक्ष्य को प्रयोग किया है । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 5 के मकान में उसे चाय दी गई थी और चाय देने के पश्चात् वह बेहोश हो गई । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसे पुनः होश आया उसने यह देखा कि वह बाधवा रेलवे स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर थी । उसके पूर्ववर्ती कथन जिसमें किसी पदार्थ को पिलाए जाना और उसके बाद बेहोश होने जाने का लोप है । तथापि, अभियोक्त्री का साक्ष्य इस आशय का है कि प्रत्येक बात जो उसके साथ की गई थी जबकि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं थी और जब वह इस बात के लिए सहमति पक्षकार नहीं थी । अभियोक्त्री द्वारा दिया गया साक्ष्य यह है कि उसे जीवन छीन लेने की धमकी दी गई थी । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से उपदर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री ने उन स्थानों के बारे में किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं किया है जहां उसे ले जाया गया था । ग्राम अधगांव में भी वह मामा की दया पर थी । उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसका बड़ा भाई गूंगा है । इन परिस्थितियों को अभियोक्त्री के साक्ष्य का मृल्यांकन करते समय विवेक में रखा जाना जरूरी था । अभियोक्त्री की माता अशिक्षित महिला है और वह श्रमिक वर्ग से है । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 ने 50,000/- रुपए के प्रतिफल पर उसे बेचने के लिए वस्तुतः किन्हीं विचित्र व्यक्ति के साथ बात-चीत की थी । उसने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 2 ने अभियोक्त्री की माता के रूप में अपने को प्रकट किया था और अभियुक्त सं. 5 ने स्वयं अभियोक्त्री के भाई के रूप में प्रकट किया था । इन दो व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे पेश करने को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए इन दोनों व्यक्तियों के आचरण के बारे में संदेह करने का कोई कारण नहीं होता है । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया है कि अंततः इन दोनों अभियुक्तों ने अभियुक्त सं. 1 के साथ बात-चीत की थी और अभियुक्त सं. 1 और अन्य अभियुक्तों के बीच कुछ समझौता हुआ था । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि उसे अभियुक्त सं. 1 के गांव फुटफल ले जाया गया था । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया है कि फुटफल से उसे

खंडवा ले जाया गया था और वहां उसके हस्ताक्षर किसी दस्तावेज पर लिए गए थे । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे धमकी देकर इस दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर बलपूर्वक कराए गए थे । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने चीख-प्कार की थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 और अन्य अभियुक्तों ने तब उसे अभियुक्त सं. 1 के हवाले कर दिया । अभियोक्त्री की प्रतिपरीक्षा में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसे यह सुझाव दिया गया था कि अभियोक्त्री ने आटो ड्राइवर, बस के यात्रियों के भांति किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं की जब उसे बलपूर्वक ले जाया जा रहा था । अभियोक्त्री ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि वे लोग हिन्दी भाषा बोलने वाले थे और वह इस भाषा को समझने और उस भाषा को बोलने में असमर्थ थी । अभियोक्त्री के असहाय होने के बारे में पहले ही चर्चा की गई है । अभियोक्त्री के असहाय होने के विरुद्ध वहां पर कई अभियुक्त थे और वे अभियोक्त्री को निरंतर धमकी दे रहे थे और वे संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वे अभियोक्त्री के निकट के नातेदार थे । इन परिस्थितियों को देखते हुए अभियोक्त्री के तथाकथित चूप रहने के बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती । पुलिस हेड कांस्टेबल, श्री काले ने यह साक्ष्य दिया है कि वह कुछ अभियुक्तों को गायब होने के बारे में रिपोर्ट के अन्वेषण के दौरान उन्हें हिंगोली लाया था । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि वह फुटफल से अभियुक्त सं. 1 के मकान पर गया था । हेड कांस्टेबल श्री पठान अपराध का अन्वेषण किए जाने के लिए तैनात किया गया था । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि उसने पंचनामा प्रदर्श 56 के अधीन तथाकथित विवाह दस्तावेज प्रदर्श 47 एकत्र किया था । उसने बंधपत्र लिखने वाले, और नोटरी पब्लिक आदि के व्यक्तियों के कथनों को भी अभिलिखित किया था, के निष्पादन के बारे में साक्ष्य भी एकत्रित किया । फुटफल से अभियुक्त सं. 1 के मकान का पंचनामा भी पठान द्वारा तैयार किया गया था । पठान का साक्ष्य और दस्तावेज प्रदर्श 56, 57 और 47 से यह दर्शित हुआ है कि अभियुक्त सं. 1 के भाई ताराचंद सूर्यवंशी ने प्रदर्श 47 पेश किया था । वह उस समय मौजुद था जब पंचनामा तैयार किया जा रहा था । हेड कांस्टेबल यानी काले और पठान दोनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अन्वेषक अधिकारी ने यह साक्ष्य दिया कि अभियुक्त सं. 2 ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन किया है और इस कथन के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त सं. 2 के निवास स्थान से 8,000/- रुपए की नकद राशि बरामद की थी । उसने यह साक्ष्य दिया कि उसी कथन के

आधार पर अभियुक्त सं. 2 के निवास स्थान से एक सलवार ड्रेस भी बरामद की गई थी । अभियुक्त सं. 2 का ज्ञापन पत्र के रूप में साबित किया गया । यह बरामदगी अभियुक्त सं. 2 की गिरफ्तारी के एक दिन पश्चात तारीख 14 जनवरी, 2008 को की गई थी । इस रकम के बारे में 20,000/- रुपए के प्रतिफल रकम का भाग होना कहा जा सकता है । अभियुक्त सं. 2 द्वारा इस रकम के बरामदगी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । यह परिस्थिति अभियोजन पक्षकथन की सम्पृष्टि के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । पूर्वीक्त साक्ष्य जो प्रत्यक्ष और पारिस्थितिक दोनों रूप में है उन अपराधों को साबित करने के लिए पर्याप्त है जिसके लिए अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था । इस साक्ष्य से यह साबित किया जाना भी पर्याप्त है कि अभियोक्त्री का व्यपहरण किया गया था और इन अभियुक्तों द्वारा अवैध प्रयोजनों के लिए अभियुक्त सं. 1 को बेचा गया था । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया है कि प्रदर्श 47 दस्तावेज को बनाने के पश्चात उसे अभियुक्त सं. 1 द्वारा ग्राम फुटफल ले जाया गया था । यह दस्तावेज तारीख 3 जनवरी, 2008 को बनाया गया था । उसने यह साक्ष्य दिया है कि वह और अभियुक्त सं. 1 के नातेदार द्वारा एक कमरे पर चले गए थे और यह कमरा बाहर की ओर से बंद था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह चीखी-चिल्लाई थी और उसने इस बात से मना किया था कि अभियुक्त सं. 1 ने उसके साथ बलपूर्वक मैथून किया था । अभियोक्त्री ने बलात्संग की घटना के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है । मूल साक्ष्य पर यह कहा जा सकता है कि उसने केवल बलात्संग की एक घटना का वर्णन किया है । प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा यह दर्शित करने का प्रयास किया गया है कि "बलपूर्वक" शब्द का अभियोक्त्री द्वारा अपने पूर्व कथन में प्रयोग नहीं किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही अवलोकन करके इस सुझाव को अभिलिखित किया गया था । अभियोक्त्री के पूर्ववर्ती बयान से सम्पूर्ण रूप से यह दर्शित होता है कि बल का प्रयोग करने का उल्लेख और अभियोक्त्री द्वारा प्रतिरोध किया जाना है । इस प्रकार, बलात्संग के अपराध के बारे में अभियोक्त्री के पूर्व कथन के संबंध में कोई लोप या विसंगति तात्विक प्रश्न पर नहीं हैं । अभियोक्त्री ने न्यायालय में सभी अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त की है । उसने प्रदर्श 47 दस्तावेज की भी शिनाख्त की । अभियुक्त सं. 2 के निवास स्थान से बरामद की गई अपनी सलवार ड्रेस की भी पहचान की । डा. श्रीधारकर और डा. अंजली पाटिल ने अभियोक्त्री के चिकित्सा परीक्षा पर साक्ष्य दिया है । यह प्रकट हुआ है कि डा. श्रीधारकर की अभियोजन पक्ष द्वारा सबसे पहले परीक्षा की गई थी क्योंकि अभियोजन पक्ष ने यह सोचा था कि डा. अंजली पाटिल उपलब्ध नहीं थी । डा. अंजली पाटिल ने तारीख 14 जनवरी, 2007 को अभियोक्त्री की परीक्षा की थी । अभियोक्त्री के चिकित्सा परीक्षा का अभिलेख उसके मौखिक साक्ष्य के संगत है कि अभियुक्त सं. 1 ने उसके साथ मैथ्न किया था । योनिच्छद फटा ह्आ था । यद्यपि, अभियोक्त्री के शरीर पर कोई क्षति नहीं पाई गई थी । इस बात को भी विवेक में रखना जरूरी है कि यह घटना तारीख 3 जनवरी, 2008 को घटी थी, और उसकी तारीख 14 जनवरी, 2008 को परीक्षा की गई थी और अभियोक्त्री द्वारा ग्राम फुटफल में किसी किस्म का प्रतिरोध किए जाने की संभावना प्रकट नहीं हुई है । अभियोजन का अभिलेख प्रदर्श 84 इस साक्ष्य के मौखिक साक्ष्य के संगत है । प्रतिरक्षा का मामला यह नहीं है कि अभियुक्त सं. 1 मैथून करने में समर्थ नहीं था । विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त सभी अभियोजन साक्षियों पर विश्वास किया है । बलात्संग के मामले में और खासतौर पर अभियोक्त्री के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य दिया । अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर बहुत ही मंद गति से हस्तक्षेप करना जरूरी समझा जो मौखिक साक्ष्य के मृत्यांकन पर आधारित है । ऐसे किसी मामले में विचारण न्यायालय के लिए यह उत्तम होगा कि साक्ष्य का मूल्यांकन करे क्योंकि उसके पास यह अवसर था कि अभियोक्त्री की भांति साक्षियों के आचरण का अवलोकन करें । विचारण न्यायालय यह देखने की स्थिति में था और अभियोक्त्री की समझ को स्निश्चित करने की स्थिति में था तथा उसकी शक्ति स्थिति पर प्रतिक्रिया करने की भी है । यह स्स्थिर है कि जब दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की गई है तब अपील न्यायालय को साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए । परंत् उसी समय अपील न्यायालय से यह आशा की जाती है और पूर्वोक्त प्रकृति की अपनी शक्ति पर परिसीमा को ध्यान में रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-क के अधीन यह उपधारणा उपलब्ध है कि जब अभियोक्त्री ने यह कथन किया कि वह मैथुन किए जाने के लिए सहमति पक्षकार नहीं थी तब न्यायालय को ऐसी उपधारणा पर विचार करना चाहिए जब तक कि इसका खंडन न कर दिया जाए । इस न्यायालय ने अभियोक्त्री और उसकी माता पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया है । साक्ष्य दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है । (पैरा 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31,

32, 34, 38, 39, 40, 42 और 43)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 3 एस. सी. सी. 791 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1497 : राजेश पटेल बनाम झारखंड राज्य ;	45
[2012]	2012 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 1248 = ए. आई. आर. 2012 (2) मुम्बई आर. 550 : विलास पुत्र साहेब्रो गिलबिले बनाम महाराष्ट्र राज्य (मुम्बई उच्च न्यायालय) ;	45
[2012]	(2012) 8 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157 : राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) ;	45
[2009]	(2009) 14 एस. सी. सी. 541 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3813 : मुसाउद्दीन अहमद बनाम असम राज्य ;	45
[2007]	(2007) 1 एम. एच. एल. जे. (क्रिमिनल) 501 = ए. आई. आर. 2008 (1) मुम्बई आर 148 : महाराष्ट्र राज्य बनाम नाथुराम उर्फ नाथु श्रीपति वल्के (मुम्बई उच्च न्यायालय) ;	45
[2007]	(2007) 2 एस. सी. सी. 170 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 155 : रामदास और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ;	45
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 92 : सदाशिव रामाराव हेडबे बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य ;	45
[2003]	(2003) 4 एस. सी. सी. 46 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639 : उदय बनाम कर्नाटक राज्य :	44

[1998] 1998 क्रिमिनल ला जर्नल 4033 =
ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2694 :
कुलदीप के. मेहतो बनाम बिहार राज्य ; 45

[1973] ए. आई. आई. 1973 एस. सी. 2313 : **थकुराल डी. वाडगामा** बनाम **गुजरात राज्य** ; 17

[1965] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 942 : **एम. वर्धराजन** बनाम **मद्रास राज्य** । 15, 17, 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 499 और 500.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपीलें ।

अपीलार्थी की ओर से श्री सचिन एस. देशमुख और श्रीमती

एम. ए. कुलकर्णी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री डी. आर. काले, सहायक लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति टी. वी. नलवाडे – दोनों अपीलें 2008 के सेशन मामला सं. 69 में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं जो अपर सेशन न्यायाधीश, हिंगोली के न्यायालय में लंबित था । प्रथम कार्यवाही में अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया और दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया । दूसरी कार्यवाहियों में सभी अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया और दंड संहिता की धारा 366-क के साथ सपिठत धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया । द्वितीय कार्यवाही में अपीलार्थी सं. 3 को दोषसिद्ध किया गया और दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया । द्वितीय कार्यवाही में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया और दंड संहिता की धारा 363 के सधीन दंडनीय अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया । द्वितीय कार्यवाही में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया और दंड संहिता की धारा 199 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया । दोनों पक्षकारों को सुना गया ।

2. संक्षेप में, दो अपीलों के संस्थापन तथ्यों के बारे में निम्न रूप में यह कहा जा सकता है :-

"प्रथम इत्तिला देने वाली अभियोक्त्री की माता है। अपने पित की मृत्यु के पश्चात् प्रथम इत्तिला देने वाली ने ग्राम अदगांव, तहसील और जिला हिंगोली में अपने भाई के साथ रहना प्रारंभ कर दिया था। उस सुसंगत समय पर अभियोक्त्री की आयु लगभग 17 वर्ष थी और वह अपनी माता के साथ रह रही थी । अभियोक्त्री 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी । वे लोग श्रमिक वर्ग के थे ।"

- 3. अभियुक्त पद्मनी हंवाते (अभियुक्त सं. 3) जो अभियोक्त्री की विद्यालय की सहपाठी थी । पद्मनी हंवाते प्रथम इत्तिला देने वाली की ओर से अभियोक्त्री की नातेदार भी है । अभियुक्त वासुदेव लाबड़े (अभियुक्त सं. 5) अभियुक्त पद्मनी हंवाते की बहन का पित है । अभियुक्त पद्मा बाई लाबड़े (अभियुक्त सं. 2) अभियुक्त वासुदेव की माता है । उस सुसंगत समय पर अभियुक्त पद्मनी हंवाते भी अदगांव में रह रही थी ।
- 4. तारीख 22 दिसंबर, 2007 को प्रातः अभियोक्त्री ने अपनी माता को यह बताया कि वह ग्राम मोप जाना चाहती है जहां पैतृक ओर से उसकी बुआ का निवास स्थान है और वह उसी दिन वहां चली गई तथा वहां एक रात्रि रुकी । वहां से वह ग्राम खनेर गांव गई जो स्थान मामा दत्ता वैद्य का निवास स्थान है । अभियुक्त पद्मनी हंवाते ने दत्ता वैद्य के मकान में अभियोक्त्री से मिलने गई और उसने अभियोक्त्री से कहा कि वह उसकी बहन के मकान पर आए क्योंकि अभियुक्त हंवाते ने उससे यह वचन दिया कि शीघ्र ही वह दत्ता वैद्य के मकान पर उसे वापस पहुंचा देगी । अभियोक्त्री ग्राम काटाकोंडला से अभियुक्त सं. 5 वासुदेव लाबड़े के मकान पर श्रीमती हंवाते के साथ गई थी ।
- 5. काटाकोंडला से अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 अभियोक्त्री को ओमकारेश्वर, खंडवा और बाधवा के स्थान पर ले गए । अभियोक्त्री उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी । इन अभियुक्तों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और अपने साथ बलपूर्वक उसे ले गए । इन स्थानों पर अभियोक्त्री को इन अभियुक्तों द्वारा कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया था । अभियुक्त सं. 2 ने अपने को अभियोक्त्री की माता के रूप में पेश किया और अभियुक्त सं. 5 ने अभियोक्त्री के भाई के रूप में अपने को पेश किया । जब वे अभियोक्त्री को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दिखा रहे थे । अभियोक्त्री ने यह महसूस किया कि ये अभियुक्त वास्तविक रूप से उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे । अभियुक्तों ने उन व्यक्तियों से 50,000/- रुपए की मांग की थी जो अभियोक्त्री को देखने के लिए आए थे ।
- 6. अंततोगत्वा अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 ने अभियुक्त सं. 1 से मुलाकात की । वे अभियोक्त्री को ग्राम फुटफल (मध्य प्रदेश) ले गए ।

अभियुक्त सं. 1 अभियोक्त्री को 20,000/- रुपए के प्रतिफल पर खरीदने के लिए सहमत हुआ । अभियोक्त्री को धमका कर खंडवा (मध्य प्रदेश) ले जाया गया था और उसे एक दस्तावेज दिखाया गया कि अभियोक्त्री का अभियुक्त सं. 1 के साथ विवाह कर दिया गया है । इस दस्तावेज को नोटरी राइज्ड किया गया था । अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 ने अभियुक्त सं. 1 से पर्याप्त राशि प्राप्त की और उन्होंने अभियोक्त्री को अभियुक्त सं. 1 की अभिरक्षा पर सौंप दिया । अभियोक्त्री अभियुक्त सं. 1 के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी परंतु उसे प फुटफल बलपूर्वक ले जाया गया था । फुटफल में अभियुक्त सं. 1 के इस कार्य के लिए सहमति पक्षकार नहीं थी ।

- 7. तारीख 22 दिसंबर, 2007 को अभियोक्त्री ने प्रातः अपनी माता को यह सूचना दी कि वह ग्राम मोप से चली गई थी जब शाम को अभियोक्त्री की माता घर पर वापस लौटी, उसने देखा कि अभियोक्त्री मौजूद नहीं है और तारीख 23 दिसंबर, 2007 को अभियुक्त पद्मनी हंवाते प्रथम इत्तिला देने वाली के स्थान पर गई जो अभियोक्त्री की माता है और यह बतलाया कि अभियोक्त्री प्रभानी पर जा चुकी है । प्रथम इत्तिला देने वाली अभियोक्त्री के बारे में पूछताछ करने के लिए दूरभाष पर अपने नातेदारों से संपर्क करने का प्रयास किया । तारीख 25 दिसंबर, 2007 को खनेर गांव से अपने भाई की पत्नी से प्रथम इत्तिला देने वाली को यह पता चला कि अभियुक्त हंवाते और अभियोक्त्री एक साथ उसके घर से चले गए थे, इसलिए, अभियोक्त्री का पता नहीं चल सका जिस पर अभियोक्त्री की माता ने करीब 6 जनवरी, 2008 को पुलिस को उसके गायब होने की रिपोर्ट दी ।
- 8. देहात पुलिस थाना, हिंगोली की पुलिस द्वारा अन्वेषण प्रारंभ किया गया । पुलिस को यह पता चला कि अभियुक्त श्रीमती हंवाते अभियोक्त्री के संग थी और इसलिए, इस बिन्दु पर अन्वेषण किया गया था । पुलिस हैड कांस्टेबल, काले अभियुक्त हंवाते की बहन के ससुराल के स्थानों पर गई । पुलिस खंडवाड़ा और फुटफल पर गई तब अभियुक्त सं. 1, 2, 3 और 5 और अभियोक्त्री को देहात पुलिस थाना, हिंगोली पर लाई । इन स्थानों के बारे में अभियुक्त सं. 2 द्वारा पुलिस को बताया गया था ।
- 9. प्रथम इत्तिला देने वाली को अभियोक्त्री से घटना के बारे में पता चला तब उसने अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट दी । पूर्वोक्त अपराधों के संबंध में देहात पुलिस थाना, हिंगोली पर अपराध सी. आर. सं. 5/2008 दर्ज की

गई थी ।

- 10. श्री दभाड़े, पुलिस निरीक्षक द्वारा मामले में अन्वेषण किया गया था और उसके द्वारा अभियोक्त्री को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण के दौरान पूर्वीक्त नोटरीराइज्ड दस्तावेज को भी बरामद किया गया । नोटरी पब्लिक के कथन और एक अधिवक्ता के कथन लिए गए जिस अधिवक्ता ने नोटरी पब्लिक से दस्तावेज को नोटरीराइज्ड करने और अभिलिखित करने का अनुरोध किया । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त सं. 2 ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन किया जिसके आधार पर 8,800/- रुपए का प्रतिफल उसके निवास स्थान से बरामद किया गया था । अभियोक्त्री की एक सलवार भी अभियुक्त सं. 2 के निवास स्थान से बरामद की गई थी । इन वस्तुओं को पंचनामे के अधीन अभिगृहीत किया गया । घटनास्थल का पंचनामा जहां बलात्संग का अपराध किया गया था, पंचसाक्षियों के समक्ष भी तैयार किया गया । अभियुक्त सं. 2 और 5 के अंगूठे के निशान के नमूने उनके द्वारा नोटरीराइज्ड दस्तावेजों पर लगाए गए अंगूठे की छाप की तुलना के लिए प्राप्त किए गए । इस दस्तावेज पर उन्होंने स्वयं अपने को अभियोक्त्री की माता और भाई के रूप में पेश किया था । अभियोक्त्री के कपड़े सी. ए. आफिस भेजे गए थे।
- 11. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया तथा अन्य अभियुक्त सदाशिव लाबड़े और निहाला पवार के विरुद्ध भी आरोप पत्र फाइल किया गया । पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप तथा दंड संहिता की धारा 193 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी आरोप विरचित किए गए । सभी अभियुक्तों ने प्रतिरक्षा में मामले से पूर्णतया इनकार किया । विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री और उसकी बात पर विश्वास किया । पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य जो पारिस्थितिक प्रकृति का है चिकित्सा साक्ष्य परिस्थितियों पर साक्ष्य जो विवाह के अभिलेख को बनाने से संबंधित है और उसे नोटरीराइज्ड करने से संबंधित है विचारण न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया गया और विश्वास किया गया । अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कोई चिकित्सा अभिलेख नहीं है और विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य और विद्यालय अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य पर विश्वास किया ।
- 12. अभियुक्त श्रीमती हंवाते को दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया । विरुद्ध द्वितीय कार्यवाही में

अपीलार्थियों को भी दंड संहिता की धारा 366-क के अधीन अपराध के लिए दोषिसद्ध किया गया । इन परिस्थितियों को देखते हुए यह वांछनीय है कि प्रथमतः क्रम से अभियोक्त्री की आयु के बारे में वर्णित साक्ष्य का मूल्यांकन करें । व्यपहरण के अपराध को साबित करने के लिए जो दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दंडनीय बनाया गया है और अप्राप्तवय लड़की के अधिप्राप्ति के अपराध को साबित करने के लिए जो दंड संहिता की धारा 366-क के अधीन दंडनीय बनाया गया है । अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि अभियोक्त्री की आयु सुसंगत समय पर 18 वर्ष से कम थी ।

13. दोनों पूर्वोक्त अपराधों के संघटक रूप में "आयु" को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना अपेक्षित है । इससे साक्ष्य अधिनियम की धारा के अधीन "साबित" को आपराधिक मामले के किसी अन्य तथ्य के भांति साबित किया जाना आवश्यक है । ऐसे मामले में आय के बारे में मौखिक साक्ष्य हमेशा उपलब्ध हो सकता है । जहां कोई व्यक्ति शपथ पर साक्ष्य देता है, तब न्यायालय से यह आशा की जाती है कि वह यह उपधारणा प्रकट करे कि वह सच बोल रहा है । वर्तमान मामले की भांति केवल इस मामले में जब आयू के बारे में मौखिक साक्ष्य है और इसे हितबद्ध साक्षी माता-पिता द्वारा दिया गया है तब न्यायालय से यह आशा की जाती है कि उसे सम्पृष्टि की दृष्टि से देखें । सम्पृष्टि विशेषज्ञ साक्ष्य पर की जानी आवश्यक नहीं है । सम्पृष्टि परिस्थितियों पर हो सकती हैं जो अलग-अलग मामले में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं । क्लीनिकल या विकिरण परीक्षा पर डाक्टर की राय को विधिक सबूत के रूप में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है । दोनों ओर दो वर्ष की गलती का अवसर निकाला गया है यद्यपि, जब विकिरण परीक्षा के आधार पर आय् का अभिनिश्चयन किया गया है । [(ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1297 (जया माला बनाम गृह सचिव, जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य)। वाले मामले का अवलंब लिया गया मौखिक साक्ष्य सहित केवल चिकित्सा राय और अन्य साक्ष्य केवल इस कारण से त्यक्त नहीं किया जा सकता कि चिकित्सा साक्ष्य का मौखिक साक्ष्य से विरोध है । इसके अतिरिक्त, चिकित्सा साक्ष्य जन्म-तिथि रजिस्टर में किए गए प्रविष्टि के विरुद्ध मान्य नहीं किया जा सकता जो समृचित रूप से प्रमाणित है । जन्म-तिथि रजिस्टर में की गई प्रविष्टि जन्म और मृत्यू रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 17(2) को ध्यान में रखते हुए उसका प्रकल्पित मुल्य है और विधि की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है जब चिकित्सा साक्ष्य और अन्य साक्ष्य के बीच विरोध हो ।

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 को ध्यान में रखते हुए जन्म-तिथि के बारे में विद्यालय रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को सुसंगत रूप से माने जाने की जरूरत है। ऐसा रजिस्टर स्कूल द्वारा अपने कर्तव्य के नियमित निर्वहन में रखा जाता है और इसे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है। जब ऐसी प्रविष्टि विवाद प्रारंभ होने से पूर्व की गई है तब अपराध के किए जाने के कई वर्ष पूर्व और जब प्रविष्टि संबंधित मौखिक साक्ष्य देकर साबित की जाती है तब ऐसी प्रविष्टि को सम्यक् रूप से महत्व दिए जाने की जरूरत है। ऐसी प्रविष्टियां सुसंगत और आवश्यक रूप से मानी जानी चाहिए और यह साक्ष्य में ग्राह्य है। यद्यपि ऐसी प्रविष्टि आयु के निर्धारण के लिए एकमात्र स्पष्ट कारक के रूप में नहीं हो सकती। इसका जन्म तिथि रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के मामले की भांति प्रकल्पित मूल्य नहीं है जैसािक पहले ही मत व्यक्त किया गया है।

15. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त के विद्वान काउंसेल द्वारा एस. वर्धराजन बनाम मद्रास राज्य¹ वाले मामले का अवलंब लिया गया । इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 361 में प्रयुक्त "ले जाता है" और "बहका कर ले जाता है" की भांति शब्दों के बीच भिन्नता पर चर्चा की गई । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि अभियोक्त्री की आयु विवेक को प्रयोग करने की अवस्था में पहुंच गई है और उसने 16 वर्ष की आयु पार कर ली है, यद्यपि, वह अप्राप्तवय है तब अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह यह दर्शित करे कि अभियुक्त अभियोक्त्री को उसे कोई धमकी देकर अपने साथ ले गया या चिकनी-चूपड़ी बातें करके अपने साथ ले गया । यह मत व्यक्त किया गया कि यदि अभियोक्त्री ने स्वयं अपने माता-पिता के घर को छोड़ा था और उसके पश्चात अभियुक्त ने उसे अपने संग रखा था तब यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त का कार्य व्यपहरण की कोटि में आता है । उस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री स्पष्ट रूप से यह जानती थी कि वह क्या कर रही है और उसके लिए क्या अच्छा है । उस

¹ ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 942.

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त के संग जो भी कार्य किया, वह व्यपहरण के अपराध की कोटि में नहीं आता है।

16. दंड संहिता की धारा 361 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :-

"361. विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यपहरण — जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो (सोलह) वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो (अठारह) वर्ष के कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से एक संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में 'विधिपूर्ण संरक्षक' शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

अपवाद – इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए।"

17. एस. वर्धराजन वाले मामले में दी गई मताभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि अप्राप्तवय अभियोक्त्री ने 16 वर्ष की आयु पार कर ली थी तो इस बारे में यह अभिनिश्चित किया जाना जरूरी है कि क्या अभियुक्त द्वारा कोई सक्रिय भूमिका अदा की गई थी जिस कारण अभियोक्त्री ने अपने संरक्षक का घर छोड़ दिया । थकुराल डी. वाडगामा बनाम गुजरात राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने "ले जाना" और "बहका कर ले जाना" दो शब्दों के बीच भिन्नता पर चर्चा की है । यह अधिकथित किया गया है कि "ले जाना" शब्द में "बल" का प्रयोग नहीं

¹ ए. आई आर. 1965 एस. सी. 942.

² ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2313.

होता है और इससे यह अभिप्रेत है कि "जाने का कारण", "अनुरक्षण" या "कब्जे में लेना" है । दूसरी ओर, इससे अप्राप्तवय को यह प्रेरित करना है कि वह व्यपहरणकर्ता के साथ अपनी स्वयं की सहमति से जाए अर्थात् अप्राप्तवय की इच्छा की मानसिक दशा पर अभियुक्त द्वारा किसी तरीके से उसे ले जाना है । विधि की ऐसी स्थिति को ऐसे किसी मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय विवेक में रखा जाना जरूरी है ।

18. अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य जो मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार का है श्री मृतकुले (अभि. सा. 1) जो अधगांव के छत्रपति साह महाराज विद्यालय का प्रधानाध्यापक है, ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री के बारे में उसके विद्यालय रजिस्टर में प्रविष्टियां की गई थीं । यह रजिस्टर दाखिला देते समय प्रविष्टियों को करने तथा छात्रों का विद्यालय छोड़ते समय प्रविष्टि करने के लिए रखा गया है । मूल रजिस्टर को न्यायालय में लाया गया था । अभियोक्त्री के नाम की प्रविष्टि क्रमांक सं. 643 पर है । इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार कि अभियोक्त्री केन्द्रीय प्राथमिक विद्यालय, अधगांव से इस विद्यालय पर दाखिला के लिए पहुंची थी जहां अभियोक्त्री ने 7वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी । उसके अनुसार पूर्व विद्यालय के अभिलेख के अनुसार जन्म की तारीख 7 अक्तूबर, 1990 अभिलिखित की गई थी । छत्रपति साहू महाराज विद्यालय द्वारा विद्यालय रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के सार को अभिलेख पर प्रदर्श 42 के रूप में रखा गया है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि विद्यालय ने प्रथम कक्षा में दाखिला केवल जब जन्म-तिथि प्रमाणपत्र स्थानीय निकाय ग्राम पाटिल द्वारा जारी किया गया था, तब दाखिला दिया गया था । जिसे बालक के माता-पिता या संरक्षक द्वारा पेश किया गया था । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री को उसके विद्यालय में दाखिला दिया गया था क्योंकि वह पूर्व विद्यालय से जारी किए गए स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर आई थी । स्थानांतरण प्रमाणपत्र पूर्व विद्यालय द्वारा जारी किया गया था जिसे इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया था परंत् अभिलेख से यह दर्शित हुआ है कि किसी ने भी उसे न्यायालय में पेश करने के लिए आग्रह नहीं किया । साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ऐसा प्रमाणपत्र विद्यालय में उपलब्ध हो गया था । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री को उसके विद्यालय में तारीख 4 जुलाई, 2003 को दाखिला मिला था । विचारण न्यायालय ने इस साक्षी द्वारा पेश किए गए अभिलेख तथा उसके मौखिक साक्ष्य में भी किसी तरह का संदेह प्रकट नहीं किया है। इस साक्षी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अभि. सा. 1 के मौखिक साक्ष्य के अनुसार अभियोक्त्री की आयु प्रदर्श 42 में उस सुसंगत समय पर लगभग 17 वर्ष 2 मास थी।

19. अभियोक्त्री (अभि. सा. 4) के साक्ष्य को तारीख 16 जनवरी, 2012 को विचारण न्यायालय में अभिलिखित किया गया था । उस दिन उसने अपनी आयु 20 वर्ष बताई थी । प्रश्नगत घटना दिसंबर, 2007 में घटी थी । इस प्रकार, मौखिक साक्ष्य के अनुसार उस सुसंगत समय पर अभियोक्त्री ने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी । अभियोक्त्री की माता (अभि. सा. 5) ने यह साक्ष्य दिया है कि उस सूसंगत समय पर अभियोक्त्री की आयु लगभग 17 वर्ष थी । अभियोक्त्री की माता एक अशिक्षित महिला है, इसलिए, वह अभियोक्त्री की सही-सही जन्म-तिथि को नहीं बता सकी । तथापि, उसने अभियोक्त्री की अनुमानित आयु को बताया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श 49 में अभि. सा. 5 द्वारा वही आयु बताई गई थी । गायब रिपोर्ट प्रदर्श 96 अभि. सा. 5 द्वारा उसके बारे में बताया गया था और इस दस्तावेज को प्रतिरक्षा द्वारा स्वीकार किया गया था । इस दस्तावेज में अभियोक्त्री की आयु अभि. सा. 5 द्वारा 17 वर्ष बताई गई थी । इससे यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 5 का ज्येष्ठ पुत्र की आयु उस सुसंगत समय पर लगभग 19 वर्ष थी । डा. रूपाली (अभि. सा. 12) का साक्ष्य जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए अभियोक्त्री की परीक्षा की थी कि क्या उसके साथ मैथ्न हुआ था जिस बारे में उसने साक्ष्य दिया की तारीख 14 जनवरी, 2008 को अभियोक्त्री ने अपनी आयु 17 वर्ष बताई थी । अभियोक्त्री की आयु को क्लीनिकल या विकिरण परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था ।

20. अभियोक्त्री की माता ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियोक्त्री इस घटना की तारीख से लगभग 1 वर्ष पूर्व 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई थी । इसी तरह, अभियोक्त्री द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी साक्ष्य दिया गया था । यह स्वीकार किया गया है कि वह 2 अवसरों पर अनुत्तीर्ण हुई थी । ऐसी दशा में, विद्यालय में प्रथम कक्षा में लड़का या लड़की को दाखिला देते समय उसकी आयु 5 वर्ष पूरी होनी चाहिए । ऐसा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार है । अभि. सा. 1, 4 और 5 के साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री केवल 10वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई थी । यद्यपि, ऐसी उपधारणा कर ली जाए कि वह दो बार

प्रयास करने के बावजूद अनुत्तीर्ण हुई तो इससे यह अनुमान निकाला जा सकता है कि वर्ष 2007 में दिसंबर के माह में उसने मुश्किल से 17 वर्ष की आयु पूरी की थी । यह साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी । तथाकथित, विवाह दस्तावेज प्रदर्श 47 से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री की आयु का 19 वर्ष उल्लेख किया गया है । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया है कि उसे धमकी देकर उसके हस्ताक्षर प्रदर्श 47 पर प्राप्त किए गए थे । इस दस्तावेज के प्रयोजन को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया था । ऐसी परिस्थितियां उसके चारों ओर थीं जिसे अत्यधिक महत्व अभियोक्त्री की आयु के बारे में नहीं दिया जा सकता जो प्रदर्श 47 में 19 वर्ष के रूप में उल्लेख किया गया है ।

21. पूर्वोक्त चर्चा से यह दर्शित हुआ है कि यह मौखिक साक्ष्य है और विद्यालय रजिस्टर के अभिलेख से यह साबित हुआ है कि उस सुसंगत समय पर अभियोक्त्री ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी । विचारण न्यायालय के पास अभियोक्त्री के बारे में तथा उसके तौर-तरीके के बारे में विचार करने का अवसर था । विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री और उसकी माता पर विश्वास किया । विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त अभिलेख का अवलंब लिया । ऐसे मामले में विचारण न्यायालय उन बातों का मूल्यांकन करने में अच्छी स्थिति में था और इसलिए, अपील न्यायालय से विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे तथ्यों पर निष्कर्ष निकालने को हल्के रूप में लेने की आशा नहीं की जाती । इस कार्यवाही में ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं है जिसके लिए अभियोक्त्री की आयु के बारे में विचारण न्यायालय द्वारा वर्णित निष्कर्ष पर हस्तक्षेप करना संभव हो । इस प्रकार, इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि अभियोक्त्री ने उस सुसंगत समय पर 17 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी ।

22. पूर्वोक्त साक्ष्य यह अनुमान निकालने के पर्याप्त है कि अभियोक्त्री ने 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी । इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना जरूरी है । एस. वर्धराजन वाले ऐतिहासिक मामले को ध्यान में रखते हुए इस बारे में यह अभिनिश्चयन किया जाना जरूरी है कि क्या अभियोक्त्री ने स्वयं अपनी इच्छा से निर्णय

¹ ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 942.

लिया था और उसने यह सोचा था कि यह उसके फायदे के लिए था। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि क्या उसने संरक्षक को छोड़ने का निर्णय लिया था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक अभियुक्त व्यक्तियों के साथ जाने का निर्णय लिया। यह अभिनिश्चित करना भी जरूरी है कि क्या "ले जाना" या "बहका कर ले जाना" जैसाकि दंड संहिता की धारा 361 में उल्लिखित है। यह अभिनिश्चित करना भी जरूरी है कि क्या अभियोक्त्री ने किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने का निर्णय लिया था जिसने अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 से अनुमोदन लिया था। यह अभिनिश्चय किया जाना भी जरूरी है कि क्या अभियुक्त सं. 1 ने अभियोक्त्री के साथ मैथुन किया था और इस कार्य के लिए अभियोक्त्री की सहमति थी।

23. अभियोक्त्री (अभि. सा. 4) और अभियोक्त्री की माता (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री यह सूचना देने के पश्चात् 22 दिसंबर, 2007 को ग्राम अदगांव से चली गई थी कि वह नातेदारों के स्थान की ओर प्रस्थान कर रही है । अभियोक्त्री की माता के साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि उसने इस बात की पुष्टि होने के पश्चात् उसके गायब होने की रिपोर्ट दी थी कि अभियोक्त्री अधिकांश नातेदारों के स्थान पर नहीं मिली थी और अभियोक्त्री के अते-पते के बारे में उसे उन नातेदारों से जिनसे सम्पर्क किया था पता नहीं चला । उसके गायब होने की रिपोर्ट प्रदर्श 96 तारीख 6 जनवरी, 2008 को दी गई थी ।

24. अभियोक्त्री (अभि. सा. 4) ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 3 पद्मनी हंवाते छत्रपति साहू महाराज विद्यालय में जहां अभियोक्त्री 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और इस तरह अभियोक्त्री अभियुक्त सं. 3 को जानती थी । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया कि तारीख 22 दिसंबर, 2007 को अधगांव से मकान छोड़ने के पश्चात् वह सबसे पहले अपने पैतृक चाची सुखबाई के मकान पर गई थी और वह वहां वह एक रात रुकी तब वह दत्ता वैद्य मामा के घर पर गई जो ग्राम कनहेर गांव के निवासी हैं । उसने यह भी साक्ष्य दिया कि अभियुक्त सं. 3 वहां पहुंचा और उसने ग्राम कांटा-कोंडला पर स्थित अपनी बहन के मकान पर उससे आने का अनुरोध किया । अभियोक्त्री ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह दत्ता के मकान को छोड़ने के पूर्व या माता या मामा को यह बताना चाहती थी परंतु अभियुक्त सं. 3 ने यह कहा कि वे तुरंत ही वापस लौटेंगे, वह अभियुक्त सं. 3 के साथ दत्ता के मकान से चली । इस प्रकार, अभियोक्त्री द्वारा दिया गया साक्ष्य यह है कि वह अभियुक्त सं. 3 है जो किसी बहाने से दत्ता वैद्य के

मकान से ग्राम कांटा कोंडला उसे लेकर गया । अभियोक्त्री द्वारा दिए गए पूर्वोक्त साक्ष्य के बारे में कोई विभेद या लोप प्रकट नहीं है और जिसे प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया है ।

25. अभियोक्त्री (अभि. सा. 5) की माता ने यह साक्ष्य दिया है कि जब उसे यह पता चला कि अभियुक्त सं. 3 अभियोक्त्री को दत्ता वैद्य के मकान से अपने साथ लेकर गई थी तब वह अदगांव पर स्थित पद्मनी हंवाते अभियुक्त सं. 3 के मकान पर गई । उसने यह साक्ष्य दिया कि अभियुक्त सं. 3 के पिता ने उससे झगड़ा किया और उसे गालियां दीं । उसने यह साक्ष्य दिया कि तब वह पुलिस थाने पर गई और उसने रिपोर्ट दी । यह कहा जा सकता है कि यह साक्षी गायब होने की रिपोर्ट प्रदर्श 96 का उल्लेख करना चाहती थी । प्रदर्श 96 के बारे में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है । प्रदर्श 96 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अभि. सा. 5 को अभियुक्त सं. 3 द्वारा दत्ता वैद्य के मकान से ग्राम कांटाकोंडला अभियोक्त्री को ले जाने की घटना के बारे में पता चला था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श 49 तारीख 13 जनवरी, 2008 में ऐसा उल्लेख किया गया है जिसे अभि. सा. 5 द्वारा दिया गया था कि उसे तारीख 25 दिसंबर, 2007 को दत्ता की पत्नी से घटना के बारे में पता चला, क्योंकि प्रदर्श 96 में तारीख 6 जनवरी. 2008 की गायब होने की रिपोर्ट का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है और अभि. सा. 5 के साक्ष्य को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है कि उसे तारीख 6 जनवरी, 2008 से पूर्व पूर्वीक्त घटना के बारे में पता चला था ।

26. परिवादी के भाई की पत्नी स्वाती दत्ता वैद्य (अभि. सा. 7) ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री उसके मकान पर 23 वीं तारीख को आई थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त सं. 3 अगले दिन अर्थात् 24 तारीख को अपने साथ अभियोक्त्री को ले गया था । पुलिस हैड कांस्टेबल श्री काले (अभि. सा. 6) के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वाती (अभि. सा. 7) पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

27. पुलिस हैड कांस्टेबल, श्री काले (अभि. सा. 6) ने गायब होने की रिपोर्ट का अन्वेषण किया । उसने यह साक्ष्य दिया कि जब उसे यह पता चला कि अभियुक्त सं. 3 कांटाकोंडला अभियुक्त सं. 5 के मकान पर अभियोक्त्री को ले गया तब वह पूछताछ करने के लिए वहां पर गया । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे अभियुक्त सं. 3 के माता-पिता से यह पता चला कि अभियोक्त्री को खंडवा (मध्य प्रदेश) ले जाया गया था और

इस तरह वह वहां भी गया । यद्यपि अभियोक्त्री को खंडवा ले जाने के बारे में यह साक्ष्य सुना-सुनाया प्रकृति का है, इस साक्ष्य का अन्य साक्ष्य इस प्रभाव का है कि वह खंडवा गया जहां उसने तथाकथित विवाह दस्तावेज एकत्रित किए और वह अभियोक्त्री और कुछ अभियुक्तों को फुटफल (मध्य प्रदेश) से देहात पुलिस थाना हिंगोली लाया था और यह बात साक्ष्य में ग्राह्य है । यह साक्ष्य सम्पुष्टि के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है । उसने यह साक्ष्य दिया कि अभियुक्त सं. 2 और 3 अन्वेषण के दौरान पूर्वोक्त स्थानों पर ले जाया गया । अभियुक्त सं. 2 और 3 द्वारा दी गई तथाकथित सूचना के बारे में इस साक्षी द्वारा कोई अभिलेख नहीं बनाया गया था और इसलिए, साक्ष्य के ऐसे भाग को अभियुक्त सं. 2 और 3 के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है ।

28. अभियोक्त्री (अभि. सा. 4) की प्रतिपरीक्षा से यह दर्शित हुआ है कि पुलिस के समक्ष जब पूर्व में वृत्तांत दिया गया, वह प्रतिकूल नहीं था और पहले के कथन में कोई लोप नहीं हुआ था । प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा इस आशय के बारे में कई सुझाव दिए गए थे । यह कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा के काउंसेल द्वारा दिए गए कई सुझावों को तकनीकी रूप से अभिलिखित किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के उपबंधों तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 को ध्यान में रखते हए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि सबसे पहले इस बारे में यह अभिनिश्चित किया जाए कि क्या उसमें कोई लोप या विभेद प्रकट हुए हैं तथा केवल यह स्निश्चित करने के पश्चात न्यायालय से यह आशा की जाती है कि वह प्रश्न और उत्तर के अभिलेख को अनुज्ञात करें । इसके अतिरिक्त, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि पूर्व वृत्तांत पर यह स्निश्चित करने के लिए सम्चित रूप से विचार करें कि क्या प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा किसी लोप के बारे में कोई सुझाव दिया गया था या क्या प्रतिरक्षा के काउंसेल द्वारा दिए गए सुझाव पर वास्तविक रूप से विसंगतता प्रकट हुई थी । उदाहरणार्थ, जब अभियोक्त्री के साक्ष्य के संबंध में कोई लोप प्रकट नहीं हुआ था तब पदमनी हंवाते (अभियुक्त सं. 3) जो अभियोक्त्री को दत्ता के मकान से श्रीमती हंवाते के मकान पर ले गई थी ऐसे सुझाव को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया । संयोग से विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 3 के विरुद्ध इस साक्ष्य का प्रयोग किया है।

29. अभियोक्त्री (अभि. सा. 4) ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 5 के मकान में उसे चाय दी गई थी और चाय देने के पश्चात वह बेहोश हो गई । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसे पुनः होश आया उसने यह देखा कि वह बाधवा रेलवे स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर थी । उसके पूर्ववर्ती कथन जिसमें किसी पदार्थ को पिलाए जाना और उसके बाद बेहोश हो जाने का लोप है । तथापि, अभियोक्त्री का साक्ष्य इस आशय का है कि प्रत्येक बात जो उसके साथ की गई थी जबिक वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं थी और जब वह इस बात के लिए सहमित पक्षकार भी नहीं थी । अभियोक्त्री द्वारा दिया गया साक्ष्य यह है कि उसे जीवन छीन लेने की धमकी दी गई थी । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से उपदर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री ने उन स्थानों के बारे में किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं किया है जहां उसे ले जाया गया था । ग्राम अदगांव में भी वह मामा की दया पर थी । उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसका बड़ा भाई गूंगा है । इन परिस्थितियों को अभियोक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय विवेक में रखा जाना जरूरी था । अभियोक्त्री की माता अशिक्षित महिला है और वह श्रमिक वर्ग से है ।

30. अभियोक्त्री (अभि. सा. 4) ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 ने 50,000/- रुपए के प्रतिफल पर उसे बेचने के लिए वस्तुतः किन्हीं विचित्र व्यक्ति के साथ बातचीत की थी । उसने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 2 ने अभियोक्त्री की माता के रूप में अपने को प्रकट किया था और अभियुक्त सं. 5 ने स्वयं अभियोक्त्री के भाई के रूप में प्रकट किया था । इन दो व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे पेश करने को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए इन दोनों व्यक्तियों के आचरण के बारे में संदेह करने का कोई कारण नहीं होता है । अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दिया है कि अंततः इन दोनों अभियुक्तों ने अभियुक्त सं. 1 के साथ बातचीत की थी और अभियुक्त सं. 1 और अन्य अभियुक्तों के बीच कुछ समझौता हुआ था । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि उसे अभियुक्त सं. 1 के गांव फुटफल ले जाया गया था ।

31. अभियोक्त्री (अभि. सा. 4) ने यह साक्ष्य दिया है कि फुटफल से उसे खंडवा ले जाया गया था और वहां उसके हस्ताक्षर किसी दस्तावेज पर लिए गए थे । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे धमकी देकर इस दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर बलपूर्वक कराए गए थे । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने चीख-पुकार की थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 और अन्य अभियुक्तों ने तब उसे अभियुक्त सं. 1 के हवाले कर दिया ।

32. अभियोक्त्री की प्रतिपरीक्षा में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसे यह सुझाव दिया गया था कि अभियोक्त्री ने आटो ड्राइवर, बस के यात्रियों के भांति किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं की जब उसे बलपूर्वक ले जाया जा रहा था । अभियोक्त्री ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि वे लोग हिन्दी भाषा बोलने वाले थे और वह इस भाषा को समझने और उस भाषा को बोलने में असमर्थ थी । अभियोक्त्री के असहाय होने के बारे में पहले ही चर्चा की गई है । अभियोक्त्री के असहाय होने के विरुद्ध वहां पर कई अभियुक्त थे और वे अभियोक्त्री को निरंतर धमकी दे रहे थे और वे संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वे अभियोक्त्री के तथाकथित चुप रहने के बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती ।

33. अभियुक्त सं. 3 को अभियोक्त्री के बारे में पता था । यह कहा गया है कि अभियुक्त सं. 2 और 5 अभियुक्त सं. 3 के नातेदार हैं । साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त सं. 5 अभियोक्त्री को जानता/ जानती थी । यह संभव नहीं है कि अभियोक्त्री अभियुक्त सं. 1 को जानता था । दस्तावेज प्रदर्श 47 की रचना केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए की गई कि अभियुक्त सं. 1 अपनी सुरक्षा चाहता था । अभियोक्त्री के साक्ष्य से इस प्रभाव की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है कि उसकी माता ने अन्य अभियुक्तों को मध्य प्रदेश में अभियोक्त्री को बेचने के लिए इजाजत दी थी या उन्होंने अभियुक्त सं. 1 के साथ अभियोक्त्री के विवाह की मंजूरी दी थी । यह कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री और उसकी माता ने यह सोचा था कि दस्तावेज प्रदर्श 47 एक दस्तावेज है जिसके अधीन विवाह का अनुष्ठान पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है । प्रदर्श 47 की अंतर्वस्तु से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि विवाह की रस्में पहले ही पूरी हो चुकी हैं और केवल इस दलील के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 47 का सृजन किया गया था । विवाह का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा या तो अभियोक्त्री या उसकी माता को कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया था ।

34. पुलिस हैड कांस्टेबल, श्री काले (अभि. सा. 6) ने यह साक्ष्य दिया है कि वह कुछ अभियुक्तों को गायब होने के बारे में रिपोर्ट के अन्वेषण के दौरान उन्हें हिंगोली लाया था । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि वह फुटफल से अभियुक्त सं. 1 के मकान पर गया था । हैड

कांस्टेबल श्री पठान (अभि. सा. 8) अपराध का अन्वेषण किए जाने के लिए तैनात किया गया था । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि उसने पंचनामा प्रदर्श 56 के अधीन तथाकथित विवाह दस्तावेज प्रदर्श 47 एकत्र किया था । उसने बंधपत्र लिखने वाले, और नोटरी पब्लिक आदि के व्यक्तियों के कथनों को भी अभिलिखित किया था, प्रदर्श 47 के निष्पादन के बारे में साक्ष्य भी एकत्रित किया । फुटफल से अभियुक्त सं. 1 के मकान का पंचनामा भी पठान द्वारा तैयार किया गया था । पठान का साक्ष्य और दस्तावेज प्रदर्श 56, 57 और 47 से यह दर्शित हुआ है कि अभियुक्त सं. 1 के भाई ताराचंद सूर्यवंशी ने प्रदर्श 47 पेश किया था । वह उस समय मौजूद था जब पंचनामा तैयार किया जा रहा था । हैड कांस्टेबल यानी काले और पठान दोनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

35. खंडवा से अरविन्द कुमार भटट (अभि. सा. 9), अधिवक्ता और नोटरी पब्लिक ने नोटरीराइजेशन प्रदर्श 47 पर साक्ष्य दिया है । उसने यह साक्ष्य दिया है कि उसे यह बताया गया था कि दुल्हन के माता-पिता साक्षियों के रूप में उसके समक्ष मौजूद थे । उसने न्यायालय में अभियुक्त सं. 2 की शिनाख्त की । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अनुसूइया पत्नी स्भाष निवासी अदगांव ने उसके समक्ष अपने अंगूठे का निशान लगाया । उसने यह साक्ष्य दिया कि वासुदेव पुत्र सुभाष निवासी अदगांव ने उसके समक्ष प्रदर्श 47 पर अपने अंगूठे का निशान लगाया । इस साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्त सं. 1 की शिनाख्त की और उसने यह साक्ष्य दिया कि अभियुक्त सं. 1 ने उसकी मौजूदगी में प्रदर्श 47 पर अपने हस्ताक्षर किए । उसने यह साक्ष्य दिया कि क्रमांक सं. 3 और 4 पर उसके समक्ष साक्षियों ने अपने हस्ताक्षर किए । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि उसने यह कहने की कोशिश की कि अभियुक्त सं. 2 और 5 ने इस दस्तावेज पर अभियोक्त्री के माता-पिता के रूप में अपने अंगूठे का निशान लगाया था । यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त सं. 5 के पिता का नाम के बारे में अभियुक्त सं. 2 के साथ अभियुक्त सं. 5 के संबंध का सही रूप से वर्णन नहीं किया गया है । तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि नोटरी पब्लिक ने न्यायालय में अभियुक्त सं. 2 की शिनाख्त की और उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि अभियुक्त सं. 5 ने उसकी उपस्थिति में उसकी मौजूदगी में अभियोक्त्री के नातेदार होने प्रदर्श 47 पर अपना अंगूठा भी लगाया था । प्रतिपरीक्षा में अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि अभियोक्त्री ने उससे कोई शिकायत नहीं की कि उस पर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए

दबाव डाला गया था । यह स्वीकृति सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैसाकि पहले ही चर्चा की गई है, अभियोजन के विरुद्ध नहीं हो सकती है ।

36. नोटरी पब्लिक (अभि. सा. 9) के साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि वह वैयक्तिक रूप से अभियुक्त सं. 1, अभियोक्त्री और अभियोक्त्री के माता-पिता को नहीं जानता है । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि एक अधिवक्ता, सोमानी द्वारा यह मामला उसको निर्दिष्ट किया गया था । एक ज्ञात व्यक्ति हंसराज ताराचंद फुटफल पक्षकारों को जानता था और उसने दस्तावेज को नोटरीराइज्ड किया था । उसने गलत रूप से विवाह के दस्तावेज के रूप में इस दस्तावेज का वर्णन किया है । जब स्वतः ही इस दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि विवाह का अनुष्ठान पहले ही हो चुका था । इस प्रकार, इस साक्षी ने पक्षकारों के पहचान संबंधी एकत्रित किए गए अभिलेख को नहीं देखा । उसके पास ऐसे मिथ्या दस्तावेज को बनाने का कोई कारण नहीं है और इस साक्षी के साक्ष्य के विरुद्ध अभिलेख पर कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है । इस साक्षी के साक्ष्य को सम्यक् रूप से महत्व दिया जाना जरूरी है । इस परिस्थिति से निश्चित रूप से अभियोक्त्री के मामले की सम्पुष्टि होती है ।

37. पुलिस निरीक्षक, श्री दभाडे (अभि. सा. 11) ने यह साक्ष्य दिया है कि अन्वेषण के दौरान उसने अभियुक्त सं. 2 और 5 के अंगूठे के निशान का नमूना एकत्रित किया और उसने तुलना करने के लिए प्रदर्श 47 के साथ उसे अंगुली छाप विशेषज्ञ के पास भेजा । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि प्रदर्श 78 तुलना संबंधी रिपोर्ट है । इस साक्ष्य पर प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है । प्रदर्श 78 से यह दर्शित हुआ है कि अभियुक्त सं. 5 का अंगूठे के निशान का नमूना प्रदर्श 47 पर अभियुक्त सं. 5 के अंगूठे के नमूने से मेल खाता है । तथापि, प्रदर्श 47 पर अभियुक्त सं. 2 के अंगूठे के निशान का नमूना तुलना करने पर उपयुक्त नहीं पाया गया था । अभियुक्त सं. 5 के विरुद्ध इस साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन को सम्पुष्टि मिलती है । इस प्रकार, एक ओर अभियुक्त सं. 5 के अंगूठे का निशान प्रदर्श 47 पर प्रकट उसके अंगूठे के निशान से मेल खाता है और दूसरी ओर नोटरी पब्लिक के साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि अभियुक्त सं. 2 ने अभियोक्त्री की माता के रूप में अपने को पेश किया था जब दस्तावेज का नोटरीराइण्ड किया गया ।

38. अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 11) ने यह साक्ष्य दिया कि

अभियुक्त सं. 2 ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन किया है और इस कथन के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त सं. 2 के निवास स्थान से 8,000/- रुपए की नकद राशि बरामद की थी । उसने यह साक्ष्य दिया कि उसी कथन के आधार पर अभियुक्त सं. 2 के निवास स्थान से एक सलवार ड्रेस भी बरामद की गई थी । अभियुक्त सं. 2 का ज्ञापन पत्र कथन प्रदर्श 72 के रूप में साबित किया गया । यह बरामदगी अभियुक्त सं. 2 की गिरफ्तारी के एक दिन पश्चात् तारीख 14 जनवरी, 2008 को की गई थी । इस रकम के बारे में 20,000/- रुपए के प्रतिफल रकम का भाग होना कहा जा सकता है । अभियुक्त सं. 2 द्वारा इस रकम के बरामदगी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । यह परिस्थिति अभियोजन पक्षकथन की सम्पुष्टि के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

39. पूर्वोक्त साक्ष्य जो प्रत्यक्ष और पारिस्थितिक दोनों रूप में है उन अपराधों को साबित करने के लिए पर्याप्त है जिसके लिए अभियुक्त सं. 2, 3 और 5 के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था । इस साक्ष्य से यह साबित किया जाना भी पर्याप्त है कि अभियोक्त्री का व्यपहरण किया गया था और इन अभियुक्तों द्वारा अवैध प्रयोजनों के लिए अभियुक्त सं. 1 को बेचा गया था ।

40. अभियोक्त्री (अभि. सा. 4) ने यह साक्ष्य दिया है कि प्रदर्श 47 दस्तावेज को बनाने के पश्चात् उसे अभियुक्त सं. 1 द्वारा ग्राम फुटफ ल ले जाया गया था । यह दस्तावेज तारीख 3 जनवरी, 2008 को बनाया गया था । उसने यह साक्ष्य दिया है कि वह और अभियुक्त सं. 1 के नातेदार द्वारा एक कमरे पर चले गए थे और यह कमरा बाहर की ओर से बंद था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह चीखी-चिल्लाई थी और उसने इस बात से मना किया था कि अभियुक्त सं. 1 ने उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया था । अभियोक्त्री ने बलात्संग की घटना के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है । मूल साक्ष्य पर यह कहा जा सकता है कि उसने केवल बलात्संग की एक घटना का वर्णन किया है । प्रतिस्क्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा यह दर्शित करने का प्रयास किया गया है कि "बलपूर्वक" शब्द का अभियोक्त्री द्वारा अपने पूर्व कथन में प्रयोग नहीं किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही अवलोकन करके इस सुझाव को अभिलिखित किया गया था । अभियोक्त्री के पूर्ववर्ती बयान से सम्पूर्ण रूप से यह दर्शित होता है कि बल का प्रयोग करने का उल्लेख और

अभियोक्त्री द्वारा प्रतिरोध किया जाना है। इस प्रकार, बलात्संग के अपराध के बारे में अभियोक्त्री के पूर्व कथन के संबंध में कोई लोप या विसंगति तात्विक प्रश्न पर नहीं हैं। अभियोक्त्री ने न्यायालय में सभी अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त की है। उसने प्रदर्श 47 दस्तावेज की भी शिनाख्त की। अभियुक्त सं. 2 के निवास स्थान से बरामद की गई अपनी सलवार ड्रेस की भी पहचान की।

- 41. प्रतिरक्षा पक्ष ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अभियुक्त सं. 1 द्वारा बल का प्रयोग नहीं किया गया था और अभियोक्त्री अभियुक्त सं. 1 के निवास स्थान से भाग सकती थी । अभियोक्त्री के साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि उस स्थान पर केवल अभियुक्त सं. 1 के चाचा का मकान है । उसके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि उसने पड़ौसियों को घटना के बारे में बताने की कोशिश की परंतु वहां पर रहने वाले व्यक्ति उसकी भाषा को समझने में समर्थ नहीं थे ।
- 42. डा. श्रीधारकर (अभि. सा. 12) और डा. अंजली पाटिल (अभि. सा. 13) ने अभियोक्त्री के चिकित्सा परीक्षा पर साक्ष्य दिया है। यह प्रकट हुआ है कि डा. श्रीधारकर की अभियोजन पक्ष द्वारा सबसे पहले परीक्षा की गई थी क्योंकि अभियोजन पक्ष ने यह सोचा था कि डा. अंजली पाटिल उपलब्ध नहीं थी। डा. अंजली पाटिल ने तारीख 14 जनवरी, 2007 को अभियोक्त्री की परीक्षा की थी। अभियोक्त्री के चिकित्सा परीक्षा का अभिलेख उसके मौखिक साक्ष्य के संगत है कि अभियुक्त सं. 1 ने उसके साथ मैथुन किया था। योनिच्छद फटा हुआ था। यद्यपि, अभियोक्त्री के शरीर पर कोई क्षति नहीं पाई गई थी। इस बात को भी विवेक में रखना जरूरी है कि यह घटना तारीख 3 जनवरी, 2008 को घटी थी और उसकी तारीख 14 जनवरी, 2008 को परीक्षा की गई थी और अभियोक्त्री द्वारा ग्राम फुटफल में किसी किस्म का प्रतिरोध किए जाने की संभावना प्रकट नहीं हुई है। अभियोजन का अभिलेख प्रदर्श 84 इस साक्ष्य के मौखिक साक्ष्य के संगत है। प्रतिरक्षा का मामला यह नहीं है कि अभियुक्त सं. 1 मैथुन करने में समर्थ नहीं था।
- 43. विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त सभी अभियोजन साक्षियों पर विश्वास किया है । बलात्संग के मामले में और खासतौर पर अभियोक्त्री के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य दिया । अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर बहुत ही मंद गति से हस्तक्षेप करना जरूरी समझा जो मौखिक साक्ष्य के

मुल्यांकन पर आधारित है । ऐसे किसी मामले में विचारण न्यायालय के लिए यह उत्तम होगा कि साक्ष्य का मूल्यांकन करे क्योंकि उसके पास यह अवसर था कि अभियोक्त्री की भांति साक्षियों के आचरण का अवलोकन करें । विचारण न्यायालय यह देखने की स्थिति में था और अभियोक्त्री की समझ को सुनिश्चित करने की स्थिति में था तथा उसकी शक्ति स्थिति पर प्रतिक्रिया करने की भी है । यह सुस्थिर है कि जब दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की गई है तब अपील न्यायालय को साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए । परंत् उसी समय अपील न्यायालय से यह आशा की जाती है और पूर्वोक्त प्रकृति की अपनी शक्ति पर परिसीमा को ध्यान में रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-क के अधीन यह उपधारणा उपलब्ध है कि जब अभियोक्त्री ने यह कथन किया कि वह मैथून किए जाने के लिए सहमति पक्षकार नहीं थी तब न्यायालय को ऐसी उपधारणा पर विचार करना चाहिए जब तक कि इसका खंडन न कर दिया जाए । इस न्यायालय ने अभियोक्त्री और उसकी माता पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया है । पूर्वोक्त साक्ष्य दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है ।

44. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने कुछ संप्रकाशित मामलों का अवलंब लिया है । उदय बनाम कर्नाटक राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने सहमति की अनुपस्थिति सहित अपराध के प्रत्येक संघटक को साबित करने के लिए अभियोजन पर भार डाला है । इस प्रतिपादना पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता । पूर्वोक्त उपधारणा को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जब अभियोक्त्री ने साक्ष्य दिया कि उसने कोई सहमति नहीं दी थी तब न्यायालय को यह उपधारणा करनी चाहिए थी कि ऐसी कोई सहमति नहीं हुई थी जब तक कि उपधारणा का खंडन न कर दिया जाए और सहमति की संभावना सृजित होती हो ।

45. सदाशिव रामाराव हेडबे बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्ये वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री द्वारा वर्णित कहानी प्रकृति में संभव नहीं थी । उसी तरह मुसाउद्दीन अहमद बनाम असम राज्ये वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी तरह की मताभिव्यक्तियां की गई हैं । इस मामले में उच्चतम

¹ (2003) 4 एस. सी. सी. 46 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639.

² (2006) 10 एस. सी. सी. 92.

³ (2009) 14 एस. सी. सी. 541 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3813.

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मामले में सहमित की संभावना थी। विलास पुत्र साहेब्रो गिलिबले बनाम महाराष्ट्र राज्य (मुम्बई उच्च न्यायालय)¹, राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)², राजेश पटेल बनाम झारखंड राज्य³, महाराष्ट्र राज्य बनाम नाथुराम उर्फ नाथु श्रीपति वल्के (मुम्बई उच्च न्यायालय)⁴, रामदास और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य⁵ और कुलदीप के. मेहतो बनाम बिहार राज्य⁶ वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री पर विश्वास करने की कोई संभावना नहीं थी। इन मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों पर उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मामले की सामग्री से दोषसिद्धि का आधार नहीं बनता था। प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियां हमेशा भिन्न-भिन्न होती हैं। इस न्यायालय ने पहले ही विचार किया और वर्तमान मामले के सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा की।

46. दंड के प्रश्न पर यह कहा जा सकता है कि बलात्संग के अपराध के लिए 7 वर्ष का कारावास, व्यपहरण के अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास और दंड संहिता की धारा 366-क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 3 वर्ष का कारावास की शास्ति कम है । शास्ति के प्रश्न पर भी किसी तरह का हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

47. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं ।

अपीलें खारिज की गईं।

आर्य

OHA

¹ 2012 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 1248 = ए. आई. आर. 2012 (2) मुम्बई आर. 550.

² (2012) 8 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157.

³ (2013) 3 एस. सी. सी. 791 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1497.

⁴ (2007) 1 एम. एच. एल. जे. (क्रिमिनल) 501 = ए. आई. आर. 2008 (1) मुम्बई आर. 148.

⁵ (2007) 2 एस. सी. सी. 170 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 155.

⁶ 1998 क्रिमिनल ला जर्नल 4033 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2694.

हरदेव सिंह और एक अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 25 फरवरी, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 15 और 2(xvii) – विनिषिद्ध माल की तलाशी और अभिग्रहण – जहां अभियोजन यह साबित करने में असफल रहता है कि अभिकथित बरामद माल "अफीम पोस्ता" या "पोस्ता पुआल" की परिभाषा के अंतर्गत आता है वहां अभियुक्त को विनिषिद्ध माल को रखने के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, चूंकि अभियुक्त से "पोस्ते की भूसी" बरामद की गई थी अतः, पोस्त की भूसी "अफीम पोस्ता" या "पोस्ता पुआल" की परिभाषा के अंतर्गत न आने के कारण अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि वर्ष 2002 में हेड कांस्टेबल, घनश्याम पुलिस थाना, सरकाघाट पर तैनात था । तारीख 5 जुलाई, 2002 को कैंची मोड़ (भंबाला) पर लगभग 2.30 बजे अपराह्न जैसाकि पूर्व में कहा गया है, मंडी की ओर से सफेद रंग की मारुति कार पहुंची । इसे रुकने के लिए संकेत दिया गया था परंतु ड्राइवर बलदेव सिंह (फरार अभियुक्त) ने उसे नहीं रोका और तेजी से यान को भगा ले गया । उसी बीच, टैक्सी जीप सं. एच पी 01-8485 जाहू की ओर से पहुंची । इसे मनोज कुमार द्वारा चलाया जा रहा था । हेड कांस्टेबल, घनश्याम ने उस यान की सहायता ली और मारुति कार का पीछा किया जिसे कुछ दुरी पर रोक दिया गया । सह-अभियुक्त स्रजीत ड्राइवर के बगल पर बैठा हुआ था जबिक सह-अभियुक्त हरदेव पीछे की सीट पर बैठा हुआ था । हेड कांस्टेबल, घनश्याम पूर्वीक्त ने यान के दस्तावेज मांगे परंतु ड्राइवर उन्हें पेश करने में विफल हुआ । उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था । इसके पश्चात हेड कांस्टेबल घनश्याम ने आकस्मिक रूप से यान की तलाशी ली और कार की डिक्की में टाट का थैला बरामद किया जिसमें 1500 ग्राम ''पोस्ते की भूसी'' पाई गई । कार को पुलिस थाना, सरकाघाट ले जाया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन घनश्याम के

कथन प्रदर्श पी-ए को अभिलिखित किया गया, औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी.के. को रिजस्ट्रीकृत किया गया । थाना भारसाधक अधिकारी, आशीष शर्मा ने मारुति कार की आगे भी तलाशी ली गई । परंतु उसमें कोई अपराध में फंसाने वाली वस्त् नहीं पाई गई । अभिकथित बरामद किए गए विनिषिद्ध माल को तोला गया था और 100 ग्राम के अलग-अलग दो नमूने पृथक्-पृथक् रूप से तैयार किए गए थे और उन पर मोहर की छाप "एच" लगाई गई थी और बाकी पुस्ते के ढेर को उसी मोहर से मोहरबंद किया गया था । एन. सी. बी. प्ररूप की तीन प्रतियां बनाई गई थीं जिसमें से एक प्रदर्श पी. जे. है और उन्हें भरा गया था । मोहर की छाप को कपड़े के टुकड़े में रखा गया था । मोहर का प्रयोग करने के पश्चात् उसे मनोज कुमार को सौंप दिया गया था । वाद संपत्ति को अभि. सा. 7 और एक अन्य मनोज कुमार पुत्र श्री सुरत राम की उपस्थिति में अभिग्रहण ज्ञापन के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । पूर्वोक्त कार को ज्ञापन के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । सभी तीनों अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तारी के आधार लिखित में, उनमें से प्रत्येक को बतलाए गए थे । वाद संपत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु "मालखाना" में जमा किया गया था । लिए गए नमुनों में से एक को एन. सी. बी. प्ररूपों के साथ परीक्षा के लिए भेजा गया था तथा अभिग्रहण ज्ञापन की प्रतियां और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कांस्टेबल सुरेश कुमार के माध्यम से सी. टी. एल. कांडाघाट आर. सी. सं. 28/2002 द्वारा उसी दिन जमा कर दिए गए थे और आर. सी. की रसीद प्राप्त की गई थी जिसे एम. एच. सी. जसपाल के वापस लौटने पर उसे सौंप दिया गया था । विश्लेषण करने पर एन. सी. बी. प्ररूप की पिछली ओर रिपोर्ट जारी की गई थी और रसायन परीक्षक की यह राय थी कि नेकोनिक एसिड और मार्फिन की गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षा करने के आधार पर ''पोस्ते की भूसी'' उसमें प्रदर्शित की गई थी जो सकारात्मक पाई गई थी । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात अभियुक्त-व्यक्तियों के विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । सभी तीनों अभियुक्त-व्यक्तियों को इस न्यायालय पर जमानत प्रदान की गई थी और उन्हें अधिनियम की धारा 15 के अधीन तथा मोटर यान अधिनियम के अधीन भी दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था । पूर्वोक्त अभियुक्त-व्यक्तियों ने दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त-व्यक्तियों की दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई । उन्होंने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया । अभियुक्त बलदेव सिंह (फरार अभियुक्त) के अनुसार कि उसने पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए संकेत पर कार रोकी थी और अपनी कार के दस्तावेज की जांच कराई थी । ऐसा करने में लगभग आधा घंटा लगा परंतु किसी विनिषद्ध माल की बरामदगी से इनकार किया । अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों ने भी वैसा ही अभिवाक् किया । इसके पश्चात्, मामले को प्रतिरक्षा साक्ष्य देने के लिए नियत किया गया था । अभियुक्त बलदेव सिंह फरार हो गया था । विचारण न्यायालय द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी उसका पता नहीं लग पाया था । इस प्रकार, तारीख 19 अक्तूबर, 2006 को आदेश करके उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया । विचारण की समाप्ति पर अभियुक्त-व्यक्तियों अर्थात् अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें दोषसिद्ध कर दंडादिष्ट किया गया था । इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – "पोरते की भूसी" को अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है जबकि अधिनियम की धारा 2(xviii) में "पोस्ते के पुआल" को परिभाषित किया गया है जिससे यह अभिप्रेत है कि अफीम पोस्ते के सभी भाग ''बीज को छोड़कर'' खेती करने के पश्चात जो मूल रूप में या कटी हुई या कुचली हुई या पाउडर के रूप में है जिसका उससे जुस नहीं निकाला गया है और अफीम पोस्ता 2(xviii) के अनुसार (क) अफीम वर्ग की वनस्पति की किरम की सोमनीपेरम का पौधा; और (ख) अफीम वर्ग की वनस्पति के किसी अन्य किस्म का पौधा जिससे अफीम या किसी फेनाथ्रीन अल्कालाइड से अर्क निकाला जाना कहा गया है और जिस बारे में केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्ता घोषित किया गया है। "पोस्ता प्आल" के अर्थ को समझने के लिए यह आशयित है कि "अफीम पोस्ता" और पोस्ता पुआल के अर्थ को प्रकट करें जैसाकि ऊपर कथित है । जब "अफीम पोस्ता" की परिभाषा का परिशीलन करें तो इससे यह अभिप्रेत है (क) अफीम वर्ग की वनस्पति सोमनीफेरम - एल. के किरम के पौधे के सभी भाग (बीज को छोड़कर) या अफीम वर्ग की वनस्पति के किसी अन्य किरम का कोई पौधा जिससे अफीम या किसी अन्य फेनाथ्रीन अल्कालाइड से अर्क निकाला जा सकता है और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्ता घोषित किया गया है । वर्तमान मामले में, केवल गुणात्मक

और मात्रात्मक परीक्षा की गई थी और रसायन परीक्षक ने मेकोनिक एसिड और मोर्फिन की मौजूदगी के आधार पर यह राय व्यक्त की कि नमूना "पोस्ते की भूसी" का है । इससे यह उपदर्शित नहीं होता है कि जिस ढेर की परीक्षा की गई या तो अफीम वर्ग की वनस्पति की किरम के पौधे के भाग सम्मिलित थे जिससे अफीम या कोई पेनाथ्रीन अल्कालाइड का अर्क निकाला जा सकता हो जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निकाल कर उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "अफीम पोस्ता" होना घोषित किया गया था । यदि ऐसा है तो रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. ओ. जिसमें "पोस्ते की भूसी" की वस्तु का ढेर सम्मिलित है जिसे इसी तरह की भाषा में "पोस्ता पुआल" के शब्दों के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अभिनिर्धारित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है कि अभियुक्त-व्यक्तियों से बरामद किया गया ढेर जिसकी रसायन परीक्षक द्वारा विश्लेषण किया गया था "पोस्ते का पुआल" था । इस प्रकार, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि अभिकथित बरामदगी "अफीम पोस्ता" या "पोस्ते का पुआल" की परिभाषा के अंतर्गत आता है । अतः, दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है । (पैरा ८, ९, १० और 11)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2008] (2008) 1 शिमला एल. सी. 168 :

राजीव कुमार उर्फ गुगलू बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य । 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 6.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री प्रवीन चंदेल और आर. एल.

चौधरी

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री वी. के. वर्मा और एच. के.

एस. ठाकुर, अपर अधिवक्ता

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह – पक्षकारों को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. अपीलार्थी मारुति कार सं. पी बी 11 एच-0427 में 1500 ग्राम

"पोस्ते की भूसी" अभिकथित रूप से परिवहन करने पर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 15 के अधीन दंडनीय अपराध से सिद्धदोष किए गए थे और उनमें से प्रत्येक को 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा प्रत्येक को 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदेय करने और जुर्माने का संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें 1 मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया।

तारीख 10 जनवरी, 2007 को अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की गई थी । अपीलार्थी जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है, पर अधिरोपित दंडादेश को तारीख 2 फरवरी, 2007 के आदेश द्वारा निलंबित किया गया था ।

- 3. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि वर्ष 2002 में हेड कांस्टेबल, घनश्याम (अभि. सा. 2) पुलिस थाना, सरकाघाट पर तैनात था। तारीख 5 जुलाई, 2002 को कैंची मोड़ (भंबाला) पर लगभग 2.30 बजे अपराहन जैसािक पूर्व में कहा गया है, मंडी की ओर से सफेद रंग की मारुति कार पहुंची। इसे रुकने के लिए संकेत दिया गया था परंतु ड्राइवर बलदेव सिंह (फरार अभियुक्त) ने उसे नहीं रोका और तेजी से यान को भगा ले गया। उसी बीच में टैक्सी जीप सं. एच पी 01-8485 जाहू की ओर से पहुंची। इसे मनोज कुमार (अभि. सा. 2) द्वारा चलाया जा रहा था। हेड कांस्टेबल, घनश्याम (अभि. सा. 1) ने उस यान की सहायता ली और मारुति कार का पीछा किया जिसे कुछ दूरी पर रोक दिया गया। सह-अभियुक्त सुरजीत ड्राइवर के बगल पर बैठा हुआ था जबिक सह-अभियुक्त हरदेव पीछे की सीट पर बैठा हुआ था।
- (ii) हेड कांस्टेबल, घनश्याम (अभि. सा. 1) पूर्वोक्त ने यान के दस्तावेज मांगे परंतु ड्राइवर उन्हें पेश करने में विफल हुआ । उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था । इसके पश्चात् हेड कांस्टेबल घनश्याम ने आकस्मिक रूप से यान की तलाशी ली और कार की डिक्की में टाट का थैला बरामद किया जिसमें 1500 ग्राम "पोस्ते की भूसी" पाई गई । पूर्वोक्त कार को पुलिस थाना, सरकाघाट ले जाया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन घनश्याम के कथन प्रदर्श पी-ए को अभिलिखित किया गया, औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-के को रिजस्ट्रीकृत किया गया।
 - (iii) थाना भारसाधक अधिकारी, आशीष शर्मा (अभि. सा. 8) ने

मारुति कार की आगे भी तलाशी ली गई । परंतु उसमें कोई अपराध में फंसाने वाली वस्तु नहीं पाई गई । अभिकथित बरामद किए गए विनिषिद्ध माल को तोला गया था और 100 ग्राम के अलग-अलग दो नमूने पृथक् पृथक् रूप से तैयार किए गए थे और उन पर मोहर की छाप "एच" लगाई गई थी और बाकी पुस्ते के ढेर को उसी मोहर से मोहरबंद किया गया था । एन. सी. बी. प्ररूप की तीन प्रतियां बनाई गई थीं जिसमें से एक प्रदर्श पी-जे है और उन्हें भरा गया था । मोहर की छाप को कपड़े के टुकड़े में रखा गया था । मोहर का प्रयोग करने के पश्चात् उसे मनोज कुमार (अभि. सा. 2) को सौंप दिया गया था । वाद संपत्ति को अभि. सा. 7 और एक अन्य मनोज कुमार पुत्र श्री सूरत राम की उपस्थिति में अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-स के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । सभी तीनों अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तारी के आधार लिखित में उनमें से प्रत्येक को बतलाए गए थे ।

- (iv) वाद संपत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु "मालखाना" में जमा किया गया था । लिए गए नमूनों में से एक को एन. सी. बी. प्ररूपों के साथ परीक्षा के लिए भेजा गया था तथा अभिग्रहण ज्ञापन की प्रतियां और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कांस्टेबल सुरेश कुमार (अभि. सा. 6) के माध्यम से सी. टी. एल. कांडाघाट आर. सी. सं. 28/2002 द्वारा उसी दिन जमा कर दिए गए थे और आर. सी. की रसीद प्राप्त की गई थी जिसे एम. एच. सी. जसपाल (अभि. सा. 3) के वापस लौटने पर उसे सौंप दिया गया था ।
- (v) विश्लेषण करने पर एन. सी. बी. प्ररूप प्रदर्श पी. जे. की पिछली ओर रिपोर्ट प्रदर्श पी-ओ जारी की गई थी और रसायन परीक्षक की यह राय थी कि मेकोनिक एसिड और मार्फिन की गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षा करने के आधार पर "पोस्ते की भूसी" उसमें प्रदर्शित की गई थी जो सकारात्मक पाई गई थी।
 - (vi) साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे।
- 4. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त-व्यक्तियों के विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । सभी तीनों अभियुक्त-व्यक्तियों को इस न्यायालय पर जमानत प्रदान की गई थी और उन्हें अधिनियम की धारा 15 के अधीन तथा मोटर यान अधिनियम के अधीन भी दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्रित किया गया था । पूर्वोक्त अभियुक्त-व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने

का दावा किया ।

- 5. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त-व्यक्तियों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई । उन्होंने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया । अभियुक्त बलदेव सिंह (फरार अभियुक्त) के अनुसार कि उसने पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए संकेत पर कार रोकी थी और अपनी कार के दस्तावेज की जांच कराई थी । ऐसा करने में लगभग आधा घंटा लगा परंतु किसी विनिषिद्ध माल की बरामदगी से इनकार किया । अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों ने भी वैसा ही अभिवाक् किया । इसके पश्चात्, मामले को प्रतिरक्षा साक्ष्य देने के लिए नियत किया गया था । अभियुक्त बलदेव सिंह फरार हो गया था । विचारण न्यायालय द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी उसका पता नहीं लग पाया था । इस प्रकार, तारीख 19 अक्तूबर, 2006 को आदेश करके उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया । विचारण की समाप्ति पर अभियुक्त-व्यक्तियों अर्थात् अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया था और उन्हें दोषसिद्ध कर पूर्वोक्त रूप में दंडादिष्ट किया गया था । इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई ।
- 6. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की पुनः परीक्षा की और यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि किसी वस्तु की बरामदगी जो हेड कांस्टेबल घनश्याम (अभि. सा. 1) द्वारा यान से की गई थी जिसे अभियुक्त बलदेव सिंह द्वारा चलाया जा रहा था और अन्य सह-अभियुक्त उक्त यान में सफर कर रहे थे परंतु अभियुक्त-व्यक्तियों को आरोपित अपराध के लिए दोषी उहराए जा सकने से पूर्व अभियोजन पक्ष के लिए यह लाजिमी था कि वह यह सिद्ध करे कि पूर्वोक्त विनिषिद्ध माल अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आता है।
- 7. अभियुक्त-व्यक्तियों को 1500 ग्राम "पोस्ते की भूसी" का अभिकथित रूप से परिवहन करने के लिए अधिनियम की धारा 15 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था । रिपोर्ट प्रदर्श पी-ओ से यह प्रकट है कि प्रयोगशाला में दो परीक्षाएं की गई थीं । पहला मेकोनिक एसिड से संबंधित था और दूसरा मोर्फिन से संबंधित था । दोनों सकारात्मक पाए गए थे । इन निष्कर्षों पर रसायन विश्लेषक की यह राय थी कि प्रदर्शित वस्तु "पोस्ते की भूसी" की वस्तु पाई गई थी ।
- 8. "पोस्ते की भूसी" को अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है जबकि अधिनियम की धारा 2(xviii) में "पोस्ते के पुआल" को

परिभाषित किया गया है जिससे यह अभिप्रेत है कि अफीम पोस्ते के सभी भाग "बीज को छोड़कर" खेती करने के पश्चात् जो मूल रूप में या कटी हुई या कुचली हुई या पाउडर के रूप में है जिसका उससे जूस नहीं निकाला गया है और अफीम पोस्ता धारा 2(xviii) के अनुसार (क) अफीम वर्ग की वनस्पति किस्म की सोमनीफेरम का पौधा; और (ख) अफीम वर्ग की वनस्पति के किसी अन्य किस्म का पौधा जिससे अफीम या किसी फेनाथ्रीन अल्कालाइड से अर्क निकाला जाना कहा गया है और जिस बारे में केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है । इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्ता घोषित किया गया है ।

- 9. "पोस्ता पुआल" के अर्थ को समझने के लिए यह आशयित है कि "अफीम पोस्ता" और पोस्ता पुआल के अर्थ को प्रकट करें जैसािक ऊपर किथत है। जब "अफीम पोस्ता" की परिभाषा का परिशीलन करें तो इससे यह अभिप्रेत है (क) अफीम वर्ग की वनस्पति सोमनीफरम एल. के किस्म के पौधे के सभी भाग (बीज को छोड़कर) या अफीम वर्ग की वनस्पति के किसी अन्य किस्म का कोई पौधा जिससे अफीम या किसी अन्य फेनाथ्रीन अल्कालाइड से अर्क निकाला जा सकता है और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्ता घोषित किया गया है।
- 10. वर्तमान मामले में, केवल गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षा की गई थी और रसायन परीक्षक ने मेकोनिक एसिड और मोर्फिन की मौजूदगी के आधार पर यह राय व्यक्त की कि नमूना "पोस्ते की भूसी" का है । इससे यह उपदर्शित नहीं होता है कि जिस ढेर की परीक्षा की गई या तो अफीम वर्ग की वनस्पति की किस्म के पौधे के भाग सम्मिलत थे जिससे अफीम या कोई फेनाथ्रीन अल्कालाइड का अर्क निकाला जा सकता हो जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निकाल कर उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "अफीम पोस्ता" होना घोषित किया गया था । यदि ऐसा है तो रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी-ओ जिसमें "पोस्ते की भूसी" की वस्तु का ढेर सम्मिलित है जिसे इसी तरह की भाषा में "पोस्ता पुआल" के शब्दों के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अभिनिर्धारित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है कि अभियुक्त-व्यक्तियों से बरामद किया गया ढेर जिसकी रसायन परीक्षक द्वारा विश्लेषण किया गया था "पोस्ते का पुआल" था

जैसाकि राजीव कुमार उर्फ गुगलू बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य¹ वाले मामले में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

11. इस प्रकार, पूर्वोक्त कारणों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि अभिकथित बरामदगी "अफीम पोस्ता" या "पोस्ते का पुआल" की परिभाषा के अंतर्गत आता है । अतः, दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है । परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है तथा अभियुक्त-व्यक्ति संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है और उनके द्वारा मामले की कार्यवाहियों के दौरान पेश किए गए जमानत और बंधपत्र से उन्हें उन्मोचित किया जाता है । जुर्माने की रकम यदि कोई जमा की गई है तो उसे वापस किया जाए । अभिलेख वापस भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

(2014) 1 दा. नि. प. 400

हिमाचल प्रदेश

नितिन खन्ना

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 15 मार्च, 2013

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्र और न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 – विनिषिद्ध माल की बरामदगी – जहां अभियोजन विधि के अनुसार युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करता है कि अभियुक्त से विनिषिद्ध माल की बरामदगी की गई थी और शासकीय साक्षियों के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोध नहीं है तथा तात्विक विशिष्टियों में पूर्णतः इसकी संपुष्टि होती है तो अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडित किया जाना न्यायसंगत और उचित है।

¹ (2008) 1 शिमला एल. सी. 168.

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 5 मार्च, 2008 को पुलिस दल जिसका मुखिया उप-निरीक्षक विद्या चंद था, निरीक्षक प्रताप सिंह (अभि. सा. 18) के निरीक्षण के अंतर्गत था, यातायात जांच करने के लिए गया और राष्ट्रीय राजमार्ग के बजोरा के 1 किलोमीटर आगे नाका डाल रखा था । एचआरटीसी बस सं. एच पी 63 2817 मनाली से दिल्ली के रास्ते पर थी । लगभग 6.30 बजे अपराह्न यह नाका के स्थान पर पहुंची जहां इसे जांच के लिए रोका गया था । उप-निरीक्षक, विद्या चंद सूंघने वाला कृता जिसका नाम "प्लूटो" था जिसे हेड कांस्टेबल राकेश कुमार द्वारा पकड़ा हुआ था के साथ बस के अंदर प्रवेश किया और सामान की जांच पड़ताल करना प्रारंभ किया । ऐसा करते समय सुंघने वाला कृत्ता सीट सं. 23 और 24 के नजदीक पहुंचा और उसने अभियुक्त नितिन खन्ना के पांव के बीच पड़े हुए थैले को खींचना शुरू किया । उससे उसके पहचान के बारे में पूछा गया जो व्यक्ति सीट सं. 24 पर बैठा हुआ था, उसने अपना नाम तरूण शर्मा बताया । पुलिस ने संदेह होने पर बस के ड्राइवर जोगिन्दर कुमार अभि. सा. 1 तथा कंडक्टर मनोहर लाल को स्वतंत्र साक्षियों के रूप में सिम्मिलित किया तथा नितिन खन्ना को उसके थैले सहित तथा तरुण शर्मा को भी उसने संदिग्ध वस्तु सहित नीचे उतारा । उप-निरीक्षक विद्या चंद ने पूर्वोक्त साक्षियों के समक्ष नितिन खन्ना के थैले की जांच की और सी. दीवान चंद ने "बीन् गारमेंट" के प्रिंट के लिफाफे से एक पोलिथीन और उसके साथ दो अन्य खाकी रंग के पोलिथीन लिफाफे बरामद किए जिसमें 6 किलोग्राम विनिषिद्ध माल (चरस) जो छड़ के आकार में थे उसमें पाए गए । थैले में आधी बाजू की टी-शर्ट और सोनी इरेक्सन के दो मोबाइल चार्जर जो नोकिया कंपनी के थे और एक पैंट और एक अन्य नारंगी रंग की टी-शर्ट और उक्त थैले के बाहरी जेब में नौसिखिया लाइसेंस और दो डेबिट कार्ड उनमें से एक आई. सी. आई. सी. आई बैंक तथा दूसरा एच. डी. एफ. सी बैंक अभियुक्त नितिन खन्ना के थे । सम्पूर्ण ढेर को मिलाने के पश्चात 25 ग्राम के दो नमूने अलग-अलग लिए गए थे और उस पर "ओ" मोहर की छाप लगाई गई थी और बाकी ढेर को उसी मोहर से मोहरबंद किया गया था और दोनों नम्ने पार्सलों को एस-1, एस-2 से चिह्नित किया गया था और बाकी चरस ए-1 से चिह्नित करके रखी गई थी । एनसीबी प्ररूप तीन प्रतियों में हैं जिनमें से एक भरा गया था और मोहर की प्रतिकृति सूसंगत स्तंभ पर भी लगाई गई थी । मोहर का नमुना अलग रूप से लिया गया था और मोहर को प्रयोग करने के पश्चात जोगिन्दर कुमार को सौंप दिया गया था । पूर्वोक्त साक्षियों

के समक्ष वाद सम्पत्ति को कब्जे में लिया गया था । पुलिस ने अभिकथित बरामदगी के स्थान का घटनास्थल नक्शा भी तैयार किया था । रुक्का सी. दीवान चंद के माध्यम से मामले के रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया था जिसके आधार पर सहायक उप-निरीक्षक रामस्वरूप ने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की थी । अभियुक्त-व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के आधारों को उन्हें बतलाया गया था । अभियुक्त की वैयक्तिक तलाशी के दौरान पुलिस ने दो मोबाइलों के सिम अपने कब्जे में लिए । अन्वेषण के दौरान उसने यह बताया है कि पूर्वोक्त विनिषिद्ध माल अभियुक्त विनोद कुमार द्वारा उसे दिया गया था जिसे तारीख 7 मार्च, 2008 को गिरफ्तार किया गया था और यह भी प्रकट है कि 4 किलोग्राम चरस अभियुक्त अमित उर्फ मित्ता द्वारा दिया गया था । उसे भी तारीख 10 मार्च, 2008 को गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त नितिन खन्ना को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी का आधार उसे लिखित में भी बताया गया था । एनसीबी प्ररूपों के साथ वाद सम्पत्ति और मोहर का नमूना निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी के समक्ष घटनास्थल पर पेश किया गया जिसने मोहर की छाप "डब्ल्यू" द्वारा तीन स्थानों पर बने पार्सलों को पुनः मोहरबंद किया गया और सुसंगत स्तंभ के संबंध में एनसीबी प्ररूप पर नमूने पर मोहर लगाई गई थी । उसने प्रयुक्त किए गए मोहर के नमूनों को सादे कपड़े में रखा था । वाद सम्पत्ति को मृहर्रिर कांस्टेबल मनोज कुमारी के पास जमा किया गया था जिसने मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि की थी । तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में विशेष रिपोर्ट कानूनी अवधि के अंतर्गत ज्येष्ठ अधिकारियों को भेजी गई थी जिसकी प्रविष्टि सुसंगत रजिस्टर में की गई थी । तारीख 9 मार्च, 2008 को एक नमूना पार्सल हेड कांस्टेबल, नरपत राम के माध्यम से विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा को भेजा गया था । प्रयोगशाला में इसे जमा करने पर जिसके बदले में उसने आर. सी. के पीछे रसीद हेड कांस्टेबल को सौंप दी । रिपोर्ट प्रदर्श पीबी के अनुसार विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूने में चरस सकारात्मक रूप से पाई गई । अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध मामले में प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष निकला है कि अभियुक्त नितिन खन्ना को अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्रित किया गया जबकि अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित

करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त-व्यक्तियों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई थी । विचारण के समाप्ति पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त विनोद कुमार और अमित उर्फ मित्ता के विरुद्ध कोई अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं पाया, तद्नुसार उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया, परंतु अभियुक्त नितिन खन्ना को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था वर्तमान अपील में जिसे चुनौती दी गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्घारित – यह सुरथापित है कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को पूर्णतया अस्वीकार नहीं किया जाता है यदि अभियोजन या अभियुक्त के पक्ष में उसे बोला गया है परंत् यह बात अत्यधिक संवीक्षा के अध्यधीन हो सकती है और साक्ष्य का यह भाग अभियोजन या प्रतिरक्षा के मामले के संगत हों जिसे स्वीकार किया जा सकता है । परंतु न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उनके कथन की तात्विक विशिष्टियों पर शासकीय साक्ष्यों द्वारा समर्थन किया गया है । उनका पक्षद्रोही होना बेईमानी है और प्रकट होता है कि उन्होंने अभियुक्त को बचाने के लिए उसके पक्ष में कथन किए हैं । हिमाचल सड़क परिवहन निगम में कार्य करते हुए उनका लोक सेवक होने और उनके आचरण के बारे में घरेलू जांच में पूछताछ किया जाना अपेक्षित है । विद्वान प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया नमूना पार्सल के भार तथा उसकी परीक्षा किए जाने के बारे में विचलन है चूंकि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार उन्होंने बरामद किए गए ढेर से 25 ग्राम चरस को अलग-अलग किया था और दो पार्सलों में बरामद किए गए ढेर से चरस के 25 ग्राम अलग-अलग किए गए थे परंतु नमूना पार्सल में से एक परीक्षा के लिए भेजा गया था और इसे 28.561 ग्राम में बदला गया था जिससे यह अभिप्रेत है कि नमूना अभिकथित बरामदगी का नहीं था । यह दलील इस आधार पर प्रत्यक्ष रूप से खारिज किए जाने योग्य है कि माप और भार जिसे घटनास्थल पर भार नापने के लिए प्राप्त किया गया था जो परम्परागत तरीका था जिसे श्रीमती धनवंती शर्मा जो नजदीक पर किरयाने की दुकान चला रही थी द्वारा उपलब्ध कराया गया परंतु परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पीबी से यह प्रकट कि नमुना पार्सल का भार इलेक्ट्रोनिक तराजू द्वारा लिया गया था । इस तरह इसमें अनुमानतः 3.561 ग्राम का विचलन हुआ है । हमारी विचारित राय में उसका कोई परिणाम नहीं है । इसके अतिरिक्त 25 ग्राम का नमूना लिया गया था और उसका पार्सल बनाया गया था । कपड़े के कारण भी मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है

जिसे नमुने पार्सल को लपेटने के लिए प्रयोग में लाया गया था । रिपोर्ट से यह दर्शित नहीं है कि नम्ने की अंतर्वस्त् बिना कपड़े के तोली गई थी इसलिए, भार में बढोतरी का कोई महत्व दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त आर. पी. शर्मा बैंक मैनेजर ने संव्यवहार जो अभियुक्त के तारीख 4 मार्च, 2008 और 5 मार्च, 2008 के एटीएम कार्ड से हुए हैं, उन्हें साबित किया है जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त कुल्लू में था और प्रश्नगत घटना तारीख 5 मार्च, 2008 से संबंधित है । अभियुक्त नितिन खन्ना का नौसिखिया लाइसेंस की बरामदगी के साक्ष्य से संबंधित है । न्यायालय ने साक्ष्य की अन्य कड़ी की भी परीक्षा की । मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मनोज कुमारी ने यह कथन किया है कि निरीक्षक/भारसाधक अधिकारी प्रताप सिंह ने उसके पास तारीख 5/6 मार्च, 2008 को मध्य रात्रि में 1.15 बजे अपराह्न इन वस्तुओं को जमा किया था जिन्हें सम्यक रूप से मोहरबंद किया गया था और जिनकी मालखाना रजिस्टर में इंदराज किया गया था और उसके द्वारा अध्यपेक्षित दस्तावेज भी साथ रखे गए थे तथा अगले दिन अर्थात तारीख 9 मार्च, 2008 को नमूना पार्सलों में से एक चिह्नित किया गया है, एनसीबी प्ररूपों की तीन प्रतियों के साथ परीक्षा के लिए भेजे गए थे । हेड कांस्टेबल नरपत राम के माध्यम से सील मोहर के नम्ने "ओ" और "डब्ल्यु" न्यायालियक प्रयोगशाला, जुंगा भेजे गए थे जिन्हें उसके द्वारा उसी दिन जमा किया गया था और आरसी की रसीद प्राप्त की गई थी । अतः, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 पूर्वोक्त द्वारा पुलिस थाने में तारीख 9 मार्च, 2008 को इन दस्तावेजों/पार्सलों पर हस्ताक्षर किया जाना पूर्णतया मिथ्या है । शासकीय साक्षी की वर्तमान मामले में परीक्षा की गई जिन्होंने नितिन खन्ना के कब्जे से 6 किलोग्राम चरस की बरामदगी के बारे में युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन पक्षकथन को साबित किया है । यह चरस की बरामदगी उसके थैले से विधि के अनुसरण में की गई थी । वर्तमान मामले में साक्ष्य की कड़ी पूरी है जो इसकी बरामदगी के समय से नमूने पार्सल में से नमूने पार्सल एस-1 तक जिनकी प्रयोगशाला में परीक्षा की गई थी जो सकारात्मक रूप से चरस पाई गई थी । दस्तावेज तैयार करने के स्थान के बारे में तथा बस रोकने के बारे में छोटे-मोटे विभेद से कोई परिणाम नहीं निकलता है। न्यायालय की विचारित राय यह है कि अभियोजन पक्षकथन विधि के अनुसरण में युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है । प्रतिरक्षा वृत्तांत दिया जाना संभव नहीं हो सकता । शासकीय साक्ष्यों के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विभेद नहीं है जिससे अन्यथा तात्विक विशिष्टियों पर पूर्ण सम्पुष्टि हुई हो । इस प्रकार, विनिषिद्ध माल

की बरामदगी अभियुक्त से किया जाना साबित हुआ है जिसके लिए उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है । न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए उसकी दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाई । (पैरा 16, 18, 19, 20, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2009] नवीनतम एच. एल. जे. 2009 (एच. पी.) 976 :

विजय कुमार उर्फ विजू बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ;

[2008] नवीनतम एच. एल. जे. 2008 (एच. पी.) 709 :

नाथू राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य । 17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 3.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री एम. एस. गुलेरिया, अधिवक्ता

और संजीव कुथियाल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री डी. सी. पथिक, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है, को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और उसे दस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने तथा 1,00,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने के लिए सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया गया । यह अभिकथित है कि उसके कब्जे में 6 किलोग्राम चरस पाई गई थी जबिक दूसरा सह-अभियुक्त अर्थात् विनोद कुमार और अमित उर्फ मित्ता जो अभिकथित प्रदायक थे उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया इसलिए, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन के बारे में यह कहा जा सकता है कि तारीख 5 मार्च, 2008 को पुलिस दल जिसका मुखिया उप-निरीक्षक विद्या चंद (अभि. सा. 21) था, निरीक्षक प्रताप सिंह (अभि. सा. 18) के निरीक्षण के अंतर्गत था, वे यातायात जांच करने के लिए गए थे और उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के बजोरा के 1 किलोमीटर आगे नाका डाल रखा था ।

- (ii) एचआरटीसी बस सं. एच पी 63 2817 मनाली से दिल्ली के रास्ते पर थी । लगभग 6.30 बजे अपराह्न यह नाका के स्थान पर पहुंची जहां इसे जांच के लिए रोका गया था । उप-निरीक्षक, विद्या चंद (अभि. सा. 21) सूंघने वाला कुत्ता जिसका नाम "प्लूटो" था जिसे हेड कांस्टेबल राकेश कुमार (अभि. सा. 3) द्वारा पकड़ा हुआ था के साथ बस के अंदर प्रवेश किया और सामान की जांच पड़ताल करना प्रारंभ किया । ऐसा करते समय सूंघने वाला कुत्ता सीट सं. 23 और 24 के नजदीक पहुंचा और उसने अभियुक्त नितिन खन्ना के पांव के बीच पड़े हुए थैले को खींचना शुरू किया । उससे उसके पहचान के बारे में पूछा गया जो व्यक्ति सीट सं. 24 पर बैठा हुआ था, उसने अपना नाम तरूण शर्मा बताया ।
- (iii) पुलिस ने संदेह होने पर बस के ड्राइवर जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) तथा कंडक्टर मनोहर लाल (अभि. सा. 2) को स्वतंत्र साक्षियों के रूप में सम्मिलित किया तथा नितिन खन्ना को उसके थैले सहित तथा तरूण शर्मा को भी उसने संदिग्ध वस्तु सहित नीचे उतारा।
- (iv) उप-निरीक्षक विद्या चंद (अभि. सा. 21) ने पूर्वोक्त साक्षियों के समक्ष नितिन खन्ना के थैले की जांच की और सी. दीवान चंद (अभि. सा. 21) ने "बीनू गारमेंट" के प्रिंट के लिफाफे से एक पोलिथीन और उसके साथ दो अन्य खाकी रंग के पोलिथीन लिफाफे बरामद किए जिसमें 6 किलोग्राम विनिषद्ध माल (चरस) जो छड़ के आकार में थे उसमें पाए गए । थैले में आधी बाजू की टी-शर्ट प्रदर्श पी-8 और सोनी इरेक्सन प्रदर्श पी-15 के दो मोबाइल चार्जर जो नोकिया कंपनी के थे प्रदर्श पी-16 और एक पैंट प्रदर्श पी-14 और एक अन्य नारंगी रंग की टी-शर्ट प्रदर्श पी-9 और उक्त थैले के बाहरी जेब में नौसिखिया लाइसेंस प्रदर्श पी-7 और दो डेबिट कार्ड उनमें से एक आई. सी. आई. सी. आई. बैंक प्रदर्श पी-5 तथा दूसरा एच. डी. एफ. सी. बैंक प्रदर्श पी-16 अभियुक्त नितिन खन्ना के थे।
- (v) सम्पूर्ण ढेर को मिलाने के पश्चात् 25 ग्राम के दो नमूने अलग-अलग लिए गए थे और उस पर "ओ" मोहर की छाप लगाई गई थी और बाकी ढेर को उसी मोहर से मोहरबंद किया गया था और दोनों नमूनें पार्सलों को एस-1, एस-2 से चिह्नित किया गया था और

बाकी चरस ए-1 से चिह्नित करके रखी गई थी।

- (vi) एन. सी. बी. प्ररूप तीन प्रतियों में हैं जिनमें से एक प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/ग भी भरा गया था और मोहर की प्रतिकृति सुसंगत स्तंभ पर भी लगाई गई थी । मोहर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/ई का नमूना अलग रूप से लिया गया था और मोहर को प्रयोग करने के पश्चात् जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) को सौंप दिया गया था ।
- (vii) पूर्वोक्त साक्षियों के समक्ष वाद सम्पत्ति को कब्जे में लिया गया था देखिए अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 19/क ।
- (viii) पुलिस ने अभिकथित बरामदगी के स्थान का घटनास्थल नक्शा भी तैयार किया था । रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/क सी. दीवान चंद (अभि. सा. 19) के माध्यम से मामले के रिजस्ट्रेशन के लिए भेजा गया था जिसके आधार पर सहायक उप-निरीक्षक रामस्वरूप (अभि. सा. 20) ने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 20/ख रिजस्ट्रीकृत की थी ।
- (ix) अभियुक्त-व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के आधारों को उन्हें बतलाया गया था । अभियुक्त की वैयक्तिक तलाशी के दौरान पुलिस ने दो मोबाइलों के सिम अपने कब्जे में लिए । अन्वेषण के दौरान उसने यह बताया है कि पूर्वोक्त विनिषद्ध माल अभियुक्त विनोद कुमार द्वारा उसे दिया गया था जिसे तारीख 7 मार्च, 2008 को गिरफ्तार किया गया था और यह भी प्रकट है कि 4 किलोग्राम चरस अभियुक्त अमित उर्फ मित्ता द्वारा दिया गया था । उसे भी तारीख 10 मार्च, 2008 को गिरफ्तार किया गया था ।
- (x) अभियुक्त नितिन खन्ना को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी का आधार उसे लिखित में भी बताया गया था ।
- (xi) एन. सी. बी. प्ररूपों के साथ वाद सम्पत्ति और मोहर का नमूना निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी (अभि. सा. 18) के समक्ष घटनास्थल पर पेश किया गया जिसने मोहर की छाप "डब्ल्यू." द्वारा तीन स्थानों पर बने पार्सलों को पुनः मोहरबंद किया गया और सुसंगत स्तंभ के संबंध में एन. सी. बी. प्ररूप पर नमूने पर मोहर लगाई गई थी। उसने प्रयुक्त किए गए मोहर के नमूनों को सादे कपड़े में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18/क में भी रखा गया था।

- (xii) वाद सम्पत्ति को अभि. सा. 17 मुहरिर कांस्टेबल मनोज कुमारी के पास जमा किया गया था जिसने मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि की थी जिसका सार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/क है।
- (xiii) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में विशेष रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क कानूनी अवधि के अंतर्गत ज्येष्ठ अधिकारियों को भेजी गई थी जिसकी प्रविष्टि सुसंगत रजिस्टर में की गई थी, उसकी प्रति प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/ख है।
- (xiv) तारीख 9 मार्च, 2008 को एक नमूना पार्सल हेड कांस्टेबल, नरपत राम के माध्यम से विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा को भेजा गया था, देखिए 2008 का आर. सी. सं. 68, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ख । प्रयोगशाला में इसे जमा करने पर जिसके बदले में उसने आर. सी. के पीछे रसीद सं. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ख मुहर्रिर हेड कांस्टेबल को सौंप दी । रिपोर्ट प्रदर्श पीबी के अनुसार विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूने में चरस सकारात्मक रूप से पाई गई ।
- 3. अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध मामले में प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष निकला है कि अभियुक्त नितिन खन्ना को अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्रित किया गया जबकि अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 20 के साथ पिठत धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्रित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया।
- 4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त-व्यक्तियों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई थी । विचारण के समाप्ति पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त विनोद कुमार और अमित उर्फ मित्ता के विरुद्ध कोई अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं पाया, तद्नुसार उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया, परंतु अभियुक्त नितिन खन्ना को पूर्वोक्त रूप से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई।
- 5. विद्वान् काउंसेल श्री एम. एस. गुलेरिया जिनकी विद्वान् काउंसेल श्री संजीव कुथियाल द्वारा सम्यक् रूप से सहायता की गई थी, बलपूर्वक यह दलील दी कि यद्यपि यह साबित किया गया है कि अभियुक्त नितिन

खन्ना एचआरटीसी बस में यात्रा कर रहा था और सीट नं. 23 में बैठा हुआ था परंतु इस बात से इनकार किया गया कि विनिषिद्ध माल की कोई बरामदगी उसके कब्जे से हुई थी जैसाकि अभिकथन किया गया है । यह भी दलील दी गई कि वे तथाकथित स्वतंत्र साक्षी अर्थात बस का ड्राइवर और कंडक्टर पक्षद्रोही घोषित हो गए थे और उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है। यह भी दलील दी गई कि शासकीय साक्षियों के कथन परस्पर विरोधी हैं । विद्वान काउंसेल ने साक्षियों के कथन के माध्यम से हमारे समक्ष अपनी दलीलों का समर्थन किया है और यह भी दलील दी है कि पुलिस ने बस की तलाशी के दौरान श्री संजय अबरोल नामक व्यक्ति को परेशान किया । अभियुक्त नितिन खन्ना के मध्यक्षेप करने पर उसे बस से बाहर लाया गया बस के कर्मचारियों ने सामान रखने वाले डिब्बे से उसका थैला बाहर फेंक दिया । लगभग 20 मिनट तक वह बैरियर पर रहा और उसके पश्चात उसे पुलिस थाने ले जाया गया । रात्रि के दौरान लगभग 12 बजे पुलिस को उसने बताया कि उसे गिरफ्तार किया गया है । उसने यह अभिकथन किया कि उसे मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया तथा प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में श्री संजय अबरोल की भी परीक्षा की गई । हमारा ध्यान भूपिन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) एचआरटीसी, कुल्लु के बुकिंग क्लर्क के कथन की ओर भी दिलाया गया । उसके अनुसार बस 5.30 बजे अपराह्न कुल्लू की ओर चली थी और सीट नं. 23 और 24 दिल्ली के लिए बुक की गई थी यह बात वे बिल प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख के अनुसार प्रकट है और इसके अतिरिक्त जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) और मनोहर लाल (अभि. सा. 2) के अनुसार बस नाका पर 30 मिनट रोकी गई थी जबकि मंडी पर आगमन का समय 7.30 बजे अपराह्न था । रास्ते में यह लगभग 8.00 बजे अपराह्न पहुंची थी जिस तथ्य से अभियुक्त की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्षकथन संपूर्ण रूप से मिथ्या प्रतीत होता है । जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) और मनोहर लाल (अभि. सा. 2) ने पूर्वोक्त अभिग्रहण ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार किया और उन्होंने यह भी बतलाया है कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया था कि उन्होंने पुलिस थाने में तारीख 9 मार्च, 2008 को उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे । जब प्रयोगशाला परीक्षा के लिए नमुना पार्सल प्राप्त किया गया तो उसके भार में भी विचलन पाया गया था । विचारण न्यायालय ने इन साक्षियों के कथनों में प्रकट विभेदों की अनदेखी की है और इन तथ्यों के मूल्यांकन नहीं करके अभियुक्त के प्रति प्रतिकूल रवैया बरता गया ।

- 6. दूसरी ओर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री डी. सी. पथिक ने अभियुक्त के विरुद्ध पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय का समर्थन किया और यह दलील दी कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में कोई तात्विक विभेद नहीं है । प्रयोगशाला में उल्लेख किए गए नमूने पार्सल का विचलन गौण है और इसका विश्लेषण करने पर उससे परिणाम प्रभावित नहीं होता । यह भी दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन किया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का विद्वेष रखना बाहरी कारण है और उन्होंने अपने को बिल्कुल झूठा साबित किया जबकि दस्तावेजी साक्ष्य ने तात्विक विशिष्टियों में अभियोजन पक्षकथन के मामले को सिद्ध किया है । साक्ष्य की शृंखला पूरी है, इसलिए, उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
- 7. हमने पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों का मूल्यांकन किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक पुनः मूल्यांकन किया है।
- 8. किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम अभियोजन के साक्ष्य का पुनः मुल्यांकन करना चाहेंगे । सर्वप्रथम हम अन्वेषक अधिकारी, उप-निरीक्षक विद्या चन्द (अभि. सा. 21) के कथन पर विचार करते हैं । उसने यह सिद्ध किया है कि वह निरीक्षक/भारसाधक अधिकारी, प्रताप सिंह (अभि. सा. 18), सहायक उप-निरीक्षक, किसन चंद और अन्य पुलिस पदधारियों सहित पुलिस का सूंघने वाला कुत्ता जिसका नाम प्लूटो था और क्ते को घुमाने वाला श्री राकेश (अभि. सा. 3) ने बजोरा से 1 किलोमीटर के आगे यातायात जांच के लिए नाका डाला था । शाम को जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) द्वारा बस चलाई जा रही थी जिसे कुल्लू से दिल्ली पहुंचना था, उस बस को पुलिस द्वारा रोका गया था । इसे रोकने पर वह सुंघने वाले कृत्ते के साथ और इसके प्रशिक्षक राकेश के साथ बस के अंदर प्रविष्ट हुआ और यात्रियों की जांच करना प्रारंभ किया । उन्होंने यह देखा कि सीट सं. 23 और 24 के नीचे दो थैले पड़े हुए हैं जो नीले रंग के थे। सूंघने वाले कुत्ते ने थैलों को खींचा, इस पर उसने उन व्यक्तियों से उनके नाम और अते-पते के बारे में जांच की जो उक्त सीटों पर बैठे हुए थे । अभियुक्त नितिन खन्ना जो फरीदाबाद का निवासी है, सीट सं. 23 पर बैठा हुआ था तथा तरूण शर्मा सीट सं. 24 पर बैठा हुआ था । पुलिस को नितिन खन्ना पर कुछ संदेह हुआ और उसे उसके थैले सहित बस से उतारा गया और सहायक उप-निरीक्षक, किसन चंद द्वारा तरूण शर्मा को

थैले के साथ बस से नीचे उतारा गया । बस के ड्राइवर जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) और उसका कंडक्टर मनोहर लाल (अभि. सा. 2) के समक्ष अभियुक्तों के थैले की तलाशी ली गई । उन्होंने प्रश्नगत चरस बरामद की और उक्त थैले में आई. सी. आई. सी. आई. एटीएम डेबिट कार्ड प्रदर्श पी-5 और एच. डी. एफ. सी. बैंक का पी-6 तथा नौसिखिया लाइसेंस प्रदर्श पी-7, टी-शर्ट प्रदर्श पी-8, पी-9, पैंट पी-14, नोकिया चार्जर प्रदर्श पी-15, सोनी चार्जर प्रदर्श पी-16 उसमें पाए गए ।

9. उसने यह भी कथन किया है कि बरामद की गई चरस में से 25 ग्राम के अलग-अलग दो नमूने लिए गए थे जिसे मोहर की छाप "ओ" से मोहरबंद किया गया था और बाकी ढेर को उसी मोहर से मोहरबंद किया गया था । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि दोनों नमूनों पर एस-1 और एस-2 चिह्न डाले गए थे और बाकी ढेर पर ए-1 चिह्न डाला गया था । मोहर का नमूना अलग कपड़े में रखा गया था और इसकी प्रतिकृति सुसंगत स्तंभ के विरुद्ध एन. सी. बी. प्ररूपों पर भी लगाई गई थी जिन्हें तीन प्रतियों में भरा गया था । वाद सम्पत्ति को कब्जे में लिया गया था, देखिए ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 19/क । दूसरी प्रति पूर्वोक्त साक्षियों की मौजदगी में अभियुक्त को भी दी गई थी ।

10. प्रतिरक्षा में अभियुक्त ने अपने कब्जे से विनिषिद्ध माल की बरामदगी होने से इनकार किया है । उसके अनुसार उसके विरुद्ध मिथ्या मामला बनाया गया है क्योंकि उसने प्रतिरक्षा साक्षी 1 संजय अबरोल को परेशान किए जाने पर आपत्ति की थी जो उस बस में बैठा हुआ था । यह बात महत्वपूर्ण है कि उक्त संजय अबरोल प्रतिरक्षा साक्षी है और उसने पुलिस द्वारा बस की जांच किया जाना स्वीकार किया है और यह कथन किया है कि पुलिस सूंघने वाले कुत्ते के साथ अधिभोगियों के सामान की जांच करने के लिए बैरियर पर बस के अंदर प्रविष्ट हुए थे । उसने यह भी कथन किया है कि नितिन खन्ना अभियुक्त उसकी सीट के पीछे बैठा हुआ था और उसने इस रीति पर आक्षेप किया जिसमें उसका हाथ पुलिस पदधारी द्वारा पकड़ा गया था और इस बारे में उसने कहा कि उसे क्यों परेशान किया जा रहा है । उसने एक बिल्कुल अलग कहानी बताई है कि पुलिस ने बस के मध्य में पड़े हुए थैले को पकड़ा था और उसने इसे खोला तथा उसने यह भी कथन किया है कि बस के कंडक्टर से पुलिस द्वारा यह कहा गया था कि सामान के कक्ष से सामान को बस से बाहर ले जाए और थैला जो बस में पड़ा हुआ था उसे नितिन खन्ना के सामान में

रख दिया गया जिस बात को न तो अभियोजन साक्षियों द्वारा बताया गया और न अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में कहा गया । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त को पूछताछ के लिए नीचे उतारा गया था और लगभग 15 मिनट पश्चात् बस अपने गंतव्य स्थान के लिए चली थी और यह तथ्य असत्य है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि नितिन खन्ना सीट सं. 23 में बैठा हुआ था और तरूण शर्मा सीट सं. 24 में बैठा हुआ था । इसके अतिरिक्त सूंघने वाले कुत्ते ने थैले को सूंघा था जिसकी पुलिस द्वारा जांच की गई। इसलिए, इससे यह दर्शित होता है कि थैला बस के रैक पर पड़ा हुआ नहीं था जैसाकि उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है और इसके अतिरिक्त उसने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस की नितिन खन्ना के साथ कोई शत्रुता नहीं थी और उसे इस घटना से पूर्व इस बारे में पता नहीं था और इसके पश्चात उसने उसे मामले के विचारण के दौरान देखा था जब वह न्यायालय में प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ । यदि ऐसा हुआ तो तब अभियुक्त उसको ढूंढने में कैसे समर्थ हुआ था और उसे अपने साक्षी के रूप में कैसे पेश किया गया था ।

11. हेड कांस्टेबल, राकेश कुमार (अभि. सा. 3) जो कुत्ते को घुमाने वाला था और सी. दीवान चंद (अभि. सा. 19) दोनों ने उप-निरीक्षक, विद्या चंद (अभि. सा. 21) के वृत्तांत की सम्पुष्टि की है और अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 19/क पर उनके हस्ताक्षरों की पहचान की तथा यह भी कथन किया कि जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) और मनोहर लाल (अभि. सा. 2) ने उक्त दस्तावेजों तथा प्रत्येक पार्सल पर उनकी मौजूदगी में अपने हस्ताक्षर भी किए थे।

12. जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) और मनोहर लाल (अभि. सा. 2) यद्यपि अभियोजन पक्ष के लिए पक्षद्रोही घोषित किए गए थे परंतु उनका पक्षद्रोही होना किसी भी तरह से विनिषिद्ध माल की बरामदगी को प्रभावित नहीं करता । यह बात महत्वपूर्ण है कि उन दोनों ने पुलिस द्वारा बस की जांच के दौरान अपनी मौजूदगी में पूर्वोक्त रीति में घटना घटने को स्वीकार किया । यद्यपि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि थेला अभियुक्त से संबंधित था तथा उक्त थेले से विनिषिद्ध माल की बरामदगी तथा अपनी वस्तुओं की बरामदगी से भी इनकार किया है, परंतु यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर प्रश्नगत थेले में "ओ" मोहर की छाप लगाई गई थी परंतु नमूना लगाने के बारे में अपनी अनभिज्ञता अभिव्यक्त की है । उन्होंने

नमूने पार्सल तथा चरस के बाकी ढेर तथा अभिग्रहण ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार किया है परंतु उनके अनुसार पुलिस द्वारा पुलिस थाने में लगभग 3 दिन के पश्चात् अर्थात् तारीख 9 मार्च, 2008 को उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे जो तथ्य उत्तरोतर पैराओं से मिथ्या प्रकट होता है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने न तो उन्हें धमकाया और न पूर्वोक्त दस्तावेजों और पार्सलों पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया तथा उन्होंने उस समय खाली कागजों पर भी हस्ताक्षर नहीं कराए । इसके अतिरिक्त, मनोहर लाल (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि उसे बस की जांच के बारे में सूचना दी गई थी तथा अड्डा इंचार्ज को दूरभाष से बरामदगी की सूचना दी गई । यह बात भी अति रोचक है यदि अभियुक्त से कुछ भी बरामदगी नहीं हुई थी तब उसके पास क्या यह अवसर था कि विनिषद्ध माल की बरामदगी के बारे में अड्डा इंचार्ज को सूचित करे । इससे यह अभिप्रेत है कि वह यह जानता था कि कुछ विनिषद्ध माल थैले से बरामद किया गया था जो अभियुक्त के कब्जे में था परंतु बाद में अभियुक्त के साथ उसे बचाने की कोशिश की ।

13. इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त पक्षद्रोही साक्षियों ने यह कथन किया है कि बस को नाका पर लगभग 20 मिनट रोका गया था और वे लोग लगभग 6.35 बजे अपराह्न नाका के स्थान से चले थे तथा लगभग 8.15 बजे अपराह्न मंडी पर पहुंचे । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने हेड कांस्टेबल राकेश कुमार (अभि. सा. 3) सी. दीवान चंद (अभि. सा. 19), उप-निरीक्षक, विद्या चंद (अभि. सा. 1) के कथनों का उल्लेख किया जिसके द्वारा उन्होंने यह कथन किया है कि 11.00 बजे अपराह्न जब सी. दीवान चंद (अभि. सा. 19) पुलिस थाने में रुक्का को सौंपने के पश्चात् वापस लौटा तब जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) और मनोहर लाल (अभि. सा. 2) के साथ नाका के स्थान पर बस खड़ी थी । इसके विपरीत, अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि पक्षद्रोही साक्षियों के कथन अभियोजन वृत्तांत पर संदेह करने के लिए विचार में लिए जा सकते हैं क्योंकि बस 8.30 बजे अपराह्न पहले ही मंडी पर पहुंच चुकी थी और इस बात का कोई प्रश्न प्रकट नहीं होता कि उनकी मौजूदगी में 11.00 बजे अपराहन अभिग्रहण ज्ञापन तैयार किया गया।

14. पक्षद्रोही साक्षी अर्थात् पूर्वोक्त जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) और मनोहर लाल (अभि. सा. 2) अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में कथन किए जिन्हें झूठा समझा गया क्योंकि उन्होंने अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.

19/क पर अपने हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार किया है और तथ्य प्रकट है कि रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/क 9.30 बजे अपराह्न तैयार किया गया था जिसे सी. दीवान चंद (अभि. सा. 19) के मार्फत मामले को रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजा गया जिसमें बरामदगी के ब्यौरे और साक्षियों का उल्लेख किया गया है और उसी दिन उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 20/ख रजिस्ट्रीकृत की गई थी । रुक्का पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/क पृष्ठाकंन किया गया था । परिणामस्वरूप, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 6 मार्च, 2008 को 6.00 बजे पूर्वाह्न प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त की गई थी । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के आधार पर उसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 19/ख के माध्यम से सुचना दी गई थी । उसे केस फाइल के साथ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था और जिसे पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित कर दिया गया । इससे यह अभिप्रेत है कि सभी दस्तावेज जिसमें अभिग्रहण ज्ञापन गिरफ्तारी ज्ञापन के आधार सहित सभी दस्तावेज तथा संपूर्ण केस फाइल विद्वान मजिस्ट्रेट के परिशीलन के लिए पेश किए गए थे जिस पर वाद सम्पत्ति और अभिग्रहण ज्ञापनों पर दोनों पक्षद्रोही साक्षियों के हस्ताक्षर किए गए थे । इससे यह बात मिथ्या प्रकट हुई है कि तीसरे दिन अर्थात 9 मार्च, 2008 को पुलिस थाने में पुलिस द्वारा पूर्वोक्त दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर कराए गए थे और उन्होंने जानबूझकर अभियुक्त को बचाने के लिए सच्चाई को छुपा दिया था।

15. इतना ही नहीं इस कारण से पूर्वोक्त अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अभियोजन के समक्ष साक्षियों की बेईमानी को साबित किया है कि प्रत्येक पार्सल में उनके हस्ताक्षर थे और बरामद की गई वस्तुएं निरीक्षक/ भारसाधक अधिकारी, प्रताप सिंह (अभि. सा. 18) के समक्ष पेश किए गए थे जिन्होंने इसे प्राप्त किया था और उन पर मोहर की छाप "डब्ल्यू." से उसे मोहरबंद किया गया था तथा मोहर की प्रतिकृति सुसंगत कालम के विरुद्ध एन. सी. बी. प्ररूपों पर भी लगाई गई थी जिसमें से एक प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/क है तथा उसी दिन अर्थात् तारीख 5 मार्च, 2008 को कपड़ा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18/क पर भी मोहर लगाई गई । इसके पश्चात् इन वस्तुओं को मुहर्रिर हेड कांस्टेबल, मनोज कुमारी (अभि. सा. 17) के पास जमा कर दिए गए थे । उसने मामले के विचारण के दौरान बाकी ढेर प्रदर्श पी-1 तथा एक नमूना पार्सल प्रदर्श पी-2 की भी पहचान की थी ।

16. यह सुस्थापित है कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य को पूर्णतया

अस्वीकार नहीं किया जाता है यदि अभियोजन या अभियुक्त के पक्ष में उसे बोला गया है परंतु यह बात अत्यधिक संवीक्षा के अध्यधीन हो सकती है और साक्ष्य का यह भाग अभियोजन या प्रतिरक्षा के मामले के संगत हो जिसे स्वीकार किया जा सकता है । परंतु हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि उनके कथन की तात्विक विशिष्टियों पर शासकीय साक्ष्यों द्वारा समर्थन किया गया है । उनका पक्षद्रोही होना बेईमानी है और प्रकट होता है कि उन्होंने अभियुक्त को बचाने के लिए उसके पक्ष में कथन किए हैं । हिमाचल सड़क परिवहन निगम में कार्य करते हुए उनका लोक सेवक होने तथा उनके आचरण के बारे में घरेलू जांच में पूछताछ किया जाना अपेक्षित है ।

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया।)

17. यद्यपि अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने अपने मुद्दों को बल देने के लिए विजय कुमार उर्फ बिजू बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य¹ तथा नाथू राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य² वाले मामलों को उद्दूत किया है कि शासकीय साक्षियों के कथनों में विभेद प्रकट हुए हैं जैसाकि ऊपर बतलाया गया है । अभियोजन पक्षकथन को साबित नहीं किया गया है परंतु हमारी विचारित राय यह है कि इन दलीलों का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि हम किसी तात्विक विभेदों का निष्कर्ष निकालने में विफल हैं ।

18. विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया नमूना पार्सल के भार तथा उसकी परीक्षा किए जाने के बारे में विचलन है चूंकि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार उन्होंने बरामद किए गए ढेर से 25 ग्राम चरस को अलग-अलग किया था और दो पार्सलों में बरामद किए गए ढेर से चरस के 25 ग्राम अलग-अलग किए गए थे परंतु नमूना पार्सल में से एक परीक्षा के लिए भेजा गया था और इसे 28.561 ग्राम में बदला गया था जिससे यह अभिप्रेत है कि नमूना अभिकथित बरामदगी का नहीं था। यह दलील इस आधार पर प्रत्यक्ष रूप से खारिज किए जाने योग्य है कि माप और भार जिसे घटनास्थल पर भार नापने के लिए प्राप्त किया गया था जो परम्परागत तरीका था जिसे श्रीमती धनवंती शर्मा (अभि. सा. 4) जो नजदीक पर किरयाने की दुकान चला रही थी द्वारा उपलब्ध कराया गया परंतु परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पीबी से यह प्रकट कि नमूना पार्सल का भार इलेक्ट्रोनिक तराजू द्वारा लिया गया था । इस

² नवीनतम एच. एल. जे. 2008 (एच. पी.) 709.

¹ नवीनतम एच. एल. जे. 2009 (एच. पी.) 976.

तरह इसमें अनुमानतः 3.561 ग्राम का विचलन हुआ है । हमारी विचारित राय में उसका कोई परिणाम नहीं है । इसके अतिरिक्त 25 ग्राम का नमूना लिया गया था और उसका पार्सल बनाया गया था । कपड़े के कारण भी मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है जिसे नमूने पार्सल को लपेटने के लिए प्रयोग में लाया गया था । रिपोर्ट से यह दर्शित नहीं है कि नमूने की अंतर्वस्तु बिना कपड़े के तोली गई थी इसलिए, भार में बढ़ोतरी को कोई महत्व दिया जाना चाहिए ।

- 19. इसके अतिरिक्त आर. पी. शर्मा (अभि. सा. 6) बैंक मैनेजर ने संव्यवहार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख और ग जो अभियुक्त के तारीख 4 मार्च, 2008 और 5 मार्च, 2008 के एटीएम कार्ड से हुए हैं, उन्हें साबित किया है जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त कुल्लू में था और प्रश्नगत घटना तारीख 5 मार्च, 2008 से संबंधित है । अभियुक्त नितिन खन्ना का नौसिखिया लाइसेंस प्रदर्श पी-7 की बरामदगी के साक्ष्य से संबंधित है ।
- 20. हमने साक्ष्य की अन्य कड़ी की भी परीक्षा की । मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मनोज कुमारी (अभि. सा. 17) ने यह कथन किया है कि निरीक्षक/भारसाधक अधिकारी प्रताप सिंह ने उसके पास तारीख 5/6 मार्च, 2008 को मध्य रात्रि में 1.15 बजे अपराहन इन वस्तुओं को जमा किया था जिन्हें सम्यक् रूप से मोहरबंद किया गया था और जिनकी मालखाना रिजस्टर में क्रम सं. 93 के रूप में इंदराज किया गया था और उसके द्वारा अध्यपेक्षित दस्तावेज भी साथ रखे गए थे तथा अगले दिन अर्थात् तारीख 9 मार्च, 2008 को नमूना पार्सलों में से एक जिसे एस-1 से चिह्नित किया गया है, एन. सी. बी. प्ररूपों की तीन प्रतियों के साथ परीक्षा के लिए भेजे गए थे । हेड कांस्टेबल नरपत राम (अभि. सा. 14) के माध्यम से सील मोहर के नमूने "ओ" और "डब्ल्यू." न्यायालियक प्रयोगशाला, जुंगा भेजे गए थे जिन्हें उसके द्वारा उसी दिन जमा किया गया था और आरसी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/क की रसीद प्राप्त की गई थी । अतः, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 पूर्वोक्त द्वारा पुलिस थाने में तारीख 9 मार्च, 2008 को इन दस्तावेजों/पार्सलों पर हस्ताक्षर किया जाना पूर्णतया मिथ्या है।
- 21. शासकीय साक्षी की वर्तमान मामले में परीक्षा की गई जिन्होंने नितिन खन्ना के कब्जे से 6 किलोग्राम चरस की बरामदगी के बारे में युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन पक्षकथन को साबित किया है । यह चरस की बरामदगी उसके थैले से विधि के अनुसरण में की गई थी । वर्तमान मामले में साक्ष्य की कड़ी पूरी है जो इसकी बरामदगी के समय से

नमूने पार्सल में से नमूने पार्सल एस-1 तक जिनकी प्रयोगशाला में परीक्षा की गई थी जो सकारात्मक रूप से चरस पाई गई थी । दस्तावेज तैयार करने के स्थान के बारे में तथा बस रोकने के बारे में छोट-मोटे विभेद से कोई परिणाम नहीं निकलता है।

22. पूर्वोक्त कारणों से हमारी विचारित राय यह है कि अभियोजन पक्षकथन विधि के अनुसरण में युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है । प्रतिरक्षा वृत्तांत दिया जाना संभव नहीं हो सकता । शासकीय साक्ष्यों के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विभेद नहीं है जिससे अन्यथा तात्विक विशिष्टियों पर पूर्ण सम्पुष्टि हुई हो । इस प्रकार, विनिषिद्ध माल की बरामदगी अभियुक्त से किया जाना साबित हुआ है जिसके लिए उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है । हमने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए उसकी दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाई है इसलिए, अपील बिना गुणागुण के है और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है ।

23. तथापि, हम यह उल्लेख करते हैं कि <u>बस का ड्राइवर श्री</u> जोगिन्दर कुमार (अभि. सा. 1) और उसका कंडक्टर श्री मनोहर लाल (अभि. सा. 2) जो हरियाणा सड़क परिवहन निगम, कुल्लू में कार्य करते थे, ने लोक सेवक होते हुए प्रथमदृष्ट्या अवचार किया था जैसािक पैरा 13 से 17 और 20 में प्रकट है । अतः, यह साबित किया जाना अपेक्षित है । इस प्रकार प्रबंधक निदेशक हरियाणा सड़क परिवहन निगम को एतद्द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय जांच करने के लिए निदेश किया जाता है और तार्किक निष्कर्ष निकाले तथा इस निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति इस न्यायालय के कार्यालय द्वारा भेजी जाएगी और 1 महीने के अंतर्गत उसका अनुपालन चाहा गया है और जिसे इस न्यायालय के प्रशासनिक विभाग के समक्ष रखा जाएगा । मामले तथा यदि कोई लंबित आवेदन है उनका भी निपटारा किया गया ।

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया ।)

24. विचारण न्यायालय के अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाएं । अपील खारिज की गई ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

परमिन्दर सिंह उर्फ पिंकू

तारीख 11 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति धर्म चन्द चौधरी

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) — धारा 18 और 50 — विनिषिद्ध माल की बरामदगी और वैयक्तिक तलाशी — जहां नमूने लिए जाने और उसे विश्लेषण के लिए न्यायालियक प्रयोगशाला भेजे जाने की रीति के बारे में घोर संदेह हो और अभियुक्त से बरामदगी का कोई अन्य युक्तियुक्त और विश्वसनीय साक्ष्य संदेह से परे साबित नहीं किया गया हो, वहां अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का दायी होगा।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 16 फरवरी, 2007 को सोम प्रकाश चंदेल जो सहायक अधीक्षक, माडल सेन्ट्रल जेल, कांडा पर तैनात था । युवराज नामक व्यक्ति कारागार सह-निवासी था । श्री विजय कुमार कारागार वार्डर भी अपनी ड्यूटी पर था । उसी दिन लगभग 1.40 बजे अपराह्न के आस-पास अभियुक्त पूर्वीक्त युवराज से मिलने पहुंचा था । कारागार वार्डर श्री विजय कुमार द्वारा अभि. सा. 1 को इस प्रभाव की सूचना दी गई । अभि. सा. 1 मुख्य गेट पर पहुंचा और उसने दोषसिद्ध युवराज से मिलने के बारे में अभियुक्त से पूछताछ की । अभियुक्त ने उसे बताया कि उसने युवराज को कुछ वस्तुएं सौंपी थीं । कारागार अधीक्षक ने उन वस्तुओं के बारे में पूछताछ की जिस पर अभियुक्त परेशान हो गया । संदेह होने पर उसने पुलिस थाना बाउइलागंज पर दूरभाष से सूचना दी । लगभग 2.30 बजे अपराह्न पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा, उस दल का मुखिया उप-निरीक्षक, चमन लाल, अतिरिक्त थाना भारसाधक अधिकारी था । उसने अभियुक्त को लिखित में अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों के अनुपालन का विकल्प दिया । अभियुक्त ने पुलिस दल से तलाशी लिए जाने की सहमति दी और उसने उसकी सहमति ज्ञापन पर इस प्रभाव का पृष्ठांकन भी किया । इसके पश्चात्, पूर्वोक्त अभि. सा. 11 के बारे में कारागार वार्डर विजय कुमार और सोम प्रकाश चंदेल नामक व्यक्ति की मौजूदगी में अभियुक्त की तलाशी लिया जाना अभिकथित है । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा दोनों की परीक्षा नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त ने सफेद जींस की पैंट पहन रखी थी और उसकी व्यक्तिगत रूप से तलाशी करने पर पुलिस ने अभियुक्त द्वारा पहनी गई पैंट की दाहिनी जेब से काले भूरे रंग की सामग्री अर्थात अफीम के 12 पैकेट बरामद किए थे । अभियुक्त ने अन्वेषण अधिकारी को यह बताया था कि वह कारागार में दोषसिद्ध युवराज से मिलने पहुंचा था परंतु उसे गेट पर कारागार के कर्मचारीवृंद द्वारा रोका गया था । यह अभिकथन किया गया है कि सी. देवराज द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी स्वतंत्र साक्षी घटनास्थल पर उपलब्ध नहीं पाए गए थे परंत् उसने अफीम को मापने और उसको तोलने की व्यवस्था की थी । बरामद किया गया ढेर को तौला गया था जो 120 ग्राम निकली थी जिसमें से अलग-अलग 10 ग्राम के दो नमूने पृथक-पृथक रूप से तैयार किए गए थे और उन्हें "टी" मोहर की छाप से मोहरबंद किया गया है । बाकी अफीम को भी एक ही मोहर से मोहरबंद किया गया था । मोहर की छाप के नमूने को एक कपड़े के टुकड़े पर रखा गया था । प्रत्येक पार्सल पर पूर्वोक्त सोम प्रकाश चंदेल और विजय कुमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । मोहर की छाप का नमुना एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. प्ररूपों की तीन प्रतियों में लिया गया था जिन्हें घटनास्थल पर भरे जाने का अभिकथन किया गया है तथा मोहर को प्रयोग करने के पश्चात ज्ञापन के माध्यम से सोम प्रकाश चंदेल को सौंप दिया गया था । वाद सम्पत्ति को अभिग्रहण ज्ञापन के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । अभियुक्त से बरामद की गई वस्तुओं को ज्ञापन के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । सी. देवराज के माध्यम से मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए रुक्का भेजा गया था । पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया था । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के आधार के बारे में उसे लिखित में सूचना दी गई । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । अभियुक्त ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया । उसके अनुसार यद्यपि वह कारागार कैदी से मिलने के लिए कारागार गया परंतु तलाशी के बाद उसे अंदर जाने की इजाजत दी गई । वैयक्तिक तलाशी लेने पर उससे कुछ भी बरामद नहीं हुआ । बाद में उसे पुलिस थाना, बाउइलागंज ले जाया गया, यहां उससे बलपूर्वक कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराया गया था और उसने मिथ्या फंसाए जाने का अभिकथन किया है । प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था । अंत में, अभियुक्त

को दोषमुक्त किया गया था । राज्य ने दोषमुक्ति के आदेश और निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अधिनियम की धारा 50 के निबंधनों में विकल्प लिखित में दिए जाने का कथन किया गया है । परंतु इस तथ्य को अन्वेषक अधिकारी द्वारा साबित नहीं किया गया है या अन्य साक्षी जब न्यायालय में उनकी परीक्षा की गई तब अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार के बारे में अवगत कराया गया । न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि के अनुसार तारीख 16 फरवरी, 2007 को मालखाने में वाद सम्पत्ति जमा किए जाने का कथन किया गया है । यद्यपि, तारीख और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. पर हेर-फेर की गई थी परंतु यहां पर क्या यह उल्लेख करना सुसंगत है कि नमुने पार्सलों में से एक तारीख 19 फरवरी, 2007 को वापस लिया गया था और सी. इस्लाम मोहम्मद के मार्फत न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा पर परीक्षा करने के लिए भेजा गया था जिसे सड़क प्रमाणपत्र के माध्यम से उसे सौंपा गया था और यह तथ्य भी सिद्ध किया गया है कि इसे उसके द्वारा शिमला करबे के अंतर्गत जुंगा पर तारीख 20 फरवरी, 2007 को जमा किया था परंतु ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था जहां नमूना पार्सल रात्रि में रखा गया था । परंत् किसी प्रकार भी यह कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती है । अभियोजन पक्षकथन के लिए इससे यह दुर्बलता प्रकट हुई है क्योंकि एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. प्ररूप जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर उसी दिन भरा गया और तारीख 17 फरवरी. 2007 को नमूने को वापस लेना और प्रेषित किया जाना दिखाया गया है तथा अन्वेषक अधिकारी, उप-निरीक्षक के. डी. शर्मा ने स्वयं तारीख 17 फरवरी, 2007 को इस पर हस्ताक्षर किए थे जबकि मालखाने से नमूने को वापस लेने की तारीख 19 फरवरी, 2007 दिखाई गई है, यदि नमूना पार्सल मालखाने से 17 फरवरी, 2007 को वापस लिया गया था और जहां यह तब तक रहा जब तक कि तारीख 19 फरवरी, 2007 को इसे भेज नहीं दिया गया यह बात गूढ है । इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य से यह प्रकट है कि घटनास्थल पर प्रयुक्त मोहर सोम प्रकाश चंदेल को सौंपी गई थी जिस तथ्य के बारे में अन्वेषक अधिकारी द्वारा कथन भी किया गया है परंत् यदि एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. प्ररूप पुनः मोहरबंद करने वाले अधिकारी अर्थात के. डी. शर्मा निरीक्षक थाना भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना द्वारा तारीख 17 फरवरी, 2007 को उसे भरा गया था तब उस दशा में मोहर "टी" की प्रतिकृति उसके पास नहीं होनी चाहिए थी और बाद में कालम सं. 7 पर अपनी मोहर "टी" लगाई गई थी । अभियोजन साक्षियों के कथनों में यह भी प्रकट हुआ है कि कारागार परिसर के बाहर दुकाने थीं जहां साक्षी आसानी से उपलब्ध हो गए थे परंतु पुलिस द्वारा अभियुक्त की वैयक्तिक तलाशी लिए जाने के समय पर किसी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित नहीं किया गया था । इस मामले में भी कारागार वार्डर विजय कुमार की परीक्षा नहीं की गई थी जो उस सुसंगत समय पर मौजूद था । इस प्रकार, नमूने लिए जाने के तरीके और इसे न्यायालियक प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेजे जाने के तरीके से गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और अभियुक्त से बरामदगी के बारे में अन्य साक्ष्य जैसा अभिलेख पर पेश किया गया स्पष्ट और विश्वसनीय नहीं है, इससे अभियोजन पक्षकथन संदेहपूर्ण बन जाता है । (पैरा 9, 10, 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 1 एस. सी. सी. 550 :

सूरेश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य ; 9

[2011] (2011) 1 एस. सी. सी. 609 :

विजय सिन्हा चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य । 9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007-ग की दांडिक अपील सं. 414.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री रमेश ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अजय कोचर, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – प्रत्यर्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) को अभिकथित रूप से 120 ग्राम अफीम रखने के लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 18 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप फाइल किया गया और उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

- 2. पक्षकारों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।
- 3. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन के बारे में यह कथन किया है जो

इस प्रकार है कि तारीख 16 फरवरी, 2007 को सोम प्रकाश चंदेल (अभि. सा. 1) जो सहायक अधीक्षक, माडल सेन्ट्रल जेल, कांडा पर तैनात था । युवराज नामक व्यक्ति कारागार सह-निवासी था । श्री विजय कुमार कारागार वार्डर भी अपनी ड्यूटी पर था । उसी दिन लगभग 1.40 बजे अपराह्न के आस-पास अभियुक्त पूर्वोक्त युवराज से मिलने पहुंचा था । कारागार वार्डर श्री विजय कुमार द्वारा अभि. सा. 1 को इस प्रभाव की सूचना दी गई । अभि. सा. 1 मुख्य गेट पर पहुंचा और उसने दोषसिद्ध युवराज से मिलने के बारे में अभियुक्त से पूछताछ की । अभियुक्त ने उसे बताया कि उसने युवराज को कुछ वस्तुएं सौंपी थीं । कारागार अधीक्षक (अभि. सा. 1) ने उन वस्तुओं के बारे में पूछताछ की जिस पर अभियुक्त परेशान हो गया । संदेह होने पर उसने पुलिस थाना बाउइलागंज पर दूरभाष से सूचना दी । लगभग 2.30 बजे अपराह्न पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा, उस दल का मुखिया उप-निरीक्षक, चमन लाल, अतिरिक्त थाना भारसाधक अधिकारी (अभि. सा. 11) था । उसने अभियुक्त को लिखित में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क में अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों के अनुपालन का विकल्प दिया । अभियुक्त ने पुलिस दल से तलाशी लिए जाने की सहमति दी और उसने उसकी सहमति ज्ञापन पर इस प्रभाव का पृष्टांकन भी किया । इसके पश्चात्, पूर्वोक्त अभि. सा. 11 के बारे में कारागार वार्डर विजय कुमार और सोम प्रकाश चंदेल नामक व्यक्ति की मौजूदगी में अभियुक्त की तलाशी लिया जाना अभिकथित है । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा दोनों की परीक्षा नहीं की गई थी :-

- (ii) इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त ने सफेद जींस की पैंट पहन रखी थी और उसकी व्यक्तिगत रूप से तलाशी करने पर पुलिस ने अभियुक्त द्वारा पहनी गई पैंट की दाहिनी जेब से काले भूरे रंग की सामग्री अर्थात् अफीम के 12 पैकेट बरामद किए थे। अभियुक्त ने अन्वेषण अधिकारी को यह बताया था कि वह कारागार में दोषसिद्ध युवराज से मिलने पहुंचा था परंतु उसे गेट पर कारागार के कर्मचारीवृंद द्वारा रोका गया था।
- (iii) यह अभिकथन किया गया है कि सी. देवराज द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी स्वतंत्र साक्षी घटनास्थल पर उपलब्ध नहीं पाए गए थे परंतु उसने अफीम को मापने और उसको तोलने की व्यवस्था की थी । बरामद किया गया ढेर को तौला गया था जो 120 ग्राम निकली थी जिसमें से अलग-अलग 10 ग्राम के दो नमूने पृथक्-पृथक्

रूप से तैयार किए गए थे और उन्हें "टी" मोहर की छाप से मोहरबंद किया गया है। बाकी अफीम को भी एक ही मोहर से मोहरबंद किया गया था। मोहर की छाप के नमूने को एक कपड़े के टुकड़े पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग में रखा गया था। प्रत्येक पार्सल पर पूर्वोक्त सोम प्रकाश चंदेल और विजय कुमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

- (iv) मोहर की छाप का नमूना एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. प्ररूपों की तीन प्रतियों में लिया गया था जिन्हें घटनास्थल पर भरे जाने का अभिकथन किया गया है तथा मोहर को प्रयोग करने के पश्चात् ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ के माध्यम से सोम प्रकाश चंदेल को सौंप दिया गया था।
- (v) वाद सम्पत्ति को अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ङ के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । अभियुक्त से बरामद की गई वस्तुओं को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/छ के माध्यम से कब्जे में लिया गया था ।
- (vi) सी. देवराज के माध्यम से मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क भेजा गया था । पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क भी तैयार किया था । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के आधार के बारे में उसे लिखित में सूचना दी गई देखिए गिरफ्तार ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/च ।
- 4. पुलिस थाने पर पहुंच कर उप-निरीक्षक, चमन लाल (अभि. सा. 11) ने लगभग 8.45 बजे अपराह्न थाना भारसाधक अधिकारी के. डी. शर्मा (अभि. सा. 8) के समक्ष एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. प्ररूप और मोहर का नमूना सिहत वाद सम्पत्ति प्रस्तुत की थी । उसके बारे में यह अभिकथन किया गया कि मोहर की छाप "ड" से सभी तीनों पैकेटों पर पुनः मोहर लगाई थी । एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. प्ररूप के स्तंभ उसके द्वारा भरे गए थे । मोहर की प्रतिकृति एन. सी. आर. बी/.एन. सी. बी. प्ररूप पर भी लगाई गई थी जिसमें से एक प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ग है । उसके द्वारा कपड़े के अलग टुकड़े प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/घ में प्रयुक्त सील के नमूने को भी रखा गया और मालखाने के सुरक्षित अभिरक्षा में एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. प्ररूप को रखने के लिए उप-निरीक्षक, चमन लाल को वाद सम्पत्ति वापस की गई थी ।
 - 5. एम. एच. सी. तुलसीदास (अभि. सा. 9) ने मोहर के नमूने के

साथ और एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. के प्ररूप आदि के साथ लगभग 10.00 बजे अपराह्न वाद संपत्ति प्राप्त की । इस बारे में ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ङ तैयार किया गया था और सुसंगत प्रविष्टि मालखाने रिजस्टर में की गई थी जिसके प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ख है ।

- 6. तारीख 19 फरवरी, 2007 को नमूने पार्सलों में से एक न्यायालियक प्रयोगशाला, जुंगा को विश्लेषण के लिए भेजा गया था, देखिए आर. सी. सं. 31/07, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ग के साथ मोहर का नमूना जिन्हें सी. इस्लाम मोहम्मद (अभि. सा. 6) द्वारा प्रयोगशाला में तारीख 20 फरवरी, 2007 को जमा किया था और सड़क प्रमाणपत्र की रसीद प्राप्त की गई थी और इसे एम. एच. सी. के वापस लौटने पर उसे सौंप दिया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया था । परीक्षा करने पर नमूना पार्सल रासायिनक परीक्षा की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/घ प्राप्त किए गए थे । परीक्षक की यह राय थी कि नमूना जिसे भेजा गया था अफीम थी जिसमें 2.92 प्रतिशत मोर्फिन डब्ल्यू. डब्ल्यू. है ।
- 7. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । अभियुक्त ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया । उसके अनुसार यद्यपि वह कारागार कैदी से मिलने के लिए कारागार गया परंतु तलाशी के बाद उसे अंदर जाने की इजाजत दी गई । वैयक्तिक तलाशी लेने पर उससे कुछ भी बरामद नहीं हुआ । बाद में उसे पुलिस थाना, बाउइलागंज ले जाया गया, यहां उससे बलपूर्वक कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराया गया था और उसने मिथ्या फंसाए जाने का अभिकथन किया है । प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था । अंत में, अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था ।
- 8. हमने अभिलेख पर साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया परंतु हम इसमें उल्लिखित कारणों पर दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में संपरिवर्तित करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।
- 9. प्रथमतः, यह अभियुक्त के वैयक्तिक तलाशी का मामला है यद्यपि अधिनियम की धारा 50 के निबंधनों में विकल्प लिखित प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क में दिए जाने का कथन किया गया है । परंतु इस तथ्य को अन्वेषक अधिकारी द्वारा साबित नहीं किया गया है या अन्य साक्षी जब न्यायालय में उनकी परीक्षा की गई तब अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार के बारे में अवगत कराया

गया । विकल्प का प्रयोग साधिकार के रूप में अनिवार्य है जैसािक विजय सिन्हा चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है जिसे सुरेश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाले मामले के नवीनतम निर्णय में दोहराया गया है जिसके विफल होने पर सम्पूर्ण विचारण दूषित हो जाता है जो वैयक्तिक तलाशी पर आधारित है ।

10. हमने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. ९/क में प्रविष्टि के अनुसार तारीख 16 फरवरी, 2007 को मालखाने में वाद सम्पत्ति जमा किए जाने का कथन किया गया है । यद्यपि, तारीख और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. पर हेर-फेर की गई थी परंत् यहां पर क्या यह उल्लेख करना सुसंगत है कि नमूने पार्सलों में से एक तारीख 19 फरवरी, 2007 को वापस लिया गया था और सी. इस्लाम मोहम्मद के मार्फत न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा पर परीक्षा करने के लिए भेजा गया था, देखिए आर. सी. 31/07 जिसे सड़क प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ग के माध्यम से उसे सौंपा गया था और यह तथ्य भी सिद्ध किया गया है कि इसे उसके द्वारा शिमला करबे के अंतर्गत जुंगा पर तारीख 20 फरवरी, 2007 को जमा किया था परंतु ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था जहां नमूना पार्सल रात्रि में रखा गया था । परंत् किसी प्रकार भी यह कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती है । अभियोजन पक्षकथन के लिए इससे यह दुर्बलता प्रकट हुई है क्योंकि एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. प्ररूप (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. ८/ग) जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर उसी दिन भरा गया और तारीख 17 फरवरी, 2007 को नमूने को वापस लेना और प्रेषित किया जाना दिखाया गया है तथा अन्वेषक अधिकारी, उप-निरीक्षक के. डी. शर्मा ने स्वयं तारीख 17 फरवरी, 2007 को इस पर हस्ताक्षर किए थे जबकि मालखाने से नमूने को वापस लेने की तारीख 19 फरवरी, 2007 दिखाई गई है, यदि नमूना पार्सल मालखाने से 17 फरवरी, 2007 को वापस लिया गया था और जहां यह तब तक रहा जब तक कि तारीख 19 फरवरी, 2007 को इसे भेज नहीं दिया गया यह बात गूढ़ है।

11. इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य से यह प्रकट है कि

¹ (2011) 1 एस. सी. सी. 609.

² (2013) 1 एस. सी. सी. 550.

घटनास्थल पर प्रयुक्त मोहर सोम प्रकाश चंदेल (अभि. सा. 1) को सौंपी गई थी जिस तथ्य के बारे में अन्वेषक अधिकारी द्वारा कथन भी किया गया है परंतु यदि एन. सी. आर. बी./एन. सी. बी. प्ररूप पुनः मोहरबंद करने वाले अधिकारी अर्थात् के. डी. शर्मा (अभि. सा. 8) निरीक्षक थाना भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना द्वारा तारीख 17 फरवरी, 2007 को उसे भरा गया था तब उस दशा में मोहर "टी" की प्रतिकृति उसके पास नहीं होनी चाहिए थी और बाद में कालम सं. 7 पर अपनी मोहर "टी" लगाई गई थी ।

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया ।)

- 12. अभियोजन साक्षियों के कथनों में यह भी प्रकट हुआ है कि कारागार परिसर के बाहर दुकाने थीं जहां साक्षी आसानी से उपलब्ध हो गए थे परंतु पुलिस द्वारा अभियुक्त की वैयक्तिक तलाशी लिए जाने के समय पर किसी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित नहीं किया गया था । इस मामले में भी कारागार वार्डर विजय कुमार की परीक्षा नहीं की गई थी जो उस सुसंगत समय पर मौजूद था ।
- 13. इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियों में नमूने लिए जाने के तरीके और इसे न्यायालयिक प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेजे जाने के तरीके से गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और अभियुक्त से बरामदगी के बारे में अन्य साक्ष्य जैसािक ऊपर चर्चा की गई है जिसके लिए अभिलेख पर पेश किया गया कोई स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है इससे अभियोजन पक्षकथन संदेहपूर्ण बन जाता है।
- 14. इसलिए, दोषमुक्ति को दोषिसिद्धि में संपरिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है, इस प्रकार, राज्य द्वारा फाइल की गई अपील में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।
- 15. प्रत्यर्थी को उसके द्वारा पेश किए गए जमानत और बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है जो उसने इस मामले की कार्यवाही के दौरान किसी समय पेश किए थे।

अपील खारिज की जाती है।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

अनुज ठाकुर

तारीख 30 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 50 – आज्ञापक प्रक्रिया का अननुपालन – अधिनियम के अधीन अभियुक्त व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे यह जानकारी दी जाए कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जानी चाहिए – मामले में उक्त आज्ञापक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, अतः अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का दायी है ।

वर्ष 2004 में, निरीक्षक बृजेश सूद पुलिस थाना, सुन्दरनगर में भारसाधक अधिकारी के पद पर तैनात था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 17 फरवरी, 2004 को वह पुलिस पेट्रोल दल का मुखिया था और पुराना बस स्टैंड सुन्दरनगर के क्षेत्र में था । लगभग 11.45 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 14 पूर्वोक्त को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त स्वापक वस्तु का धन्धा कर रहा है और ऐसी आशंका होने पर उससे विनिषिद्ध माल की बड़ी मात्रा बरामद हो सकी थी । अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के उपबंध का समाधान होने के लिए उसके द्वारा इस सूचना को लिखा गया था और इसे कांस्टेबल राकेश कुमार के माध्यम से सूचना देने के लिए पुलिस उपाधीक्षक, हेड क्वार्टर, मंडी को भेजा गया था । इसकी प्रति प्रदर्श पी. उब्ल्यू. 12/ख है । इसके पश्चात उसने विनोद कुमार और मान सिंह को छापामार दल में संबद्ध किया और अभियुक्त के स्थान की ओर अग्रसर हुए परंतु अभियुक्त नए बस स्टैंड के फिलिंग स्टेशन के नजदीक खड़ा हुआ पाया गया था । पुलिस दल को देखकर वह शिथिल पड़ गया । उससे उसकी पहचान के बारे में पूछा गया जिसे उसने बताया इसके पश्चात् उक्त पुलिस अधिकारी के बारे में यह कथन किया गया कि उसने अभियुक्त को लिखित में यह विकल्प दिया कि उसकी तलाशी या तो मजिस्ट्रेट के समक्ष या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली जाए । बदले में अभियुक्त ने वहां पर मौजूद पुलिस द्वारा तलाशी लिया जाना चुना । इसके पश्चात, अभि. सा. 14 पूर्वोक्त द्वारा साक्षियों के समक्ष अभियुक्त की

वैयक्तिक तलाशी ली गई और उससे उपरोक्त विनिषिद्ध माल (स्मैक) बरामद किया गया था । उक्त पुलिस अधिकारी ने बरामद किए गए ढेर में से अलग-अलग दो ग्राम के दो नमूने लिए और उन्हें अलग-अलग मोहरबंद करके उन पर मोहर छाप "के" लगाई गई । बाकी ढेर पर वहीं मोहर लगाकर मोहरबंद भी कर दिया गया था । साक्षियों के समक्ष वाद संपत्ति अभिग्रहण ज्ञापन के माध्यम से कब्जे में ली गई । पुलिस ने अभिकथित घटना के स्थान का घटनास्थल नक्शा भी तैयार किया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । तद्नुसार उसे माल की बरामदगी के अपराध के लिए आरोपपत्रित किया गया था जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण के अंत पर अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष के अभिकथित स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं । हिमाचल प्रदेश राज्य ने दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – मूल्यांकन करने पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही घोषित किए गए और अन्वेषक अधिकारी बृजेश सूद का कथन केवल अभियुक्त के विरुद्ध रहा है । इसकी संवीक्षा करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिनियम की धारा 50 का अननुपालन किया गया है क्योंकि उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने का विकल्प दिया गया परंतु या तो उसके कथन या ज्ञापन में यह उल्लेख है कि अभियुक्त की वैयक्तिक तलाशी के पूर्व किसी समय उसे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लिए जाने के "उसके अधिकारी" से अवगत कराया गया । सशक्त अधिकारी ने अभियुक्त को केवल सूचित किया था कि उसे किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष यदि उसकी ऐसी इच्छा है, तलाशी ली जा सकती है । यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति के पास अधिनियम की धारा 50 के अधीन "अधिकार" है, उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जाएगी, उसको जानकारी नहीं दी गई थी । इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस आज्ञापक प्रक्रिया का अनन्पालन से अभियुक्त के विरुद्ध प्रारंभ की गई संपूर्ण कार्यवाहियां दूषित हैं । (पैरा 11 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 2 एस. सी. सी. 67 :	
	अशोक कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य ;	13
[2013]	(2013) 1 एस. सी. सी. 550 :	
	सुरेश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य ;	12
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 609 :	
	विजय सिंहा चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य ।	12
अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 270.		

दंड प्रक्रिया संहिता. 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री जे. एस. राना, सहायक महाधिवक्ता और रमेश ठाकुर सहायक

महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम. एस. गुलेरिया, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति स्रिन्दर सिंह ने दिया

न्या. सिंह – अभियुक्त को अभिकथित 10.78 ग्राम स्मैक रखने के लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 17 के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित करके विचारण किया गया और दोषमुक्त कर दिया गया, इसलिए, राज्य द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई है।

- 2. पक्षकारों को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया ।
- 3. वर्ष 2004 में, निरीक्षक बृजेश सूद पुलिस थाना सुन्दरनगर में भारसाधक अधिकारी के पद पर तैनात था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 17 फरवरी, 2004 को वह पुलिस पेट्रोल दल का मुखिया था और पुराना बस स्टैंड सुन्दरनगर के क्षेत्र में था । लगभग 11.45 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 14 पूर्वोक्त को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त स्वापक वस्तु का धन्धा कर रहा है और ऐसी आशंका होने पर उससे विनिषिद्ध माल की बड़ी मात्रा बरामद हो सकी थी । अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के उपबंध का समाधान होने के लिए उसके द्वारा इस सूचना को लिखा गया था और इसे कांस्टेबल राकेश कुमार के माध्यम से

सूचना देने के लिए पुलिस उपाधीक्षक, हेड क्वार्टर, मंडी को भेजा गया था । इसकी प्रति प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ख है । इसके पश्चात् उसने विनोद कुमार (अभि. सा. 1) और मान सिंह (अभि. सा. 2) को छापामार दल में संबद्ध किया और अभियुक्त के स्थान की ओर अग्रसर हुए परंतु अभियुक्त नए बस स्टैंड के फिलिंग स्टेशन के नजदीक खड़ा हुआ पाया गया था । पुलिस दल को देखकर वह शिथिल पड़ गया । उससे उसकी पहचान के बारे में पूछा गया जिसे उसने बताया इसके पश्चात् उक्त पुलिस अधिकारी के बारे में यह कथन किया गया कि उसने अभियुक्त को लिखित प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/क में यह विकल्प दिया कि उसकी तलाशी या तो मजिस्ट्रेट के समक्ष या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली जाए । बदले में अभियुक्त ने वहां पर मौजूद पुलिस द्वारा तलाशी लिया जाना चुना । इसके पश्चात, अभि. सा. 14 पूर्वोक्त द्वारा साक्षियों के समक्ष अभियुक्त की वैयक्तिक तलाशी ली गई और उससे उपरोक्त विनिषिद्ध माल (स्मैक) बरामद किया गया था । उक्त पुलिस अधिकारी ने बरामद किए गए ढेर में से अलग-अलग दो ग्राम के दो नमूने लिए और उन्हें अलग-अलग मोहरबंद करके उन पर मोहर छाप "के" लगाई गई । बाकी ढेर पर वहीं मोहर लगाकर मोहरबंद भी कर दिया गया था । साक्षियों के समक्ष वाद संपत्ति अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ग के माध्यम से कब्जे में ली गई । पुलिस ने अभिकथित घटना के स्थान प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ख का घटनास्थल नक्शा भी तैयार किया था ।

- 4. मामले के रजिस्ट्रेशन के लिए रुक्का भेजा गया जिसके आधार पर औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की गई थी ।
- 5. अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के आधार उसे बताए गए थे ।
- 6. तलाशी और अभिग्रहण की विशेष रिपोर्ट कानूनी अवधि के अंतर्गत ज्येष्ठ पदधारी को भेजी गई थी । मुहर्रिर हेड कांस्टेबल स्वर्ण सिंह (अभि. सा. 6) के मार्फत वाद संपत्ति मालखाने में जमा की गई थी । एक नमूना पार्सल केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, चंडीगढ़ भेजा गया था जिसका परीक्षण करने पर डाईसेटीमलमोरिफन (हेरोइन) सकारात्मक पाई गई थी । यह रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ख है ।
- 7. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । तद्नुसार उसे पूर्वोक्त अपराध के लिए आरोपपत्रित किया गया था जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने

का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

- 8. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की भी परीक्षा की । उसने उन परिस्थितियों से इनकार किया जो उस पर लागू पाई गई थी । उसने अपनी प्रतिरक्षा में मामला होने से पूर्णतया इनकार किया है । तथापि, उसने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया है ।
- 9. विचारण के अंत पर अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष के अभिकथित स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, साक्ष्य की कड़ी पूरी नहीं थी और नमूना पार्सल के विश्लेषण के लिए एन. सी. बी. प्ररूप नहीं भेजे गए थे।
- 10. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की ओर से परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया और अभिलेख के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया ।
- 11. मूल्यांकन करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही घोषित किए गए और अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 14) बृजेश सूद का कथन केवल अभियुक्त के विरुद्ध रहा है । इसकी संवीक्षा करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिनियम की धारा 50 का अननुपालन किया गया है क्योंकि उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मिजस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने का विकल्प दिया गया परंतु या तो उसके कथन या ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/क में यह उल्लेख है कि अभियुक्त की वैयक्तिक तलाशी के पूर्व किसी समय उसे मिजस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लिए जाने के "उसके अधिकारी" से अवगत कराया गया ।

(रेखांकन पर जोर दिया गया।)

12. सुरेश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य¹ उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय में विजय सिन्हा चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य² वाले मामले के संविधान पीठ के निर्णय का अवलंब लिया गया है । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50(1) के अधीन सशक्त अधिकारी के लिए यह आज्ञापक है कि संबंधित व्यक्ति को उसके विद्यमान "अधिकार" के बारे में

² (2011) 1 एस. सी. सी. 609.

¹ (2013) 1 एस. सी. सी. 550.

उसे "बताए" यदि उससे ऐसा करना अपेक्षित है तो उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मिजस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जाएगी। ऐसा करने में विफल होने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि तथा दंडादेश दूषित होगा जहां दोषसिद्धि केवल निषिद्ध माल को कब्जे में रखने के आधार पर अभिलिखित की गई है। यह भी दोहराया गया है कि उक्त उपबंध आज्ञापक है और इसका पूर्णतया अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। जड़ेजा (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्वोक्त धारा के आज्ञापक उपबंध का अननुपालन की दशा में, विचारण दूषित होगा।

- 13. इसके अतिरिक्त अशोक कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्यी वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक ही विकल्प की परीक्षा की है जैसािक वर्तमान मामले में है कि सशक्त अधिकारी ने अभियुक्त को केवल सूचित किया था कि उसे किसी मिजस्ट्रेट या राजपित्रत अधिकारी के समक्ष यदि उसकी ऐसी इच्छा है, तलाशी ली जा सकती है। यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति के पास अधिनियम की धारा 50 के अधीन "अधिकार" है, उसकी किसी राजपित्रत अधिकारी या किसी मिजस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जाएगी, उसको जानकारी नहीं दी गई थी। इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस आज्ञापक प्रक्रिया के अननुपालन से अभियुक्त के विरुद्ध प्रारंभ की गई संपूर्ण कार्यवाहियां दृषित हैं।
- 14. वर्तमान मामले में उपरोक्त सुस्थिर विधि को लागू करते हुए, अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक उपबंधों का अननुपालन किया गया, इसलिए, पूर्वोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संबंध में अभियुक्त की दोषमुक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार राज्य द्वारा फाइल की गई अपील में कोई सार नहीं है, इसलिए, खारिज की जाती है ।
- 15. अभियुक्त द्वारा मामले के कार्यवाहियों के दौरान पेश किए गए जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।
 - 16. अभिलेख वापस भेजे जाते हैं।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

^{1 (2013) 2} एस. सी. सी. 67.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

देविन्दर सिंह और एक अन्य

तारीख 21 अगस्त, 2013

न्यायमूर्ति देव दर्शन सूद और न्यायमूर्ति धर्म चन्द चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498-क – क्रूरता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि पित या पित के नातेदारों ने पीड़िता से ऐसा कोई आचरण किया जिसके परिणामस्वरूप वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुई वहां अभियुक्त के विरुद्ध किसी अनिभशंसी परिस्थिति के अभाव में अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

लेखराम की पांच बेटियों में से मृतका किरण बाला सबसे छोटी पुत्री थी जिसका विवाह वर्ष 1999 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार राजेन्द्र सिंह के साथ हुआ था । उसने यह कथन किया है कि उसने अपनी हैसियत के अनुसार अत्यधिक मात्रा में दहेज दान के रूप में दिया था । राजेन्द्र कुमार उसका दामाद है वह पंजाब में किसी कारखाने में काम करता था । उसके अनुसार अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 मृतका को अपर्याप्त दहेज लाने के लिए परेशान किया करते थे । उसने साधारण शब्दों में यह कथन किया है कि जब कभी मृतका उसके घर पर आती तो वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसे परेशान किए जाने तथा उसे ताने देने के बारे में शिकायत करती कि उन्होंने (मृतका के माता-पिता) विवाह में पर्याप्त दहेज नहीं दिया था । तब उसने यह कहा कि उसने अपनी पुत्री को यह सलाह दी थी कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ हिन्दू दुल्हन की भांति अपने ससुराल के मकान में रहे । उसने यह भी कथन किया है कि उसका और उसकी पत्नी श्रीमती हाकमी देवी का स्वारथ्य ठीक नहीं रहता है क्योंकि वे वृद्धा अवस्था की आयु में पहुंच गए हैं और उनकी दूसरी पुत्री श्रीमती शीला देवी जिसका पति विदेश में कार्य करता था वह उनके साथ उनके घर पर रहती थी । वह अभियुक्त के घर पर 3 बार गई थी और इस साक्षी को उसने यह बताया था कि अभियुक्त ने उसके जाने पर कभी भी स्वागत नहीं किया । विवाह के 10 माह पश्चात् मृतका का लड़का हुआ था और उस समय उसका एक दूसरा दामाद अमर सिंह अभियुक्त के घर पर गया था । वापस लौटने पर उसने उसे बताया कि अभियुक्त व्यक्ति ने दो मांग की हैं, पहला अधिक दहेज देने के लिए और दूसरा मृतका के पति राजेन्द्र सिंह को जमीन देने के लिए कहा है और यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तब तक मृतका के कुटुंब का कोई सदस्य उनके यहां न आए । उसने यह कथन किया कि उसकी पुत्री का शव तीसरे दिन उनको मिला क्योंकि गोविन्द सागर झील में उसके डूब जाने के कारण लाश गायब हो चुकी थी उसने यह कथन किया कि वह और उसकी पत्नी उस स्थान पर नहीं गए थे जहां उसकी पुत्री का शव पाया गया था । उससे लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने यह कथन किया है कि वह केशर सिंह को जानता है जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है तथा वह उसी गांव में निवास करता है कि केशर सिंह की बहन का अभियुक्त सं. 1 से विवाह हुआ था । लेखराम अभियुक्त सं. 1 का पिता है जो एक बहुत अच्छे परिवार का सदस्य है तथा उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त सं. 1 भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है । उसने इस तथ्य से भी इनकार किया है कि देविन्दर ने दहेज के संबंध में विरोध करने के लिए एक संघठन भी बनाया था । उसने यह स्वीकार किया है कि राजेन्द्र सिंह उसका दामाद उसकी पुत्री किरण देवी की मृत्यु के पूर्व कई बार उसके मकान पर आया था । अभियुक्त देविन्दर सिंह तथा अभियुक्त पियार देवी जो मृतका किरण देवी के क्रमशः ''देवर'' और ''सास'' हैं । संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि किरण देवी जिसका राजेन्द्र सिंह के साथ विवाह हुआ था और जिसे अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 द्वारा तंग किया जा रहा था । मृतका ने गोविन्द सागर झील में कृदकर आत्महत्या कर ली जो घटना तारीख 5 सितंबर, 2000 और 7 सितंबर, 2000 के बीच की है । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया कि अपराध जिनपर अभियुक्तों को आरोपित किया गया था, अभियोजन साक्ष्य द्वारा उन्हें सिद्ध नहीं किया गया था । राज्य द्वारा प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है जिन्हें दंड संहिता की धारा 498-क और 306 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराधों से आरोपित किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विचारित साक्ष्य से न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथमदृष्ट्या यह सिद्ध नहीं होता है कि अभिकथित क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जिस वजह से मृतका आत्महत्या या अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विवश हुई । साधारण शब्दों में किए गए अभिकथन को किसी विशिष्ट

दृष्टांत से साबित नहीं किया गया है । न्यायालय प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य को विचार में लेकर ऐसा भी कह सकता है। प्रदर्श डीए ऐसा पत्र है जिसे मृतका द्वारा अपने पति राजेन्द्र सिंह को लिखा गया था जिसमें मृतका ने उसके साथ रहने की उत्कट इच्छा व्यक्त की थी और यह कथन किया था कि वह बहुत समय से उसके सम्पर्क से विलुप्त रही है। न्यायालय ने इस पत्र में कोई शिकायत भी नहीं पाई कि उसे अभियुक्त द्वारा परेशान या उससे क्रुरता बरती जा रही थी । न्यायालय प्रतिरक्षा साक्ष्य का भी उल्लेख करता है । न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि लेखराम ने यह कहा है कि उसकी पुत्रियों में से एक पुत्री का केशर सिंह से विवाह हुआ था । उसने यह कथन किया है कि मृतका के पिता दो तीन बार अपनी पत्नी के साथ उसके मकान पर गए थे । विवाह के पश्चात् मृतका 7-8 दिन उनके मकान पर रुकी थी क्योंकि उसने दुधियान पर क्लीनिक सेंटर खोल रखा था और वह तीन मास पश्चात् घर पर वापस लौटी । उसने यह भी कथन किया है कि राजेन्द्र सिंह अपनी पत्नी (मृतका) के पास उसके हालचाल पूछने के लिए अक्सर आया करता था । न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि "गुंतरला" (बच्चे के जन्म लेने के पश्चात का समारोह) के समारोह मृतका के ससुराल के मकान में तारीख 5 सितंबर, 2000 को रखा गया था जिस समारोह को काफी धूमधाम से मनाया गया था । उस दिन उसने मृतका के माता-पिता के घर पर 10 किलोग्राम मिठाई वितरित करने के लिए केशर सिंह को सौंपी थी । तब उसने अपनी पुत्रवध् के गायब होने के बारे में बातचीत की और तत्पश्चात् उसका शव गोविन्द सागर झील पर पाया गया था । मुंशी राम ने यह कथन किया है कि वह ग्राम पंचायत दरी - बाहरी का उप-प्रधान है और ग्राम करविन उक्त पंचायत का भाग है । अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 उसे जानते थे क्योंकि वे उसके गांव के ही हैं । वर्ष 1998-99 में वह युवक मंडल के नाम से संघठन चला रहा था जिसका वह अध्यक्ष था और अभियुक्त सं. 1 उसका सदस्य था । उसके अनुसार, यह संघठन दहेज की बुराइयों को दूर करने के लिए विरोध के रूप में बनाया गया था । उसने यह कथन किया है कि वह मृतका के पति राजेन्द्र सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 3 के विवाह पार्टी का सदस्य था और उस समय मृतका के माता-पिता ने विवाह के स्थल पर दहेज की वस्तुएं रखी थीं जब अभियुक्त सं. 1 ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया । अभियुक्त देवेन्द्र पीटीआई के आधार पर अध्यापक के पद पर नियोजित था और उसका एक अच्छा चरित्र था । उसने यह भी कथन किया है कि मृतका के माता-पिता और गांववासी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने अभियुक्त

के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला था । शव तारीख 7 सितंबर, 2000 को पाया गया था और तद्नुसार पुलिस को सूचना दी गई थी । किरण के माता-पिता तारीख 7 सितंबर, 2000 को पहुंचे थे परंतु उन्होंने उस समय किसी व्यक्ति पर किसी गलत कार्य किए जाने का संदेह किए बिना कोई शिकायत नहीं की । चर्चित साक्ष्य पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति नहीं है और इसके साथ ही यह निष्कर्ष निकाला कि मृतका के साथ क्रूरता बरती गई थी जिस वजह से वह आत्महत्या करने के लिए विवश हुई । ऐसा केवल क्रूरता को साबित किए जाने पर होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के अधीन उपधारणा अभियुक्त के विरुद्ध तब की जा सकती है जब मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु का स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें बुलाया जाता तथापि, ऐसा साक्ष्य वर्तमान मामले में पूरी तरह विलुप्त है । अभिलेख पर इन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है जिसे तद्नुसार खारिज की जाती है । अभियुक्तों द्वारा पेश किए गए जमानत बंधपत्र और प्रतिभूतियां उन्मोचित की जाती हैं। (पैरा 9, 10, 11 और 12)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 417.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से

सर्वश्री वी. एस. चौहान, अपर महाधिवक्ता और विक्रम ठाकुर, उप-महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से

श्री जे. आर. पोसवाल, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति देव दर्शन सूद ने दिया ।

न्या. सूद – राज्य द्वारा प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है जिन्हें दंड संहिता की धारा 498-क और 306 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराधों से आरोपित किया गया है।

2. अभियुक्त देविन्दर सिंह (जिसे संक्षेप में अभियुक्त सं. 1 कहा गया है) तथा अभियुक्त पियार देवी (जिसे संक्षेप में अभियुक्त सं. 2 कहा गया है) जो मृतका किरण देवी के क्रमशः "देवर" और "सास" है । संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि किरण देवी जिसका राजेन्द्र सिंह, प्रतिरक्षा साक्षी 3 के साथ विवाह हुआ था और जिसे अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 द्वारा तंग किया जा रहा था । मृतका ने गोविन्द सागर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली जो घटना तारीख 5 सितंबर, 2000 और 7 सितंबर, 2000 के बीच की है । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया कि अपराध जिनपर अभियुक्तों को आरोपित किया गया था, अभियोजन साक्ष्य द्वारा उन्हें सिद्ध नहीं किया गया था ।

- 3. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि 3 साक्षी अर्थात् लेखराम (अभि. सा. 3), शीला देवी (अभि. सा. 5) और श्रीमती हाकमी देवी (अभि. सा. 8) जो मृतका किरण देवी के क्रमशः पिता, बहन और माता हैं, उनका साक्ष्य निश्चायक है, विशेष रूप से जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के अधीन उपधारणा का परिशीलन करें तो मृतका की मृत्यु 7 वर्ष की कानूनी उपधारणा की अवधि के अंतर्गत अस्वाभाविक रीति में हुई थी।
- 4. हम साक्ष्य का पुनःमूल्यांकन नहीं करते हैं जैसािक विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया परंतु हम 3 सािक्षयों के साक्ष्य का उल्लेख करते हैं जिनका नाम ऊपर उल्लिखित किया गया है और इस बारे में यह अभिनिश्चित करते हैं कि क्या कोई अपराध अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कािरत किया गया है क्योंिक वे वहीं साक्षी हैं जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है।
- 5. लेखराम (अभि. सा. 3) के साक्ष्य का उल्लेख करते हैं कि उसने यह कथन किया है कि उसकी पांच बेटियों में से मृतका किरण बाला सबसे छोटी पुत्री थी जिसका विवाह वर्ष 1999 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार राजेन्द्र सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 3 के साथ हुआ था । उसने यह कथन किया है कि उसने अपनी हैसियत के अनुसार अत्यधिक मात्रा में दहेज दान के रूप में दिया था । राजेन्द्र कुमार प्रतिरक्षा साक्षी 3 उसका दामाद है वह पंजाब में किसी कारखाने में काम करता था । उसके अनुसार अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 मृतका को अपर्याप्त दहेज लाने के लिए परेशान किया करते थे । उसने साधारण शब्दों में यह कथन किया है कि जब कभी मृतका उसके घर पर आती तो वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसे परेशान किए जाने तथा उसे ताने देने के बारे में शिकायत करती कि उन्होंने (मृतका के माता-पिता) विवाह में पर्याप्त दहेज नहीं दिया था । तब उसने यह कहा कि उसने अपनी पुत्री को यह सलाह दी थी कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ हिन्दू दुल्हन की भांति अपने ससुराल के मकान में रहे । उसने यह भी कथन किया है कि उसका और उसकी पत्नी श्रीमती हाकमी देवी

(अभि. सा. 8) का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है क्योंकि वे वृद्धा अवस्था की आयु में पहुंच गए हैं और उनकी दूसरी पुत्री श्रीमती शीला देवी (अभि. सा. 5) जिसका पति विदेश में कार्य करता था वह उनके साथ उनके घर पर रहती थी । वह (अभि. सा. 5) अभियुक्त के घर पर 3 बार गई थी और इस साक्षी को उसने यह बताया था कि अभियुक्त ने उसके जाने पर कभी भी स्वागत नहीं किया । विवाह के 10 माह पश्चात् मृतका का लड़का हुआ था और उस समय उसका एक दूसरा दामाद अमर सिंह (अभि. सा. 4) अभियुक्त के घर पर गया था । वापस लौटने पर उसने उसे बताया कि अभियुक्त व्यक्ति ने दो मांग की हैं, पहला अधिक दहेज देने के लिए और दूसरा मृतका के पति राजेन्द्र सिंह को जमीन देने के लिए कहा है और यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तब तक मृतका के कुटुंब का कोई सदस्य उनके यहां न आए । उसने यह कथन किया कि उसकी पुत्री का शव तीसरे दिन उनको मिला क्योंकि गोविन्द सागर झील में उसके ड्ब जाने के कारण लाश गायब हो चुकी थी उसने यह कथन किया कि वह और उसकी पत्नी उस स्थान पर नहीं गए थे जहां उसकी पुत्री का शव पाया गया था । उससे लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने यह कथन किया है कि वह केशर सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 4 को जानता है जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है तथा वह उसी गांव में निवास करता है कि केशर सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 4 की बहन का अभियुक्त सं. 1 से विवाह हुआ था । लेखराम प्रतिरक्षा साक्षी 2 अभियुक्त सं. 1 का पिता है जो एक बहुत अच्छे परिवार का सदस्य है तथा उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त सं. 1 भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है । उसने इस तथ्य से भी इनकार किया है कि देविन्दर अभियुक्त सं. 1 ने दहेज के संबंध में विरोध करने के लिए एक संघठन भी बनाया था । उसने यह स्वीकार किया है कि राजेन्द्र सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 3 उसका दामाद उसकी पुत्री किरण देवी की मृत्यु के पूर्व कई बार उसके मकान पर आया था ।

6. अमर सिंह (अभि. सा. 4) मृतका का जीजा है। उसने यह कथन किया है कि मृतका के विवाह के समय पर उसके श्वसुर द्वारा पर्याप्त दहेज दिया गया था और उस समय वह अमृतसर में प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहा था। वह मृतका का लड़का (संतान) होने के पश्चात् अगस्त, 2009 में वह अभियुक्त के मकान पर गया था और जब वह रसोईघर में खाना खा रहा था तब अभियुक्त व्यक्तियों ने यह ताने कसने शुरू कर दिए कि किरण

कैसे खाना बनाया जाता है इस बात को नहीं जानती है और उसकी बहन उनके मकान पर नहीं जाएगी । उसने यह भी कथन किया है कि उन्होंने मृतका के माता-पिता से यह कहा कि वह नवजात शिशु के लिए सोने की चेन लाएं तथा मृतका का पति राजेन्द्र सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 3 के पक्ष में भूमि का भी अंतरण करें । उसने यह कथन किया कि उसने मृतका के माता-पिता को इन तथ्यों के बारे में बताया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि किसी व्यक्ति ने भी उसे यह सूचना नहीं दी कि किरण का लड़का हुआ है । उसने यह भी कहा है कि उसे अन्वेषण में सहबद्ध किया गया था और पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन अभिलिखित किए गए थे जिसमें उसने यह कथन नहीं किया है कि उसकी पत्नी किरण के घर पर उसके हालात के बारे में जानकारी देने के लिए गई थी क्योंकि उसका शिशु हुआ था । उसने पुलिस के समक्ष कथन के इस भाग को किए जाने से इनकार किया है। उसने यह भी कथन किया है कि मृतका के विवाह के पूर्व श्रीमती शीला देवी (अभि. सा. 5) अपने माता-पिता के मकान पर रह रही थी । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि किरण के विवाह के पश्चात राजेन्द्र सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 3 की सास ने उससे "घर जवाई" के रूप में उनके साथ रहने की वांछा की थी।

- 7. अब हम मृतका की बहन श्रीमती शीला देवी (अभि. सा. 5) के कथन का उल्लेख करते हैं जिसने साधारण शब्दों में यह कथन किया है कि अभियुक्त अपर्याप्त दहेज लाने के संबंध में मृतका को परेशान किया करता था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह केशर सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 4 को जानती है जिसकी पुत्री का विवाह देविन्दर सिंह अभियुक्त सं. 1 के साथ हुआ है । उसने यह कथन किया है कि वह परेशान किए जाने की प्रकृति या क्रूरता जो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतका से बरती गई थी के बारे में कुछ नहीं कह सकती है ।
- 8. मृतका की माता हाकमी देवी (अभि. सा. 8) ने साधारण शब्दों में यह अभिकथन किया है कि मृतका के विवाह के पश्चात् उसका देवर अभियुक्त सं. 1 और सास अभियुक्त सं. 2 मृतका के कार्य के संबंध में दोष प्रकट किया करती तथा उसे पीटा भी गया था और अंततः उनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई।
- 9. ऊपर विचारित साक्ष्य से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथमदृष्ट्या यह सिद्ध नहीं होता है कि अभिकथित क्रूरता ऐसी प्रकृति की

थी जिस वजह से मृतका आत्महत्या या अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विवश हुई । साधारण शब्दों में किए गए अभिकथन को किसी विशिष्ट दृष्टांत से साबित नहीं किया गया है । हम प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य को विचार में लेकर ऐसा भी कह सकते हैं । प्रदर्श डीए ऐसा पत्र है जिसे मृतका द्वारा अपने पित राजेन्द्र सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 3) को लिखा गया था जिसमें मृतका ने उसके साथ रहने की उत्कट इच्छा व्यक्त की थी और यह कथन किया था कि वह बहुत समय से उसके सम्पर्क से विलुप्त रही है । हमने इस पत्र में कोई शिकायत भी नहीं पाई कि उसे अभियुक्त द्वारा परेशान या उससे क्रूरता बरती जा रही थी ।

10. हम प्रतिरक्षा साक्ष्य का भी उल्लेख करते हैं । हमने यह उल्लेख किया है कि लेखराम प्रतिरक्षा साक्षी 2 ने यह कहा है कि उसकी पृत्रियों में से एक पुत्री का केशर सिंह से विवाह हुआ था । उसने यह कथन किया है कि मृतका के पिता दो तीन बार अपनी पत्नी के साथ उसके मकान पर गए थे । विवाह के पश्चात् मृतका 7-8 दिन उनके मकान पर रुकी थी क्योंकि उसने दुधियान पर क्लीनिक सेंटर खोल रखा था और वह तीन मास पश्चात घर पर वापस लौटी । उसने यह भी कथन किया है कि राजेन्द्र सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 3 अपनी पत्नी (मृतका) के पास उसके हालचाल पूछने के लिए अक्सर आया करता था । हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि "गुंतरला" (बच्चे के जन्म लेने के पश्चात का समारोह) के समारोह मृतका के सस्राल के मकान में तारीख 5 सितंबर, 2000 को रखा गया था जिस समारोह को काफी धूमधाम से मनाया गया था । उस दिन उसने मृतका के माता-पिता के घर पर 10 किलोग्राम मिठाई वितरित करने के लिए प्रतिरक्षा साक्षी 4 केशर सिंह को सौंपी थी । तब उसने अपनी पुत्रवध् के गायब होने के बारे में बातचीत की और तत्पश्चात् उसका शव गोविन्द सागर झील पर पाया गया था ।

11. मुंशी राम (प्रतिरक्षा साक्षी 5) ने यह कथन किया है कि वह ग्राम पंचायत दरी - बाहरी का उप-प्रधान है और ग्राम करविन उक्त पंचायत का भाग है । अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 उसे जानते थे क्योंकि वे उसके गांव के ही हैं । वर्ष 1998-99 में वह युवक मंडल के नाम से संघठन चला रहा था जिसका वह अध्यक्ष था और अभियुक्त सं. 1 उसका सदस्य था । उसके अनुसार, यह संघठन दहेज की बुराइयों को दूर करने के लिए विरोध के रूप में बनाया गया था । उसने यह कथन किया है कि वह मृतका के पित राजेन्द्र सिंह प्रतिरक्षा साक्षी 3 के विवाह पार्टी का सदस्य था

और उस समय मृतका के माता-पिता ने विवाह के स्थल पर दहेज की वस्तुएं रखी थीं जब अभियुक्त सं. 1 ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया । अभियुक्त देविन्दर पीटीआई के आधार पर अध्यापक के पद पर नियोजित था और उसका एक अच्छा चित्र था । उसने यह भी कथन किया है कि मृतका के माता-पिता और गांववासी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला था । शव तारीख 7 सितंबर, 2000 को पाया गया था और तद्नुसार पुलिस को सूचना दी गई थी । किरण के माता-पिता तारीख 7 सितंबर, 2000 को पहुंचे थे परंतु उन्होंने उस समय किसी व्यक्ति पर किसी गलत कार्य किए जाने का संदेह किए बिना कोई शिकायत नहीं की ।

12. उपरोक्त चर्चित साक्ष्य पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति नहीं है और इसके साथ ही यह निष्कर्ष निकाला कि मृतका के साथ क्रूरता बरती गई थी जिस वजह से वह आत्महत्या करने के लिए विवश हुई । ऐसा केवल क्रूरता को साबित किए जाने पर होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के अधीन उपधारणा अभियुक्त के विरुद्ध तब की जा सकती है जब मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु का स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें बुलाया जाता तथापि, ऐसा साक्ष्य वर्तमान मामले में पूरी तरह विलुप्त है । अभिलेख पर इन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है जिसे तद्नुसार खारिज किया जाता है । अभियुक्तों द्वारा पेश किए गए जमानत बंधपत्र और प्रतिभूतियां उन्मोचित की जाती हैं ।

अपील खारिज की गई।

आर्य

संसद् के अधिनियम

नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 53)¹

[9 अगस्त, 1952]

नोटेरियों की वृत्ति को विनियमित करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** (1) यह अधिनियम नोटेरी अधिनियम, 1952 कहा जा सकता है ।
 - (2) इसका विस्तार ²*** सम्पूर्ण भारत पर है ।
- (3) यह उस ³तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
- 2. **परिभाषाएं** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

⁴* * * * * * *

(ख) "लिखत" के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई

¹ इस अधिनियम का 1962 के विनियम सं. 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर ; 1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर, तथा 1968 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर तथा का. आ. सं. 213(अ), तारीख 16-5-1975, भारत का राजपत्र, 1975, भाग 2, अनुभाग 3(ii) द्वारा (16-5-1975 से) सिक्किम राज्य पर विस्तार किया गया ।

² 1968 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-8-1968 से) ''जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया गया ।

³ 14 फरवरी, 1956 ; अधिसूचना सं. सा. का. नि. 317, तारीख 10-2-1956, भारत का राजपत्र, 1956, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ. 179 देखिए ।

 ^{4 1968} के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-8-1968 से) खंड
 (क) का लोप किया गया ।

अधिकार या दायित्व का सृजन, अन्तरण, उपान्तरण, परिसीमन, विस्तार, निलम्बन, निर्वापन या अभिलेखन किया गया है या किया जाना तात्पर्यित है ;

- ¹[(ग) "विधि व्यवसायी" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में प्रविष्ट किया गया कोई अधिवक्ता अभिप्रेत है ||
- (घ) "नोटेरी" से इस अधिनियम के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ·

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालाविध के लिए इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी होगा जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व ²[परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन]³*** नोटेरी पब्लिक नियुक्त किया गया था, और जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले, ⁴[भारत के किसी भाग में नोटेरी का व्यवसाय कर रहा था :

परन्तु यह और भी कि, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में उक्त दो वर्ष की कालाविध की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको यह अधिनियम उस राज्य में प्रवृत्त होगा];

- (ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (च) "रजिस्टर" से धारा 4 के अधीन सरकार द्वारा रखा गया नोटेरी का रजिस्टर अभिप्रेत है ;

¹ 1999 के अधिनियम सं. 36 की धारा 3 द्वारा (17-12-1999 से) खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1968 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-8-1968 से) "या तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1968 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-8-1968 से) "या मास्टर आफ फेकलटीज इन इंग्लैंड द्वारा" का लोप किया गया ।

⁴ 1968 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-8-1968 से) ''भारत के किसी भाग में नोटेरी का व्यवसाय कर रहा था'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

- ¹[(छ) ''राज्य सरकार'' से संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है ॥
- 3. नोटेरी नियुक्त करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार, संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए और राज्य सरकार, सम्पूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए, किन्हीं विधि व्यवसायियों को या अन्य व्यक्तियों को जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो विहित की जाएं, नोटेरी नियुक्त कर सकती है।
- 4. रिजस्टर (1) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उस सरकार द्वारा नियुक्त और इस अधिनियम के अधीन उसी रूप में व्यवसाय करने के हकदार नोटेरियों का एक रिजस्टर रखेगी।
- (2) ऐसे प्रत्येक रजिस्टर में जिस नोटेरी का नाम प्रविष्ट है उसके बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :-
 - (क) उसका पूरा नाम, जन्म-तिथि, निवास और कार्यालय का पता :
 - (ख) रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट किए जाने की तारीख ;
 - (ग) उसकी अर्हताएं ; और
 - (घ) कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।
- 5. रिजस्टर में नामों की प्रविष्टि और व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना या नवीकरण (1) प्रत्येक नोटेरी, जो इस रूप में व्यवसाय करना चाहता है, उसको नियुक्त करने वाली सरकार को विहित फीस का, यदि कोई हो, संदाय करने पर निम्नलिखित का हकदार ²[हो सकेगा]:—
 - (क) धारा 4 के अधीन उस सरकार द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में अपने नाम को प्रविष्टि कराने का. और

। विधि अनुकूलन (संख्यांक 3) आदेश, 1956 द्वारा खंड (छ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1999 के अधिनियम सं. 36 की धारा 3 द्वारा (17-12-1999 से) "होगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

- (ख) उसको प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से ¹[पांच वर्ष] की कालावधि के लिए उसको व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र ।
- ²[(2) नोटेरी को नियुक्त करने वाली सरकार आवेदन और विहित फीस की प्राप्ति पर एक समय में पांच वर्ष की अविध के लिए किसी नोटेरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्र का नवीकरण कर सकेगी |]
- 6. नोटेरियों की सूचियों का वार्षिक प्रकाशन केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास के दौरान, राजपत्र में उस सरकार द्वारा नियुक्त और उस वर्ष के प्रारम्भ में व्यवसाय करने वाले नोटेरियों की सूची उनके बारे में ऐसे ब्यौरों के साथ, जो विहित किए जाएं, प्रकाशित करेगी।
- 7. **नोटेरियों की मुद्रा** प्रत्येक नोटेरी की ऐसे प्ररूप में और ऐसे डिजाइन की, जो विहित की जाएं, एक मुद्रा होगी और आवश्यकतानुसार वह उसका उपयोग करेगा ।
- 8. **नोटेरियों के कृत्य** (1) नोटेरी अपने पद के आधार पर निम्नलिखित में से सभी या कोई कार्य कर सकता है अर्थात् :-
 - (क) किसी लिखत के निष्पादन को सत्यापित, अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित करना ;
 - (ख) किसी वचनपत्र, हुण्डी या विनिमयपत्र को प्रतिग्रहण के लिए या संदाय के लिए प्रस्तुत कर सकना या अधिक अच्छी प्रतिभूति की मांग कर सकना ;
 - (ग) किसी वचनपत्र, हुण्डी या विनिमयपत्र के अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादर को नोट करना या उसका प्रसाक्ष्य करना या अधिक अच्छी प्रतिभूति के लिए प्रसाक्ष्य करना या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन आदर का कार्य तैयार

¹ 1999 के अधिनियम सं. 36 की धारा 3 द्वारा (17-12-1999 से) ''तीन वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1999 के अधिनियम सं. 36 की धारा 3 द्वारा (17-12-1999 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

करना, या ऐसे नोट या प्रसाक्ष्य की सूचना तामील करना ;

- (घ) पोत का प्रसाक्ष्य, नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज और अन्य वाणिज्यिक मामलों के बारे में प्रसाक्ष्य नोट करना और लेखबद्ध करना;
 - (ङ) किसी व्यक्ति को शपथ देना या उससे शपथपत्र लेना ;
- (च) बाटमारी और जहाजी माल बंधपत्र, पोत भाटक पत्र और अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज बनाना ;
- (छ) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिए आशयित किसी दस्तावेज को ऐसे प्ररूप में और ऐसी भाषा में जो उस स्थान की विधि के अनुरूप है जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन आशयित है, तैयार करना, अधिप्रमाणित या अनुप्रमाणित करना ;
- (ज) एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी दस्तावेज का अनुवाद करना और ऐसे अनुवाद को सत्यापित करना ;
- ¹[(जक) यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए तो, किसी सिविल या दांडिक विचारण में साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए आयुक्त के रूप में कार्य करना ;
- (जख) यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, मध्यस्थ, बिचौलिया या सुलहकार के रूप में कार्य करना ;]
 - (झ) कोई अन्य कार्य करना जो विहित किया जाए ।
- (2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई कार्य उस दशा के सिवाय जब वह नोटेरी द्वारा उसके हस्ताक्षर और पदीय मुद्रा के साथ किया गया है, नोटेरी का कार्य नहीं समझा जाएगा ।
- 9. **बिना प्रमाणपत्र के व्यवसाय करने का वर्जन** (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति नोटेरी के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा या नोटेरी की पदीय मुद्रा के अधीन कोई नोटेरी का काम नहीं करेगा जब तक उसके पास धारा 5 के अधीन उसे जारी किया गया व्यवसाय का चालू प्रमाणपत्र न हो :

^{1 1999} के अधिनियम सं. 36 की धारा 4 द्वारा (17-12-1999 से) अंत:स्थापित ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी नोटेरी की ओर से कार्य करने वाले ऐसे नोटेरी के लिपिक द्वारा प्रतिग्रहण या संदाय के लिए, किसी वचनपत्र, हुण्डी या विनिमयपत्र के प्रस्तुतीकरण को लागू नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) की कोई बात इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष समाप्त हो जाने तक किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके प्रति धारा 2 के खंड (घ) के परन्तुक में निर्देश किया गया है:

¹[परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में दो वर्ष की उक्त कालाविध की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको यह अधिनियम उस राज्य में प्रवृत्त होगा |]

- 10. **नामों का रिजस्टर से हटाया जाना** किसी नोटेरी की नियुक्ति करने वाली सरकार, आदेश द्वारा, धारा 4 के अधीन उसके द्वारा रखे जाने वाले रिजस्टर से नोटेरी का नाम हटा सकती है यदि
 - (क) वह हटाए जाने के लिए अनुरोध करता है ; या
 - (ख) उसने संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित विहित फीस का संदाय नहीं किया है : या
 - (ग) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; या
 - (घ) यह विहित रीति से जांच करने के पश्चात्, ऐसे वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है जो सरकार की राय में उसे नोटेरी के रूप में व्यवसाय करने के लिए अयोग्य बनाता है : ²[या]
 - ²(ङ) ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है ; या
 - (च) अपने व्यवसाय के प्रमाणपत्र को नवीकृत नहीं कराता है ।]
- 11. अन्य विधि में नोटेरी पब्लिक के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन किसी अन्य विधि में नोटेरी पब्लिक के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया

¹ 1968 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-8-1968 से) अंत:स्थापित ।

² 1999 के अधिनियम सं. 36 की धारा 5 द्वारा (17-12-1999 से) अंत:स्थापित ।

जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय करने के हकदार नोटेरी के प्रति निर्देश है ।

- 12. **नोटेरी के रूप मिथ्या व्यपदेशन के लिए शास्ति** कोई व्यक्ति जो –
 - (क) नोटेरी के रूप में नियुक्त हुए बिना यह मिथ्या व्यपदेशन करेगा कि वह नोटेरी है, या
 - (ख) नोटेरी के रूप में व्यवसाय करेगा या धारा 9 के उल्लंघन में नोटेरी का कोई काम करेगा.

वह कारावास से, जिसकी अवधि ¹[एक वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा ।

- 13. अपराधों का संज्ञान (1) कोई न्यायालय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किए गए परिवाद के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी नोटेरी द्वारा उसके कृत्यों के तात्पर्यित प्रयोग या प्रयोग में किए गए किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।
- (2) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।
- 14. विदेशी नोटेरियों द्वारा किए गए नोटेरी कामों की मान्यता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि भारत से बाहर किसी देश या स्थान की विधि या पद्धित द्वारा, भारत के अन्दर नोटेरियों द्वारा किए गए नोटेरी के कार्य उस देश या स्थान में सभी या किन्हीं सीमित प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त हैं तो, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि ऐसे देश या स्थान के अन्दर नोटेरियों द्वारा विधिपूर्णत: किए गए नोटेरी के कार्य भारत के अन्दर, यथास्थिति, सभी प्रयोजनों के लिए या सीमित प्रयोजनों के

¹ 1999 के अधिनियम सं. 36 की धारा 6 द्वारा (17-12-1999 से) ''तीन मास'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

लिए, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, मान्यताप्राप्त होंगे ।

- 15. नियम बनाने की शक्ति (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :-
- (क) नोटेरी की अर्हताएं, वह प्ररूप और रीति जिससे नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और ऐसे आवेदनों का निपटान ;
- (ख) वे प्रमाणपत्र, प्रशंसापत्र या चिरत्र, आर्जव, योग्यता और क्षमता के बारे में साक्ष्य जो नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से देने की अपेक्षा की जाए ;
- ¹[(ग) नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए और व्यवसाय के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने और उसके नवीकरण के लिए, व्यवसाय के क्षेत्र या व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तारण के लिए संदेय फीस और विनिर्दिष्ट वर्गों के मामलों में ऐसी फीस से पूर्णत: या भागत: छूट ;]
 - (घ) नोटेरी का काम करने के लिए किसी नोटेरी को संदेय फीस ;
 - (ड) रजिस्टरों का प्ररूप और उनमें प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां ;
 - (च) नोटेरी की मुद्रा का प्ररूप और डिजाइन ;
- (छ) वह रीति जिससे नोटेरियों के विरुद्ध वृत्तिक या अन्य अवचारों के अभिकथनों की जांच की जा सके ;
- (ज) वे कार्य जो नोटेरी धारा 8 में विनिर्दिष्ट कामों के अतिरिक्त कर सकें और वह रीति जिससे नोटेरी अपने कृत्यों पर निर्वहन करें ;
 - (झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया

¹ 1999 के अधिनियम सं. 36 की धारा 7 द्वारा (17-12-1999 से) खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

जाए ।

¹(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

16. [1881 के अधिनियम 26 का संशोधन] — 1957 के अधिनियम संख्यांक 36 की धारा 2 और प्रथम अनुसूची द्वारा निरसित ।

¹ 1983 के अधिनियम सं. 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अंत: स्थापित ।